SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

वित्त मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन संख्या 6

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

वर्ष 2024-25 के लिए
संघ सरकार के लेखों पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

Khalid Bin Jamal

Digitally signed by Khalid Bin Jamal
Date: 2026.04.02 13:38:19 +05'30'

संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
2026 की प्रतिवेदन संख्या 6
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

शीर्षक	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: संघ के वित्त का अवलोकन	5
अध्याय 3: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियां	39
अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन	75
अनुलग्नक	95

प्रस्तावना

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्धृत मामले शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई थी।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी (वास्तविक जीडीपी) में 7.10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (नॉमिनल जीडीपी) में वर्ष के दौरान 9.74 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की तुलना में 10.82 *प्रतिशत* बढ़ीं। यह वृद्धि गैर-कर राजस्व में 21.38 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा कर राजस्व में 7.43 *प्रतिशत* की वृद्धि से प्रेरित हुई। सकल कर राजस्व (जीटीआर) वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगातार बढ़ती प्रवृत्ति में रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीटीआर में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़कर 57.15 *प्रतिशत* हो गया तथा जीडीपी में इसका योगदान विगत वर्ष के 6.63 *प्रतिशत* की तुलना में 6.82 *प्रतिशत* रहा।

प्रत्यक्ष करों में, आयकर से प्राप्त राजस्व विगत वर्ष की तुलना में 17.02 *प्रतिशत* बढ़ा तथा इसका जीटीआर और जीडीपी में हिस्सा बढ़कर क्रमशः 31.16 *प्रतिशत* और 3.72 *प्रतिशत* हो गया। निगम कर में 8.31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई; तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में, इसका जीटीआर में हिस्सा 26.29 *प्रतिशत* से घटकर 25.99 *प्रतिशत* तथा जीडीपी में हिस्सा 3.14 *प्रतिशत* से घटकर 3.10 *प्रतिशत* हो गया। जीएसटी संग्रह, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के 3.32 *प्रतिशत* से थोड़ा घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.25 *प्रतिशत* रह गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपकर और अधिभार से ₹5,29,357 करोड़ की वसूली हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में 8.40 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है तथा यह सकल कर राजस्व का 13.94 *प्रतिशत* था। तथापि, पिछले पांच वर्षों में जीटीआर में इसका हिस्सा घटता रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के 20.23 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.94 *प्रतिशत* रह गया।

गैर-कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 21.38 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप, सकल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 17.83 *प्रतिशत* से बढ़कर 19.39 *प्रतिशत* हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वर्ष के दौरान लाभांश और लाभ में 80.49 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के कारण हुई, जिसमें प्रमुख योगदान

भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अधिशेष लाभ का रहा।

सरकारी व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹39,07,647 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹50,85,089 करोड़ हो गया। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह इसी अवधि के दौरान 19.68 *प्रतिशत* से घटकर 15.99 *प्रतिशत* हो गया। पूंजीगत व्यय, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.78 *प्रतिशत* से थोड़ा घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.70 *प्रतिशत* रह गया। ऋण की अदायगी भारत की संचित निधि से सबसे बड़ा आहरण रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण का 62.57 *प्रतिशत* था।

राजस्व व्यय के स्थिर घटक, अर्थात वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान, कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44.18 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 46.07 *प्रतिशत* हो गए। इनमें से, ब्याज भुगतान का हिस्सा सबसे अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय का 29.20 *प्रतिशत* है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹8,58,256 करोड़ रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 6.33 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, परिवहन तथा रक्षा सेवाएं पूंजीगत व्यय के प्रमुख प्रेरक रहे हैं।

संघ सरकार की कुल देनदारियां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़ीं, जिसका मुख्य कारण लोक ऋण में वृद्धि रहा। आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में क्रमशः 8.35 *प्रतिशत* तथा 9.83 *प्रतिशत* बढ़े। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, आंतरिक ऋण ₹1,59,25,949 करोड़ रहा और इसका प्रमुख घटक बाजार ऋण, कुल आंतरिक ऋण का 69.96 *प्रतिशत* रहा।

राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, दोनों में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.78 *प्रतिशत* रहा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 26.24 *प्रतिशत* कम हुआ, जो राजस्व व्यय पर बेहतर नियंत्रण तथा राजस्व प्राप्तियों में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.62 *प्रतिशत* रहा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.27 *प्रतिशत* कम हुआ।

संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) में 16 विवरण शामिल हैं, जो वर्ष के लिए संघ के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रतिवेदन का अध्याय 3, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर केंद्रित है।

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के लेखांकन में अनियमितताएं पाई गईं। नमूना जांच में यह देखा गया कि सीजीईजीआईएस भुगतानों का लेखांकन निर्धारित उप-शीर्ष स्तर के स्थान पर लघु शीर्ष स्तर तक गलत रूप से किया गया, जिससे बीमा निधि/बचत निधि के अंत शेष की गणना तथा परिणामस्वरूप सीजीईजीआईएस शेष पर ब्याज की गणना प्रभावित होती है (पैरा 3.1.1.1)। पीएओ-आईडीए (वेतन एवं लेखा कार्यालय - आंतरिक ऋण एवं लेखा) द्वारा संधारित सीजीईजीआईएस आंकड़ों और संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच भिन्नता पाई गई (पैरा 3.1.1.2)। इसके अतिरिक्त, बचत निधि/बीमा निधि भुगतानों के गलत वर्गीकरण तथा रेल मंत्रालय से संबंधित प्राप्ति आंकड़ों के दोहरे लेखांकन के उदाहरण भी देखे गए, जिससे लेखों की सटीकता प्रभावित हुई (पैरा 3.1.1.3 एवं 3.1.1.4)।

प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किया जाना था तथा इसे 90:10 के अनुपात में राज्य और केंद्र प्राधिकरणों के बीच संबंधित आरक्षित निधियों में वितरित किया जाना था। तथापि, एकत्रित लेवी को आगे राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में वितरण हेतु भारत के लोक लेखा में अंतरित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹10,380.36 करोड़ की राशि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किए जाने हेतु लंबित थी। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा (लेखा शीर्ष 8336.00.102) में प्रस्तुत शेष राशि राष्ट्रीय कैम्पा के अभिलेखों में प्रस्तुत समतुल्य आंकड़ों की तुलना में ₹599.53 करोड़ कम पाई गई, जिससे लोक लेखा में संभावित रूप से कम प्रस्तुतीकरण किये जाने का संकेत मिलता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹2,192.95 करोड़ की राशि भारत के लोक लेखा में अंतरण किए जाने की अपेक्षा बैंक खातों में ही बनी रही (पैरा 3.1.2)।

यूजीएफए के विवरण 13 में उचंत शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष दर्शाए जाते हैं, जिससे निपटान हेतु लंबित वास्तविक शेष राशियां कम प्रस्तुत हुई, यह कम प्रस्तुत राशि उचंत लेखा (सिविल) में 76.61 *प्रतिशत* तथा अन्य नामित बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक) उचंत में 65.19 *प्रतिशत* पाई गई (पैरा 3.2.2.3)। इसी प्रकार, नकद शेष की नेटिंग किए जाने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलान के लिए लंबित नकद शेष भी कम प्रस्तुत हुआ,

जबकि मिलान किए जाने हेतु कुल नकद शेष ₹3,880.67 करोड़ था (पैरा 3.4.3)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "विभागीय चेक" के अंतर्गत प्रतिकूल शेष में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ₹44,714.77 करोड़ का प्रमुख प्रतिकूल शेष गलत अंतरण प्रविष्टि के कारण हुआ (पैरा 3.2.2.2)। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निधि/जमा शीर्षों में प्रतिकूल शेष के 56 मामले देखे गए, जिनमें से 39 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं (पैरा 3.2.1)। उचंत और विविध शीर्षों के अंतर्गत अंतिम वर्गीकरण और निपटान की प्रतीक्षा में लंबित महत्वपूर्ण शेष राशियों का बने रहना, तथा ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष एवं प्रतिकूल शेष की नेटिंग, मिलकर लेखों की सटीकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं (पैरा 3.2)।

प्राधिकार पत्र (एलओए) के बिना व्यय किए जाने के कारण ₹2.35 करोड़ के राजस्व व्यय को जर्नल एंट्री के माध्यम से वापिस उचंत शीर्ष में डालकर अनियमित रूप से प्रस्तुत किया गया और धन की कमी के कारण ₹3,042.32 करोड़ के पेंशन भुगतान ई-स्क्रॉल्स को अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय उचंत शीर्ष में दर्ज किया गया, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय कम प्रस्तुत हुआ तथा लेखों की सटीकता प्रभावित हुई (पैरा 3.2.2.5 और 3.2.2.6)।

आरक्षित निधियां भारत के लोक लेखा का हिस्सा होती हैं और इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, सामान्यतः इनका वित्तपोषण उपकर या लेवी के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें संग्रहित किए जाने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और तत्पश्चात संसद की स्वीकृति से निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में अंतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹3,89,220 करोड़ की राशि उपकर/शुल्क/लेवी के रूप में एकत्र की गई, जो संघ सरकार के सकल कर राजस्व का 10.25 *प्रतिशत* थी। अभिलेखों की नमूना जांच से यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चार निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में ₹9,222 करोड़ का कम अंतरण हुआ (पैरा 3.3.1)। साथ ही, ₹844.93 करोड़ के संचयी निवल क्रेडिट शेष के साथ अप्रयुक्त आरक्षित निधियों और जमा राशियों का बने रहना यह इंगित करता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और उनकी समीक्षा की जानी आवश्यक है (पैरा 3.3.2)।

50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय तथा प्राप्तियां, जिनकी राशि क्रमशः ₹4,957.58 करोड़ और

₹4,087.43 करोड़ थी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 'लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय' तथा 'लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां' ओम्निबस शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित की गईं, जिससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित हुई (पैरा 3.3.3)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से वसूली हेतु ₹9,94,278.08 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम शेष थे, जिनमें से वसूली के लिए बकाया (मूलधन एवं ब्याज) ₹91,534 करोड़ था (पैरा 3.2.3)। ऋण राशि के अदायगी के पश्चात ऋण शीर्ष के अंतर्गत ₹641.54 करोड़ की ऋणात्मक प्रविष्टि का समायोजन न किए जाने के कारण 'वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण एवं अग्रिम' के अंत शेष का उतना ही कम प्रस्तुतीकरण हुआ (पैरा 3.2.4)।

हमने यूजीएफए 2024-25 के विवरण 10 एवं 11 के बीच 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश' के संबंध में ₹179.06 करोड़ का अंतर देखा (पैरा 3.4.1.2)। सात संस्थाओं के संबंध में ₹842.82 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति पाई गई (पैरा 3.4.1.7)। हमने तीन संस्थाओं से ₹322.13 करोड़ की गारंटी शुल्क की कम वसूली भी पाई (पैरा 3.4.2)।

हमने लेखांकन में ₹12,754.47 करोड़ की राशि से संबंधित गलत वर्गीकरण के उदाहरण भी पाए। इनमें से, ₹4,011.91 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे तथा शेष ₹8,742.56 करोड़ के गलत वर्गीकरण व्यय से संबंधित थे, जो मुख्यतः व्यय को गलत वस्तु शीर्ष (₹8,723.83 करोड़) के अंतर्गत लेखांकित किए जाने से जुड़े थे (पैरा 3.5)।

संघ सरकार के विनियोग लेखे में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,47,54,642.48 करोड़ के विनियोग को स्वीकृति दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,42,63,339.67 करोड़ व्यय किए, जिससे कुल मिलाकर ₹4,91,302.81 करोड़ की बचत हुई (पैरा 4.1.1)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित प्रावधान (जिस पर संसद द्वारा वोटिंग आवश्यक नहीं होती) ₹1,00,47,777.09 करोड़ (68.10 *प्रतिशत*) था, जिसके प्रति व्यय ₹99,78,400.13 करोड़ (69.96 *प्रतिशत*) हुआ, जिससे ₹69,376.96 करोड़ (14.12 *प्रतिशत*) की बचत हुई। कुल दत्तमत प्रावधान ₹47,06,865.39 करोड़ (31.90 *प्रतिशत*) था तथा वास्तविक व्यय ₹42,84,939.54 करोड़ (30.04 *प्रतिशत*) रहा, जिससे ₹4,21,925.85 करोड़ (85.88 *प्रतिशत*) की बचत हुई। प्रभारित व्यय में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक क्रमिक वृद्धि देखी गई, जबकि दत्तमत व्यय में वित्तीय

वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मामूली कमी तथा उसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः मामूली वृद्धि दर्ज की गई (पैरा 4.1.2)।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रमुख प्रभारित व्यय में दो विनियोग, अर्थात ऋण के अदायगी तथा ब्याज भुगतान, शामिल हैं, जबकि प्रमुख दत्तमत मांग राज्यों को अंतरण है (पैरा 4.1.2)।

हमने 11 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 16 लघु/उप-शीर्षों में ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय देखा, जिसका कारण निधियों का अपर्याप्त प्रावधान था (पैरा 4.2.1.1)। हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 19 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत भी पाई, जिनमें से सात अनुदानों/ विनियोगों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लगातार बचत हो रही थी (पैरा 4.2.2.1)। इसके अतिरिक्त, 74 अनुदानों/ विनियोगों के 97 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई (पैरा 4.2.2.2)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिक व्यय की आशंका में 16 अनुदानों के अंतर्गत 26 लघु/उप-शीर्षों के लिए प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए, क्योंकि संबंधित लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से कम रहा (पैरा 4.3)। पुनर्विनियोग के संबंध में, हमने देखा कि ₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोग 10 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 18 लघु/उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण रूप से किए गए, जबकि जिन लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि की गई थी, उनके अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, सात अनुदानों के अंतर्गत 10 लघु/उप-शीर्षों से भी पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण रूप से किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ (पैरा 4.4.1)।

15 विभागों/मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक ₹54,282.32 करोड़ की राशि से संबंधित 33,973 उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) लंबित थे, जिनमें से ₹38,287.52 करोड़ की राशि से संबंधित 13,926 यूसी पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24) से संबंधित हैं और जिन अनुदानों के लिए यूसी बकाया थे, उनकी संस्वीकृति की सबसे पुरानी अवधि वित्तीय वर्ष 1985-86 से संबंधित है। यह जीएफआर 2017 के नियम 238 (1) एवं (2) के प्रावधानों का उल्लंघन है (पैरा 4.5)।

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1 परिचय

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अनुच्छेद 113: अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण **अनुदानों/विनियोगों की मांगों** के रूप में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

अनुच्छेद 114: अनुच्छेद 113 के तहत इन विवरणों के अनुमोदन के पश्चात, भारत की संचित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग हेतु **विनियोग विधेयक** संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 115: वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी विशेष सेवा पर अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के तहत संसद द्वारा प्राधिकार के लिए **अनुपूरक मांगें** उठाई जा सकती हैं।

1.1 संघ सरकार के वार्षिक लेखे

संसद में पेश किए जाने वाले संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं।

संघ सरकार के वित्त को तीन भागों में रखा जाता है:

क. भारत की संचित निधि: इसमें भारत सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त राजस्व सहित सभी आय शामिल होती हैं, जिससे सरकार पूंजीगत और राजस्व लेखा शीर्षों के अंतर्गत अपने व्यय को पूरा करती है।

ख. भारत की आकस्मिक निधि: यह संसद द्वारा अधिकृत होने तक, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम राशि है।

ग. लोक लेखा: संचित निधि में जमा राशि के अलावा भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन को लोक लेखा में जमा किया जाता है।

1.1.1 वित्त लेखे

संघ सरकार के वित्त लेखे संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में दो भाग होते हैं। भाग । में राजस्व, पूंजीगत, गारंटी, ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिक निधि के संबंध में पांच संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि भाग ॥ में अन्य संबंधित विवरणों के साथ-साथ उपरोक्त लेनदेन से संबंधित 11 विस्तृत विवरण शामिल हैं। ये लेखे नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं, अर्थात वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी लेखों में लेनदेन वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं।

1.1.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे संसद द्वारा प्राधिकृत अनुदानों के प्रति व्यय की तुलना के साथ-साथ दोनों के बीच निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। चार विनियोग लेखे होते हैं - सिविल मंत्रालय, रक्षा, रेलवे एवं डाक सेवाएं। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों के विनियोग लेखा तैयार करते हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

1.2 संघ सरकार के लेखों की लेखापरीक्षा

संघ सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षण मानकों और वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 04 दिसंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों (सिविल) को प्रमाणित किया व 18 दिसंबर 2025 को इन्हें संसद के समक्ष रखा गया।

यह प्रतिवेदन चार अध्याय में व्यवस्थित है। इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में संघ सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया का परिचय दिया गया है, **अध्याय 2** संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रदान करता है, **अध्याय 3** में लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर टिप्पणियां शामिल हैं, और **अध्याय 4** में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियां हैं।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तर (**फरवरी 2026 तक**) प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किये गए हैं।

अध्याय 2

संघ के वित्त का अवलोकन

अध्याय 2 संघ के वित्त का अवलोकन

2.1 भारत का सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में देश के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में भारत की जीडीपी की प्रवृत्ति **चित्र 2.1** में दिखाई गई है।

चित्र 2.1: स्थिर एवं वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (एफआरई)
स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011-12) (वास्तविक जीडीपी)	1,36,94,869 *(-5.78)*	1,50,21,846 *(9.69)*	1,61,64,913 *(7.61)*		
स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2022-23) (वास्तविक जीडीपी)			2,61,17,627	2,80,00,767 *(7.21)*	2,99,88,619 *(7.10)*
वर्तमान मूल्यों पर (नॉमिनल जीडीपी) (आधार वर्ष 2011-12)	1,98,54,096 *(-1.24)*	2,35,97,399 *(18.85)*	2,68,90,473 *(13.96)*		
वर्तमान मूल्यों पर (नॉमिनल जीडीपी) (आधार वर्ष 2022-23)			*2,61,17,627*	*2,89,83,909 (10.97)*	*3,18,07,309 (9.74)*

एफआरई: पहला संशोधित अनुमान।

जीडीपी के आंकड़ों के नीचे कोष्ठकों में विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की दिनांक 28 फरवरी 2025 और 27 फरवरी 2026 की प्रेस विज्ञप्ति।

** जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 कर दिया गया है (एनएसओ की 27-02-2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार)।*

इस प्रतिवेदन में प्रतिशतता और अनुपात निकालने के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आधार वर्ष 2011-12, तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आधार वर्ष 2022-23) को माना गया है।

2.2 संघ के वित्त का स्नैपशॉट

इस खंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) दोनों चरणों में बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाया गया है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक प्राप्तियों और व्यय को भी दर्शाया गया है। ये विवरण **चित्र 2.2** में दर्शाये गए हैं।

चित्र 2.2: संघ के वित्त का स्नैपशॉट - वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक	बजट अनुमान (बीई)[क] वित्तीय वर्ष 2024-25	संशोधित अनुमान (आरई[क]) वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक में बदलाव		
						वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2024-25 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक से
1	राजस्व प्राप्तियां	30,88,175	35,04,335	34,85,869	34,22,438	-2.34%	-1.82%	10.82%
	कर राजस्व[ख]	*23,36,025*	*25,92,959*	*25,66,569*	*25,09,496*	*-3.22%*	*-2.22%*	*7.43%*
	गैर-कर राजस्व[ग]	*7,52,150*	*9,11,376*	*9,19,300*	*9,12,942*	*0.17%*	*-0.69%*	*21.38%*
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	45,281	50,000	36,012	20,214	-59.57%	-43.87%	-55.36%
3	ऋण और अग्रिम की वसूली	1,16,973	78,250	1,99,854	1,72,778	120.80%	-13.55%	47.71%
4	***कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (1+2+3)***	***32,50,429***	***36,32,585***	***37,21,735***	***36,15,430***	***-0.47%***	***-2.86%***	***11.23%***
5	लोक ऋण की प्राप्ति	91,60,050	94,12,883	96,93,666	97,91,620	4.02%	1.01%	6.89%
6	***सीएफआई में कुल प्राप्तियां (4+5)***	***1,24,10,479***	***1,30,45,468***	***1,34,15,401***	***1,34,07,050***	***2.77%***	***-0.06%***	***8.03%***
7	लोक लेखा प्राप्तियां[घ]	39,12,486	-	-	44,79,326	-	-	14.49%

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक	बजट अनुमान (बीई)[क] वित्तीय वर्ष 2024-25	संशोधित अनुमान (आरई[क]) वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक में बदलाव		
						वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2024-25 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक से
8	***कुल प्राप्तियां (6+7)***	***1,63,22,965***	***-***	***-***	***1,78,86,376***	***-***	***-***	***9.58%***
9	राजस्व व्यय	38,54,082	40,85,175	40,96,607	39,87,374	-2.39%	-2.67%	3.46%
10	पूंजीगत व्यय	8,07,180	9,19,695	8,51,881	8,58,256	-6.68%	0.75%	6.33%
11	ऋण और अग्रिम	1,91,310	2,64,157	2,40,977	2,39,459	-9.35%	-0.63%	25.17%
12	***कुल व्यय (9+10+11)***	***48,52,572***	***52,69,027***	***51,89,465***	***50,85,089***	***-3.49%***	***-2.01%***	***4.79%***
13	लोक ऋण की अदायगी	74,62,493	78,30,954	84,07,558	85,00,779	8.55%	1.11%	13.91%
14	***सीएफआई से कुल संवितरण (12+13)***	***1,23,15,065***	***1,30,99,981***	***1,35,97,023***	***1,35,85,868***	***3.71%***	***-0.08%***	***10.32%***
15	लोक लेखा संवितरण[घ]	40,08,694	-	-	43,01,116	-	-	7.29%
16	***कुल संवितरण (14+15)***	***1,63,23,759***	***-***	***-***	***1,78,86,984***	***-***	***-***	***9.58%***
क	**बीई और आरई के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) से लिए गए हैं।**							
ख	**कर राजस्व में संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों को सौंपे गए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹11,29,494 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹12,86,885 करोड़ के कर और शुल्क शामिल नहीं हैं।**							
ग	**गैर-कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,013 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹687 करोड़ का सहायता अनुदान और अंशदान शामिल है।**							
घ	**यूजीएफए में, लोक लेखा में उचंत और विविध के साथ-साथ धन प्रेषण के संबंध में प्राप्तियां/भुगतान भी शामिल होते हैं। लेकिन, इन दोनों मदों के लिए बीई/आरई के आँकड़े एएफएस में नहीं दिखाए जाते हैं। इसलिए, लोक लेखा प्राप्तियां (सं.7)/संवितरण (सं.15) के सामने कोई बीई/आरई आँकड़े नहीं दिखाए गए हैं। तदनुसार, एएफएस में दिखाए गए कुल प्राप्तियां (सं.8) और कुल संवितरण (सं.16) में बीई/आरई को नहीं लिया गया है।**							

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

जैसा कि **चित्र 2.2** से देखा जा सकता है, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में संग्रह वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रमशः ₹25,09,496 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) और ₹9,12,942 करोड़ (21.38 *प्रतिशत*) रहा, जो विगत वर्ष (क्रमशः ₹23,36,025 करोड़ और ₹7,52,150 करोड़) की तुलना में अधिक है, जबकि विविध पूंजीगत प्राप्तियों में 55.36 *प्रतिशत* की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹45,281 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹20,214 करोड़)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ऋण और अग्रिम की वसूली में विगत वर्ष की तुलना में 47.71 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है क्योंकि इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में राज्यों/ विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए बैक-टू-बैक ऋणों की अदायगी के संबंध में ₹1,23,604 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹78,104 करोड़) की राशि शामिल है (पैरा 2.6.1 देखें)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संघ का कुल व्यय ₹50,85,089 करोड़ रहा, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 4.79 *प्रतिशत* अधिक है। यह राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वृद्धि से प्रेरित है, जिसमे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.46 *प्रतिशत*, 6.33 *प्रतिशत* और 25.17 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई। ऋण एवं अग्रिम में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकारों को किए गए अधिक संवितरण के कारण हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,40,863 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,83,896 करोड़ हो गई, जिससे 30.55 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उच्च व्यय के कारण हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,09,554 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,49,484 करोड़ हो गई।

2.3 निधियों के स्रोत और उपयोग[1]

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों में आते हैं - ऋण प्राप्तियां, गैर-ऋण प्राप्तियां और लोक लेखा में प्राप्तियां। इनमें से ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जाती हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों को आगे राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान शामिल हैं, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण और अग्रिमों की वसूली और विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश से प्राप्त आय, बोनस शेयर आदि) शामिल हैं। लोक लेखा में प्राप्तियों में लघु बचत योजनाओं से संबंधित प्राप्तियां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान, सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिभूति जमा और अन्य जमा आदि शामिल हैं।

जुटाए गए संसाधनों का उपयोग ऋण की अदायगी, सरकार के व्यय और लोक लेखों पर देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹1,91,76,493 करोड़ के संसाधन थे और जिसमे से ₹1,91,73,869 करोड़ का उपयोग किया, जिसे निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए लागू किया गया, जिससे अंत नकद शेष ₹2,624 करोड़ रह गया।

चित्र 2.3: वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधियों का स्रोत

(₹ करोड़ में)

1	अथ नकद शेष	3,232
2	ऋण प्राप्तियां*	97,91,620
3	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां	49,02,315
	क) सकल राजस्व प्राप्तियां	*47,09,323*
	ख) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	*20,214*
	ग) ऋण एवं अग्रिम की वसूली	*1,72,778*
4	लोक लेखा में सकल प्राप्तियां	44,79,326
कुल		**1,91,76,493**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

**वित्तीय 2024-25 के दौरान संघ सरकार की ऋण प्राप्तियां ₹97,91,620 करोड़ थी और वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी ₹85,00,779 करोड़ थी। वर्ष के दौरान संघ सरकार की निवल ऋण प्राप्तियां ₹12,90,841 करोड़ थी।*

[1] इस खंड में प्रयुक्त आंकड़े सकल राशियां हैं, जो चित्र 2.2 में दी गई राशियों से भिन्न हो सकती हैं, जो निवल आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 2.4: वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना (प्राप्तियां)

राजस्व प्राप्तियां	✓ सकल कर प्राप्तियों में 9.55 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि निवल कर प्राप्तियों (राज्यों को अंतरित करों को छोड़कर निवल कर प्राप्तियां) में 7.43 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ✓ सकल कर प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से आयकर, जीएसटी, निगम कर के कारण हुई।
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 18.94 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों की वसूली में हुई वृद्धि है, जो की वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,16,973 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,72,778 करोड़ हो गई। ✓ विविध पूंजीगत प्राप्तियों में 55.36 *प्रतिशत* की कमी आई, जिसका मुख्य कारण बोनस शेयर की वैल्यू और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण से होने वाली कमाई की प्राप्तियों में कमी थी।
ऋण प्राप्तियां	✓ ऋण प्राप्तियों में 6.89 *प्रतिशत,* मुख्य रूप से ट्रेजरी बिलों के माध्यम से, की वृद्धि हुई।
लोक लेखा प्राप्तियां	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 14.49 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लघु बचत, भविष्य निधि आदि से जुड़ी प्राप्तियों में 12.74 *प्रतिशत* की वृद्धि थी।

चित्र 2.5: वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

1	ऋण की अदायगी	85,00,779
2	लोक लेखा पर देनदारियों का निर्वहन	43,01,116
3	वास्तविक व्यय	50,85,089
	क) राजस्व व्यय	*39,87,374*
	ख) पूंजीगत व्यय	*8,58,256*
	ग) ऋण और अग्रिम	*2,39,459*
4	संघीय करों में राज्यों का हिस्सा	12,86,885
5	अंत नकद शेष	2,624
निधियों का कुल उपयोग		**1,91,76,493**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.6: वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना (संवितरण)

राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 3.46 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई ।			
	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	सहायता अनुदान
	7.30 *प्रतिशत* ↑	23.30 *प्रतिशत* ↓	6.77 *प्रतिशत* ↑	3.19 *प्रतिशत* ↓
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 6.33 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई ।			
	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं
	7.43 *प्रतिशत* ↑		30.34 *प्रतिशत* ↑	5.66 *प्रतिशत* ↑

ऋण की अदायगी	✓ ऋण की अदायगी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3.65 *प्रतिशत* की तुलना में 13.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से 14-दिन ट्रेजरी बिल की अधिक अदायगी के कारण हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹47,85,272 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹58,47,347 करोड़ हो गई।
लोक लेखा संवितरण	✓ लोक लेखा संवितरण में 7.29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें 41.62 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

उपरोक्त घटकों का विस्तृत विश्लेषण बाद के पैराग्राफों में किया गया है और बजटीय अनुमानों में भिन्नताओं को इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में प्रस्तुत किया गया है।

2.4 संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

केंद्र सरकार की सकल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां (कर और गैर-कर), गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री और ऋण और अग्रिम की वसूली से), लोक लेखा में उधार और प्राप्तियां (भविष्य निधि, लघु बचत आदि के रूप में जो सरकार एक ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करती है) शामिल हैं। **चित्र 2.7** वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में संसाधन अर्जन और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 2.7: संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां		ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल प्राप्तियां
	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां		
2020-21	24,59,510	67,820	81,62,910	28,48,879
2021-22	33,34,813	39,586	82,49,152	32,37,452
2022-23	36,61,673	82,307	88,64,893	29,21,888
2023-24	42,17,669	1,62,254	91,60,050	39,12,486
2024-25	47,09,323	1,92,992	97,91,620	44,79,326
** इसमें राज्यों को सौंपे गए करों और शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं (चालू वर्ष के लिए ₹12,86,885 करोड़)। चालू वर्ष में केंद्र को निवल राजस्व प्राप्तियां ₹34,22,438 करोड़ थी, जैसा कि **चित्र 2.2** में दिखाया गया है।*				
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (*प्रतिशत में*)				
अवधि	**सकल राजस्व प्राप्तियां**	**गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां**	**ऋण प्राप्तियां**	**लोक लेखे में सकल प्राप्तियां**
2020-21	-5.36	-1.70	11.80	33.37

2021-22	35.59	-41.63	1.06	13.64
2022-23	9.80	107.92	7.46	-9.75
2023-24	15.18	97.13	3.33	33.90
2024-25	11.66	18.94	6.89	14.49
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संसाधन				
अवधि	**सकल राजस्व प्राप्तियां**	**गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां**	**ऋण प्राप्तियां**	**लोक लेखों में सकल प्राप्तियां**
2020-21	12.39	0.34	41.11	14.35
2021-22	14.13	0.17	34.96	13.72
2022-23	14.02	0.32	33.94	11.19
2023-24	14.55	0.56	31.60	13.50
2024-25	14.81	0.61	30.78	14.08

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 18.94 *प्रतिशत*, सकल राजस्व प्राप्तियों में 11.66 *प्रतिशत* और ऋण प्राप्तियों में 6.89 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

सकल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14.81 *प्रतिशत* रही, जो पिछले पांच वर्षों में उच्चतम स्तर था, जबकि ऋण प्राप्तियां जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 30.78 *प्रतिशत* रही और पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम स्तर पर थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, सकल राजस्व प्राप्तियों और जीडीपी का अनुपात एक संकीर्ण दायरे में रहा है, जिसका औसत 13.98 *प्रतिशत* रहा।

2.5 राजस्व प्राप्तियां

चित्र 2.8 सकल और निवल दोनों प्रकार की राजस्व प्राप्तियों का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

चित्र 2.8: राजस्व प्राप्तियां: सकल और निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	**सकल कर राजस्व**	**राज्यों का हिस्सा**	**निवल कर राजस्व**	**गैर-कर राजस्व#**	**निवल राजस्व प्राप्तियां**	**सकल राजस्व प्राप्तियां**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5)**	**(6) = (4) + (5)**	**(7) = (2) + (5)**
2020-21	20,27,104	5,94,997	14,32,107	4,32,406	18,64,513	24,59,510
	82.42%			*17.58%*		

2021-22	27,09,315	8,98,392	18,10,923	6,25,498	24,36,421	33,34,813
	81.24%			*18.76%*		
2022-23	30,54,192	9,48,406	21,05,786	6,07,481	27,13,267	36,61,673
	83.41%			*16.59%*		
2023-24	34,65,519	11,29,494	23,36,025	7,52,150	30,88,175	42,17,669
	82.17%			*17.83%*		
2024-25	37,96,381	12,86,885	25,09,496	9,12,942	34,22,438	47,09,323
	80.61%			*19.39%*		

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।
नोट: प्रतिशत में आंकड़े सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में दर्शाये गए हैं।
 # इसमें बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान और योगदान शामिल हैं।

सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 82.17 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.61 *प्रतिशत* हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन 81.97 *प्रतिशत* सकल राजस्व प्राप्तियां सकल कर राजस्व से प्राप्त हुईं। सकल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17.83 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19.39 *प्रतिशत* हो गया।

2.5.1 कर राजस्व

कर राजस्व के दो घटक होते हैं - प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर आदि प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। सरकार के लिए संसाधन जुटाने के अलावा, कर समाज के संपन्न वर्गों से वंचित वर्गों तक धन/आय के संवितरण का भी एक साधन है।

चित्र 2.9 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों को दर्शाता है।

चित्र 2.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी*	अन्य
2020-21	20,27,104	4,57,719	4,70,633	1,34,750	3,89,667	5,51,542	22,793
2021-22	27,09,315	7,12,037	6,73,414	1,99,728	3,90,808	7,02,105	31,223
2022-23	30,54,192	8,25,834	8,08,221	2,13,371	3,19,000	8,53,901	33,865
2023-24	34,65,519	9,11,055	10,10,948	2,33,119	3,05,362	9,62,705	42,330

2024-25	37,96,381	9,86,767	11,82,964	2,33,201	3,00,253	10,32,436	60,760
स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।							
नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 'अन्य' में मुख्य रूप से प्रतिभूति लेनदेन कर (₹52,197 करोड़) और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (₹3,337 करोड़) शामिल हैं।							
****जीएसटी के आंकड़ों में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।***							
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि*(प्रतिशत में)*							
अवधि	**सकल कर राजस्व**	**निगम कर**	**आयकर**	**सीमा शुल्क**	**उत्पाद शुल्क**	**जीएसटी**	**अन्य**
2020-21	0.85	-17.81	-2.02	23.30	62.73	-8.35	2.14
2021-22	33.65	55.56	43.09	48.22	0.29	27.30	36.99
2022-23	12.73	15.98	20.02	6.83	-18.37	21.62	8.46
2023-24	13.47	10.32	25.08	9.26	-4.28	12.74	25.00
2024-25	9.55	8.31	17.02	0.04	-1.67	7.24	43.54
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
अवधि	**सकल कर राजस्व**	**निगम कर**	**आयकर**	**सीमा शुल्क**	**उत्पाद शुल्क**	**जीएसटी**	**अन्य**
2020-21	10.21	2.31	2.37	0.68	1.96	2.78	0.11
2021-22	11.48	3.02	2.85	0.85	1.66	2.98	0.13
2022-23	11.69	3.16	3.09	0.82	1.22	3.27	0.13
2023-24	11.96	3.14	3.49	0.80	1.05	3.32	0.15
2024-25	11.94	3.10	3.72	0.73	0.94	3.25	0.19

सकल कर राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, कोविड महामारी के दौरान आई आर्थिक मंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान ज़्यादातर एक सीमित दायरे में ही रहा है, और सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 11.46 *प्रतिशत* रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल कर राजस्व में 9.55 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जो आयकर (17.02 *प्रतिशत*), निगम कर (8.31 *प्रतिशत*) और जीएसटी (7.24 *प्रतिशत*) में वृद्धि के कारण हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 (13.47 *प्रतिशत*) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर घटकर 9.55 *प्रतिशत* रह गई। यह कमी मुख्य रूप से कर राजस्व के प्रमुख घटकों - निगम कर, आयकर और जीएसटी की वृद्धि दर में आई गिरावट के कारण हुई।

कोविड प्रभावित वर्ष 2020-21 (45.80 *प्रतिशत*) को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष करों (आयकर और निगम कर) का योगदान सकल करों में 50 *प्रतिशत* से अधिक रहा है। पिछले पांच वर्षों में सकल करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष

2024-25 में यह 57.15 *प्रतिशत* रहा, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 55.46 *प्रतिशत* से अधिक है। पिछले पांच वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में प्रत्यक्ष करों का योगदान बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह उच्चतम स्तर पर था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में प्रत्यक्ष करों का योगदान 6.82 *प्रतिशत* था, जबकि पिछले वर्ष यह 6.63 *प्रतिशत* था।

सकल कर राजस्व और जीडीपी दोनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर से प्राप्त राजस्व के संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आयकर का प्रत्यक्ष करों में योगदान 54.52 *प्रतिशत* रहा, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर से प्राप्त राजस्व में 17.02 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 8.31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, हालांकि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से सबसे कम वृद्धि दर थी। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, निगम कर वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग तीन *प्रतिशत* रहा है।

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न कर समाहित हो गए थे। पिछले पांच वर्षों में जीएसटी से राजस्व जीडीपी के औसतन लगभग तीन *प्रतिशत* पर स्थिर रहा, सिवाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के जब यह घटकर जीडीपी का 2.78 *प्रतिशत* रह गया था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.32 *प्रतिशत* से थोड़ा कम होकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.25 *प्रतिशत* हो गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, जीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.24 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से सबसे कम वृद्धि दर रही है।

2.5.1.1 उपकर और अधिभार के माध्यम से अर्जित राजस्व

सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए अतिरिक्त कर उपकर लगाती है। अधिभार कर पर लगाया जाने वाला कर है, लेकिन यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुसार, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को देय जीएसटी मुआवजा उपकर को छोड़कर, ये राजस्व धाराएं राज्यों के साथ विभाजित नहीं हैं।

चित्र 2.10: उपकर और अधिभार का संग्रह

(₹ करोड़ में)

अवधि	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क एवं अवसंरचना उपकर	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	अन्य	कुल उपकर संग्रह	कुल अधिभार संग्रह	कुल उपकर और अधिभार
2020-21	85,192	35,895	10,894	2,35,783	-	9,267	3,77,031	33,064	4,10,095
2021-22	1,04,769	52,750	19,354	1,95,987	76,951	1,548	4,51,359	40,758	4,92,117
2022-23	1,25,862	61,814	21,497	59,235	74,142	769	3,43,319	1,25,197	4,68,516
2023-24	1,41,436	71,159	18,803	44,553	80,924	1	3,56,876	1,31,440	4,88,316
2024-25	1,50,570	84,339	17,931	44,680	75,455	7	3,72,982	1,56,375	5,29,357

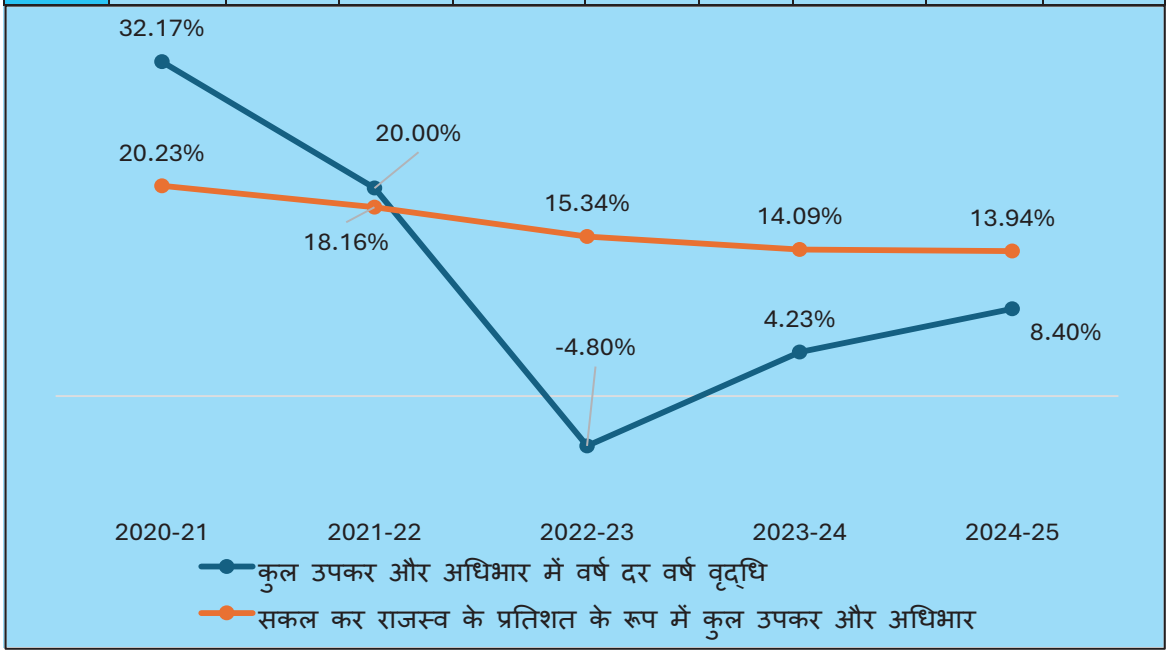

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए की विवरण संख्या 8।
नोट: 'अन्य' में कमी मुख्य रूप से 'निर्यात पर उपकर' में कमी के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल उपकर एवं अधिभार संग्रह ₹5,29,357 करोड़ रहा, जो सकल कर राजस्व का 13.94 *प्रतिशत* था और पिछले वर्ष की तुलना में 8.40 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है। सकल कर राजस्व में उपकर एवं अधिभार का योगदान पिछले पांच वित्तीय वर्षों से घट रहा है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.23 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.94 *प्रतिशत* हो गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (6.46 *प्रतिशत*) में उपकर संग्रह में वृद्धि देखी गई, जो वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू

आपूर्ति पर अधिक संग्रह के कारण हुई। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के अंतर्गत उपकर संग्रह में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 18.52 *प्रतिशत* वृद्धि हुई। तथापि, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर और कच्चे तेल पर उपकर में क्रमशः 6.76 *प्रतिशत* और 4.64 *प्रतिशत* की कमी आई। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का कुल संग्रह में 28.44 *प्रतिशत* का योगदान रहा और मार्च 2026 तक इसे समाप्त किए जाने की उम्मीद है।

2.5.2 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, न्यायपालिका और पुलिस से आय, रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों और अन्य द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क आदि शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल गैर-कर राजस्व में 21.38 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व की संरचना **चित्र 2.11** में दी गई है।

चित्र 2.11: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व (एनटीआर)	कुल एनटीआर, जीआरआर* के % के रूप में	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश और लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	अन्य
2020-21	4,32,406	17.58%	59,540	96,889	3,878	2,29,491	42,608
2021-22	6,25,498	18.76%	46,178	1,60,653	4,901	3,46,372	67,394
2022-23	6,07,481	16.59%	59,564	99,922	7,032	3,81,472	59,491
2023-24	7,52,150	17.83%	78,674	1,70,891	7,825	4,28,371	66,389
2024-25	9,12,942	19.39%	91,790	3,08,436	7,014	4,35,326	70,376

*स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए। *जीआरआर - सकल राजस्व प्राप्तियां।*

नोट 1: कुल गैर-कर राजस्व में बाहरी एजेंसियों से प्राप्त सहायता अनुदान और योगदान शामिल हैं।

नोट 2: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 'आर्थिक सेवाओं' में मुख्य रूप से भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन्स (₹2,62,262 करोड़), अन्य संचार सेवाएं (₹84,794 करोड़), सड़कें और पुल (₹32,275 करोड़), पेट्रोलियम (₹16,493 करोड़), डाक प्राप्तियां (₹11,425 करोड़) और विद्युत (₹6,598 करोड़) से प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट 3: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 'अन्य' में राजकोषीय सेवाएं (₹2,056 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹67,633 करोड़) और सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹687 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक सेवाओं (47.68 *प्रतिशत*), लाभांश और लाभ से प्राप्त हुआ जोकि 33.78 *प्रतिशत* था, जबकि ब्याज से प्राप्त राजस्व 10.05 *प्रतिशत* था। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में

गैर-कर राजस्व में ₹1,60,792 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से लाभांश और लाभ (₹1,37,545 करोड़) और ब्याज से प्राप्त राजस्व (₹13,116 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिशेष लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्तियों में ₹1,23,458 करोड़ की वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹87,416 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,10,874 करोड़) के कारण लाभांश और लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 80.49 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में 16.67 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार ऋणों पर प्रीमियम की उच्चतम प्राप्तियों में ₹13,055 करोड़ की वृद्धि थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार को 106 संस्थाओं से ₹3,08,436 करोड़ का लाभांश और लाभ प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 103 संस्थाओं से ₹1,70,891 करोड़ प्राप्त हुए, जैसा कि **चित्र 2.12** में दिखाया गया है।

चित्र 2.12: लाभांश और लाभ की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का हिस्सा	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का हिस्सा	अन्य से लाभांश*	कुल लाभांश और लाभ
2020-21	57,128	39,497	0	264	96,889
2021-22	99,122	59,120	2,231	180	1,60,653
2022-23	30,307	59,735	8,738	1,142	99,922
2023-24	87,416	63,827	13,807	5,841	1,70,891
2024-25	2,10,874	74,092	18,013	5,457	3,08,436

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

** वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अन्य से प्राप्त लाभांश में एलआईसी से लाभ के हिस्से से ₹3,662 करोड़, आईडीबीआई से अधिशेष लाभ के हिस्से से ₹733 करोड़ और अन्य निवेशों से लाभांश से ₹1,062 करोड़ शामिल हैं।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त लाभांश और लाभ में से केवल आरबीआई से प्राप्त अधिशेष (₹2,10,874 करोड़) का हिस्सा इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का 68.37 *प्रतिशत* था। लाभांश देने वाली अन्य प्रमुख संस्थाओं में राष्ट्रीयकृत बैंक (₹18,013 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹10,252 करोड़), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (₹10,002 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹5,014 करोड़), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹5,091 करोड़) आदि शामिल थीं। गैर-कर राजस्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.49 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25

में 8.12 *प्रतिशत* हो गया, तथापि, यह निरपेक्ष रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹63,827 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹74,092 करोड़ हो गया।

2.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त आय और राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय शामिल हैं।

चित्र 2.13: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऋण और अग्रिम की वसूली	विविध पूंजीगत प्राप्तियां			कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां
		विनिवेश से प्राप्तियां	राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्तियां	अन्य	
2020-21	29,923	29,720	5,011	3,166	67,820
2021-22	24,948	8,432	1,011	5,195	39,586
2022-23	36,272	30,184	10,662	5,189	82,307
2023-24	1,16,973	15,220	15,968	14,093	1,62,254
2024-25	1,72,778	7,810	6,661	5,743	1,92,992

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 'अन्य' में बोनस शेयरों का मूल्य (₹3,012 करोड़), भूमि का मुद्रीकरण (₹320 करोड़), अन्य प्राप्तियां (₹2,397 करोड़) और वित्तीय परिसंपत्तियों (शत्रु संपत्तियों) की बिक्री (₹14 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, विविध पूंजीगत प्राप्तियों में 55.36 *प्रतिशत* की कमी आई, जिसका मुख्य कारण बोनस शेयरों के मूल्य से प्राप्तियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त राशि में कमी होना था। इसके अतिरिक्त, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियों में 48.69 *प्रतिशत* की भारी गिरावट आई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹15,220 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹7,810 करोड़ रह गई है। ये प्राप्तियां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (₹3,449 करोड़), जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (₹2,346 करोड़) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (₹2,015 करोड़) से प्राप्त हुई। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय में भी 58.29 *प्रतिशत* की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹15,968 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹6,661 करोड़ हो गई)।

2.6.1 ऋण और अग्रिम की वसूली

राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक विशेष उधार व्यवस्था की स्थापना की थी। राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस व्यवस्था के माध्यम से बाजार से ₹2,69,208[2] करोड़ की राशि उधार ली गई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक आधार पर ऋण के रूप में दी गई, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष राशि के कारण क्षतिपूर्ति जारी न करने के कारण संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद मिल सके। उपरोक्त ऋण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य शीर्ष 7601/7602 (ऋण और अग्रिम) के माध्यम से दिए गए, जो दर्शाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से ऋण वसूली योग्य थे। तथापि, इन ऋणों का भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाना था, न कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से।

कुल ₹2,69,208 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण में से ₹1,23,604 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय थी और इसकी अदायगी इसी वर्ष के दौरान की गई। ऋण की अदायगी वास्तव में संघ सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से की गई थी। तथापि, लेखों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूली योग्य दिखाए गए ऋणों को कम करने के लिए, ₹1,23,604 करोड़ की राशि को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूला हुआ दिखाया गया। इस प्रकार, ₹1,23,604 करोड़ की राशि वास्तव में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूल नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक समायोजन प्रविष्टि थी। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹78,104 करोड़ की समायोजन प्रविष्टि की गई थी। इस समायोजन प्रविष्टि के कारण, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में 47.71 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई।

यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैक-टू-बैक ऋणों की वसूली को छोड़ दिया जाए, तो वसूल की गई राशि ₹38,869 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24) और ₹49,174 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25) होगी, जो 26.51 *प्रतिशत* की वृद्धि होगी।

[2] वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹1,10,208 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹1,59,000 करोड़।

2.7 व्यय

2.7.1 प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत की संचित निधि से संवितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 10.32 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल ₹1,78,86,984 करोड़ के संवितरण में से 75.95 *प्रतिशत* भारत की संचित निधि से और शेष 24.05 *प्रतिशत* लोक लेखों[3] से हुआ।

चित्र 2.14: संवितरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व व्यय (आरई)	33,14,852 (32.85)	34,68,189 (31.78)	37,83,698 (32.20)	38,54,082 (31.30)	39,87,374 (29.35)
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,42,949 (3.40)	5,38,140 (4.93)	6,24,757 (5.32)	8,07,180 (6.55)	8,58,256 (6.32)
ऋण और अग्रिम (एलए)	2,49,846 (2.47)	2,32,205 (2.13)	1,42,059 (1.21)	1,91,310 (1.55)	2,39,459 (1.76)
कुल व्यय (आरई+सीई+एलए)	**39,07,647**	**42,38,534**	**45,50,514**	**48,52,572**	**50,85,089**
लोक ऋण की अदायगी	61,84,635 (61.28)	66,45,468 (60.89)	71,99,701 (61.27)	74,62,493 (60.60)	85,00,779 (62.57)
आकस्मिक निधि में अंतरण	-	29,500 (0.27)	-	-	-
सीएफआई से संवितरण	**1,00,92,282**	**1,09,13,502**	**1,17,50,215**	**1,23,15,065**	**1,35,85,868**
लोक लेखा से संवितरण	28,44,653	30,81,152	28,30,518	40,08,694	43,01,116
कुल संवितरण	**1,29,36,935**	**1,39,94,654**	**1,45,80,733**	**1,63,23,759**	**1,78,86,984**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीएफआई से संवितरण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

चित्र 2.14 दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और लोक ऋण की अदायगी में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। तथापि,

[3] सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अलावा, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन भारत के लोक लेखे में जमा किए जाएंगे। प्राप्तियां और व्यय जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, उन्हें लोक लेखे में शामिल किया जाता है।

सीएफआई से किए गए संवितरण में राजस्व व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32.85 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29.35 *प्रतिशत* हो गया है।

चित्र 2.15 दर्शाता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण की अदायगी और सीएफआई से ब्याज भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा, लोक ऋण की कुल अदायगी राशि (₹85,00,779 करोड़) में से ₹74,39,262 करोड़ (87.51 *प्रतिशत*) टी-बिल के मद में थी, जो एक अल्पकालिक साधन है और जिसका भुगतान एक वर्ष के भीतर किया जाता है।

चित्र 2.15: सीएफआई संवितरण में लोक ऋण की अदायगी और ब्याज भुगतान का हिस्सा

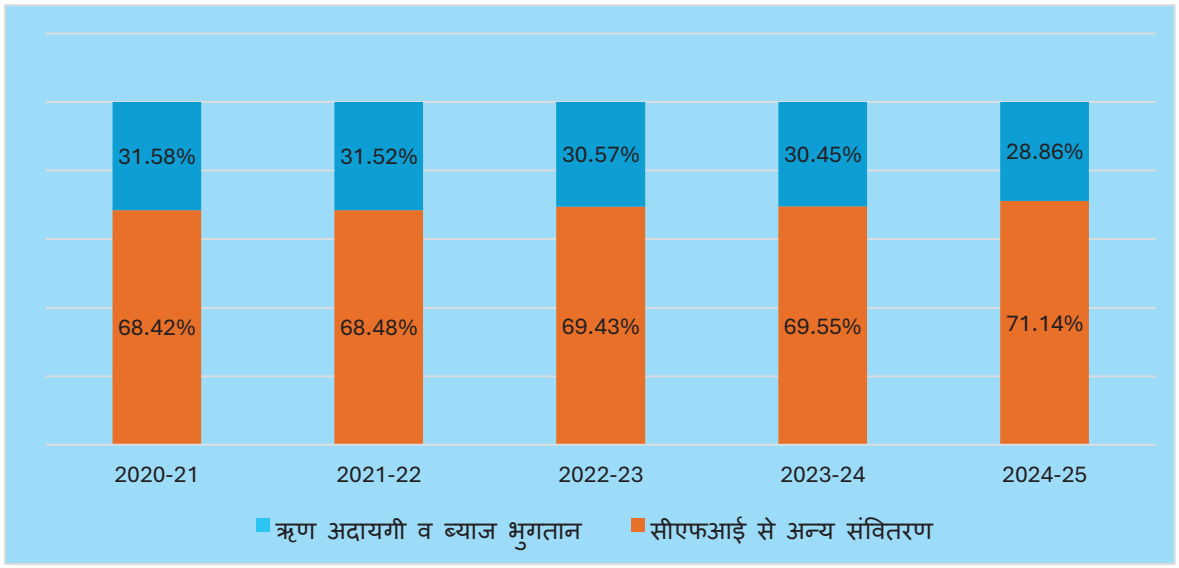

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी व्यय **(चित्र 2.16)** पिछले पांच वर्षों से घट रहा है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19.68 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15.99 *प्रतिशत* हो गया जो कि पिछले पांच वर्षों में सबसे कम रहा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में गिरावट का असर राजस्व व्यय में भी दिखाई दिया। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के 1.73 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.78 *प्रतिशत* हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह थोड़ा घटकर 2.70 *प्रतिशत* रह गया।

चित्र 2.16: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय

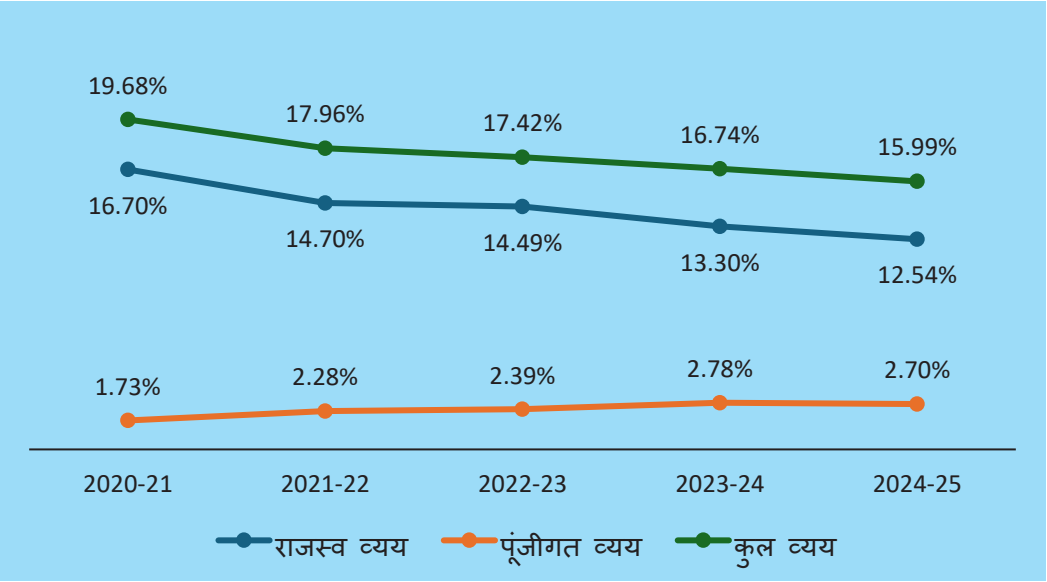

2.7.2 क्षेत्रीय व्यय

सीएफआई के विभिन्न क्षेत्रों {(प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा), व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा), प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा), व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा), लोक ऋण आदि)} में होने वाले लेन-देन का लेखा-जोखा किया जाता है और उन्हें क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) के अंतर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और सहायता अनुदान एवं अंशदान आते हैं, और व्यय शीर्ष के अंतर्गत सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और सहायता अनुदान और अंशदान आते हैं। व्यय शीर्ष के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों या सेवाओं को एक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है (जैसे सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास)।

चित्र 2.17 में क्षेत्रीय व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में क्रमशः 7.31 *प्रतिशत* और 6.38 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जो सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 18.73 *प्रतिशत* की गिरावट आने से प्रतिसंतुलित हो गया, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में राजस्व व्यय में कमी थी।

चित्र 2.17: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय व्यय		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	राजस्व व्यय	12,96,967	14,82,119	16,79,263	18,78,933	20,16,116
	पूंजीगत व्यय	1,42,949	1,54,053	1,61,551	1,77,839	1,91,056
	ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0
	उप-योग	**14,39,916**	**16,36,172**	**18,40,814**	**20,56,772**	**22,07,172**
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	**7.66**	**13.63**	**12.51**	**11.73**	**7.31**
	जीडीपी के % के रूप में	7.25	6.93	7.05	7.10	6.94
सामाजिक सेवाएं	राजस्व व्यय	1,71,271	2,66,367	2,13,780	2,53,336	1,94,316
	पूंजीगत व्यय	7,611	10,099	12,676	9,173	11,956
	ऋण और अग्रिम	6,992	18,942	16,654	18,530	22,131
	उप-योग	**1,85,874**	**2,95,408**	**2,43,110**	**2,81,039**	**2,28,403**
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	**16.09**	**58.93**	**-17.70**	**15.60**	**-18.73**
	जीडीपी के % के रूप में	0.94	1.25	0.93	0.97	0.72
आर्थिक सेवाएं	राजस्व व्यय	12,61,988	10,97,901	12,32,621	11,04,681	11,79,476
	पूंजीगत व्यय	1,92,388	3,73,988	4,50,530	6,20,168	6,55,244
	ऋण और अग्रिम	93,364	16,381	15,155	30,126	32,301
	उप-योग	**15,47,740**	**14,88,270**	**16,98,306**	**17,54,975**	**18,67,021**
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	**55.71**	**-3.84**	**14.11**	**3.34**	**6.38**
	जीडीपी के % के रूप में	7.80	6.31	6.50	6.05	5.87
सहायता अनुदान और अंशदान	राजस्व व्यय	5,84,627	6,21,802	6,58,035	6,17,132	5,97,466
	उप-योग	**5,84,627**	**6,21,802**	**6,58,035**	**6,17,132**	**5,97,466**
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	**10.16**	**6.36**	**5.83**	**-6.22**	**-3.19**
	जीडीपी के % के रूप में	2.94	2.64	2.52	2.13	1.88
कुल योग		**37,58,157**	**40,41,652**	**44,40,265**	**47,09,918**	**49,00,062**
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)		**24.35**	**7.54**	**9.86**	**6.07**	**4.04**

जीडीपी के % के रूप में	**18.93**	**17.13**	**17.00**	**16.25**	**15.41**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विदेशी सरकारों (₹810 करोड़), राज्य और संघ सरकारों (₹1,84,038 करोड़), और सरकारी कर्मचारियों (₹180 करोड़) को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

2.7.3 राजस्व व्यय

सरकार सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक कामकाज, विभिन्न सेवाओं, वेतन, अपने द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए राजस्व व्यय करती है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों और अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह परिसंपत्तियां उसके स्वामित्व में नहीं होती हैं। संघ सरकार द्वारा किया गया राजस्व व्यय उसकी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है।

चित्र 2.18: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

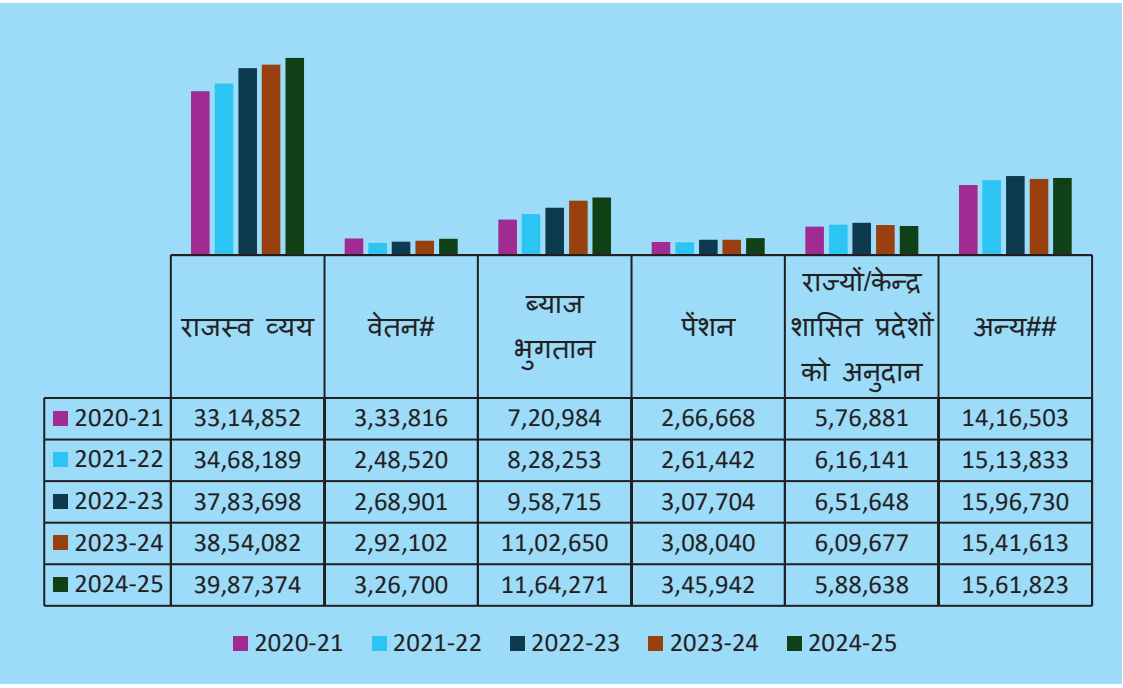

	राजस्व व्यय	वेतन#	ब्याज भुगतान	पेंशन	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान	अन्य##
2020-21	33,14,852	3,33,816	7,20,984	2,66,668	5,76,881	14,16,503
2021-22	34,68,189	2,48,520	8,28,253	2,61,442	6,16,141	15,13,833
2022-23	37,83,698	2,68,901	9,58,715	3,07,704	6,51,648	15,96,730
2023-24	38,54,082	2,92,102	11,02,650	3,08,040	6,09,677	15,41,613
2024-25	39,87,374	3,26,700	11,64,271	3,45,942	5,88,638	15,61,823

स्रोत: # वित्तीय 2026-27 के लिए व्यय प्रोफ़ाइल का विवरण 22; ## अन्य में रक्षा, रेलवे, विविध सामान्य सेवाएं आदि पर व्यय शामिल हैं (पेंशन के अलावा)।

2.7.3.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के तीन घटक अर्थात ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का गठन करते हैं। इनमें से ब्याज भुगतान का हिस्सा सबसे अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय का 29.20 *प्रतिशत* और पिछले पांच वर्षों में औसतन 25.76 *प्रतिशत* रहा है। इसके बाद पेंशन और वेतन पर व्यय आता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बढ़ गया है, जिससे विवेकाधीन व्यय की संभावना कम रहती है।

क) ब्याज भुगतान

चित्र 2.19: राजस्व व्यय और प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	कुल व्यय (टीई)	आईपी का विकास	आरआर में आईपी का हिस्सा	आरई में आईपी का हिस्सा	टीई में आईपी का हिस्सा
	(₹ करोड़ में)				*(प्रतिशत में)*			
2020-21	7,20,984	18,64,513	33,14,852	39,07,647	*10.01*	*38.67*	*21.75*	*18.45*
2021-22	8,28,253	24,36,421	34,68,189	42,38,534	*14.88*	*33.99*	*23.88*	*19.54*
2022-23	9,58,715	27,13,267	37,83,698	45,50,514	*15.75*	*35.33*	*25.34*	*21.07*
2023-24	11,02,650	30,88,175	38,54,082	48,52,572	*15.01*	*35.71*	*28.61*	*22.72*
2024-25	11,64,271	34,22,438	39,87,374	50,85,089	*5.59*	*34.02*	*29.20*	*22.90*

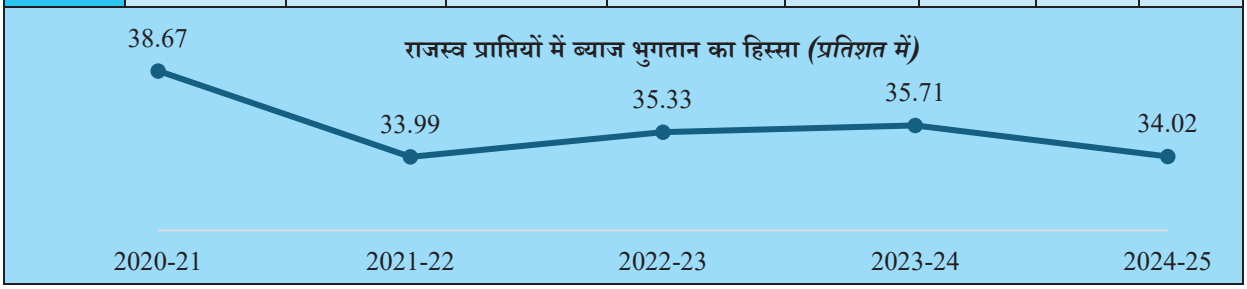

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.20: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

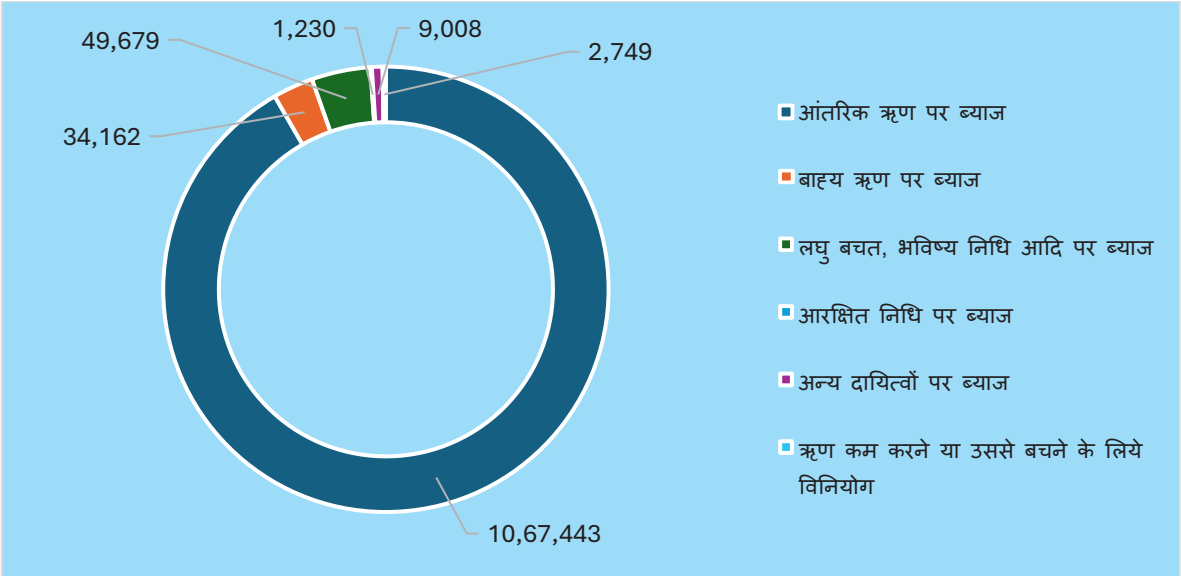

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आंतरिक ऋण पर ब्याज में 5.62 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹10,10,671 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹10,67,443 करोड़), बाह्य ऋण पर ब्याज में 15.35 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹29,617 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹34,162 करोड़)। लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹48,713 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹49,679 करोड़ हो गया। आरक्षित निधियों पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,112 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,230 करोड़ हो गया।

ख) पेंशन भुगतान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹3,08,040 करोड़ से बढ़कर ₹3,45,942 करोड़ हो गया, जो 12.30 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है जैसा **चित्र 2.21** में दर्शाया गया है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय में यह वृद्धि रक्षा और सिविल पेंशन के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में संघ सरकार के कुल पेंशन व्यय में रक्षा पेंशन का हिस्सा 45.57 *प्रतिशत* है, इसके बाद सिविल पेंशन का हिस्सा 33.57 *प्रतिशत* है।

चित्र 2.21: पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
2020-21	1,28,066	80,407	48,435	9,760	2,66,668
2021-22	1,16,800	82,146	51,935	10,561	2,61,442
2022-23	1,53,407	88,192	55,034	11,071	3,07,704
2023-24	1,42,093	96,235	58,038	11,674	3,08,040
2024-25	1,57,653	1,16,119	60,203	11,967	3,45,942

स्रोत: सिविल और रक्षा पेंशन के लिए आंकड़े संबंधित वर्ष के वित्त लेखों (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे और डाक के लिए आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

2.7.3.2 सब्सिडी

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सब्सिडी राजस्व व्यय का 10.63 *प्रतिशत* थी। **चित्र 2.22** में संघ सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 2.22: संघ सरकार के बजट में सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक (यूरिया)	उर्वरक (पोषक तत्व आधारित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य*	कुल सब्सिडी
2020-21	5,41,330	90,549	37,372	36,755	48,930	7,54,936
2021-22	2,88,969	1,00,988	52,770	3,421	56,078	5,02,226
2022-23	2,72,802	1,65,217	86,122	6,817	38,957	5,69,915
2023-24	2,11,814	1,23,092	65,199	12,240	22,552	4,34,897
2024-25	1,99,867	1,20,880	52,810	14,479	35,992	4,24,028

स्रोत: सीजीए कार्यालय से प्राप्त सब्सिडी विवरण।

**अन्य में ब्याज सब्सिडी जैसे संशोधित ब्याज अनुदान योजना, ब्याज समतुल्यकरण योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, कृषि अवसंरचना निधि आदि शामिल हैं, और अन्य योजनाएं जैसे मूल्य स्थिरीकरण निधि, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना,चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए योजना, इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना आदि शामिल हैं।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, संघ सरकार की प्रमुख सब्सिडी खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर थी, जो कुल सब्सिडी का क्रमशः 47.14 *प्रतिशत* और 40.96 *प्रतिशत* थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सब्सिडी पर कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2.50 *प्रतिशत* कम हो गया, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर सब्सिडी में कमी थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 5.64 *प्रतिशत* और 7.75 *प्रतिशत* की कमी आई।

कुल मिलाकर, राजस्व व्यय में सब्सिडी पर होने वाले व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22.77 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.63 *प्रतिशत* हो गया।

2.7.3.3 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

चित्र 2.23: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवधि	राज्यों को सहायता अनुदान				विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान		
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	वित्त आयोग अनुदान	अन्य	राज्यों को कुल सहायता अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	अन्य	केंद्र शासित प्रदेशों को कुल सहायता अनुदान
2020-21	2,08,395	1,84,062	1,33,757	**5,26,214**	7,886	42,781	**50,667**
2021-22	2,40,383	2,07,435	1,17,195	**5,65,013**	5,724	45,404	**51,128**
2022-23	2,47,748	1,72,760	1,59,735	**5,80,243**	7,051	64,354	**71,405**
2023-24	2,38,796	1,48,522	1,52,646	**5,39,964**	9,001	60,712	**69,713**
2024-25	2,42,276	1,21,578	1,58,548	**5,22,402**	9,438	56,797	**66,235**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.23 से देखा जा सकता है कि राज्यों को मिलने वाली कुल सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹5,26,214 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5,22,402 करोड़ हो गई। इसी अवधि में, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹50,667 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹66,235 करोड़ हो गई।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹2,47,797 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,51,714 करोड़ हो गया (1.58 *प्रतिशत* की वृद्धि)। वित्त आयोग के अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹1,84,062 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,21,578 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.14 *प्रतिशत* की कमी दर्शाती है। वित्त आयोग के अनुदान में यह कमी मुख्य रूप से अंतरण के बाद राजस्व घाटे के अनुदान में कमी के कारण हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹51,673 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹24,483 करोड़)।

2.7.4 पूंजीगत व्यय

सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में रक्षा सेवाओं, पुलिस, लोक निर्माण, सीमा शुल्क, प्रशासनिक सेवाओं, चुनाव आदि पर पूंजीगत व्यय शामिल है।

सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाएं आदि पर पूंजीगत व्यय शामिल है।

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य जीवन, खाद्य, भंडारण और भंडारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, बिजली, पेट्रोलियम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण और लघु उद्योग, उद्योग और खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश आदि पर पूंजीगत व्यय शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संघ सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹8,58,256 करोड़ था। हमने पाया कि पिछले वर्ष की तुलना में कैपेक्स में 6.33 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कैपेक्स 16.88 *प्रतिशत* था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कैपेक्स 2.70 *प्रतिशत* रहा।

चित्र 2.24: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	**1,42,949**	**1,54,053**	**1,61,551**	**1,77,839**	**1,91,056**
रक्षा सेवाएं	1,34,305	1,37,987	1,42,940	1,54,256	1,59,768
अन्य	8,644	16,066	18,611	23,583	31,288
सामाजिक सेवाएं	**7,611**	**10,099**	**12,676**	**9,173**	**11,956**
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवासन और शहरी विकास	3,059	6,078	8,608	6,063	8,389
अन्य	4,552	4,021	4,068	3,110	3,567
आर्थिक सेवाएं	**1,92,389**	**3,73,988**	**4,50,530**	**6,20,168**	**6,55,244**
परिवहन	1,22,734	2,97,767	3,71,258	5,15,094	5,46,194

सामान्य आर्थिक सेवाएं	46,837	40,937	1,272	19,832	4,299
अन्य	22,818	35,284	78,000	85,242	1,04,751
कुल	**3,42,949**	**5,38,140**	**6,24,757**	**8,07,180**	**8,58,256**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

परिवहन और रक्षा सेवाएं पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय के दो प्रमुख प्रेरक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन क्षेत्र (आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत) में भारी पूंजीगत व्यय उल्लेखनीय रूप से दर्ज किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 345.02 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और यह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन पर 743.51 *प्रतिशत* (वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹29,910 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,52,293 करोड़) और सड़कों और पुलों पर 216.05 *प्रतिशत* (वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹92,524 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,92,424 करोड़) की उच्चतर पूंजीगत व्यय के कारण हुई है। परिवहन सेवाओं में पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय का 63.64 *प्रतिशत* है, जो यह दर्शाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास गुणक के रूप में अवसंरचना क्षेत्र को महत्व दे रही है।

2.8 संघ सरकार की देनदारियां

यूजीएफए की विवरण संख्या 2 संघ सरकार की ऋण स्थिति का सारांश प्रदान करती है। **चित्र 2.25** यूजीएफए में दर्शाई गई संघ सरकार की बकाया देनदारियों पर चर्चा करता है।

चित्र 2.25: संघ सरकार की बकाया देनदारियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण	मार्च के अंत में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां और जमा	संघ सरकार की देनदारियां (यूजीएफए के अनुसार)
2020-21	99,09,543	6,14,829	14,27,324	3,33,948	1,22,85,644
2021-22	1,14,62,343	6,58,334	12,24,452	4,19,765	1,37,64,894
2022-23	1,30,73,732	7,48,456	11,18,661	5,38,137	1,54,78,986
2023-24	1,46,98,177	7,96,078	10,75,243	6,38,411	1,72,07,909
2024-25	1,59,25,949	8,74,300	9,53,433	7,84,818	1,85,38,500

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक संघ सरकार की देनदारियों में लगातार 10 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट

आई और वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में इसमें 7.73 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। धीमी वृद्धि का कारण लघु बचत निधि, भविष्य निधि आदि के प्रति देनदारी में ₹1,21,810 करोड़ की कमी थी। यह मुख्य रूप से विशेष जमा और लेखों (अर्थात भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी निधि, एफसीआई को जारी विशेष प्रतिभूतियां, पेट्रोलियम बांड आदि) के कारण देनदारी में ₹47,902 करोड़ की कमी के कारण हुई।

यूजीएफए का विवरण 14 आंतरिक और बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति बताता है, जो मिलकर संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं और सीएफआई में सुरक्षित होते हैं। आंतरिक ऋण में मुख्य रूप से बाजार ऋण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, एनएसएसएफ को जारी संघ सरकार की विशेष प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय निकायों से प्राप्त ऋणों को दर्शाता है।

2.8.1 आंतरिक ऋण

चित्र 2.26: आंतरिक ऋण - संरचना और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल	जारी प्रतिभूतियां	प्रतिकर और अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
2020-21	71,35,144	8,96,526	17,50,819	72,906	54,148	99,09,543
2021-22	80,26,725	9,73,964	23,07,666	85,643	68,345	1,14,62,343
2022-23	91,25,233	10,37,297	26,90,149	80,815	1,40,238	1,30,73,732
2023-24	1,02,12,883	11,39,179	31,43,909	64,823	1,37,383	1,46,98,177
2024-25	1,11,42,466	9,79,025	35,75,256	68,881	1,60,321	1,59,25,949

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार वित्त खातों का विवरण 14।

नोट: 'जारी प्रतिभूतियों' में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, डाक जीवन बीमा, विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। 'प्रतिकर और अन्य बांड' में 10 प्रतिशत राहत बांड भी शामिल हैं। 'अन्य' में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड आदि शामिल हैं।

चित्र 2.26 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संघ सरकार का कुल आंतरिक ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.35 *प्रतिशत* बढ़ गया। बाजार ऋण इसका प्रमुख घटक था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल आंतरिक ऋण का 69.96 *प्रतिशत* था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने ₹15,25,794 करोड़ के अतिरिक्त बाजार ऋण जुटाए, जबकि ₹5,96,583 करोड़ के ऋण भी चुकाए गए।

चित्र 2.27: बाजार ऋणों की पूर्ण समयावधि की प्रोफाइल (रुपरेखा)

(₹ करोड़ में)

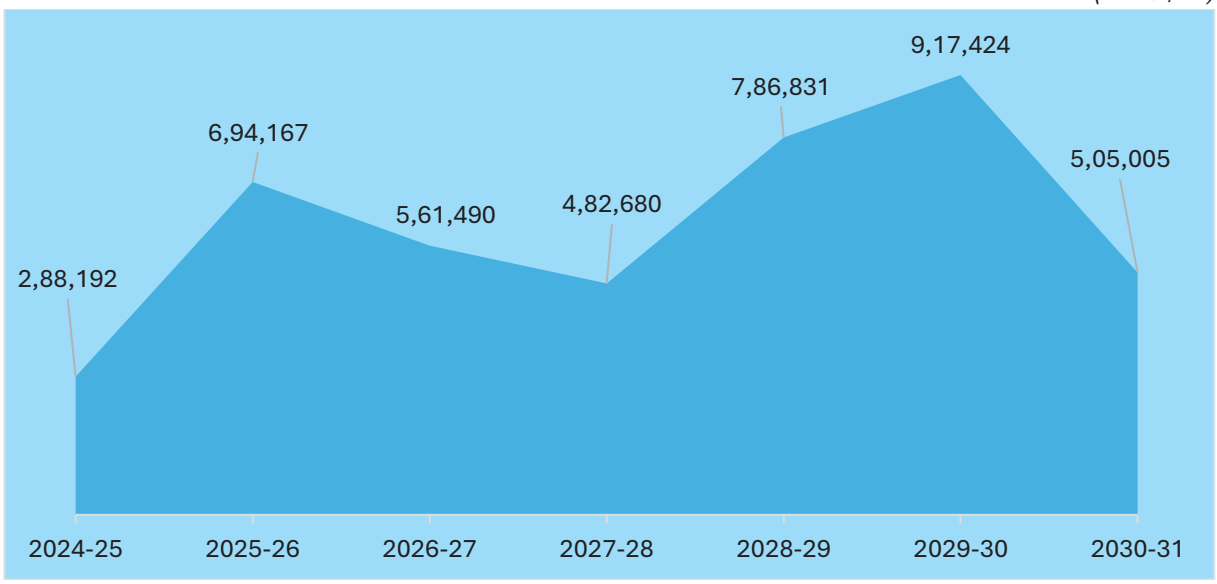

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों का विवरण 14क।

31 दिसंबर 2031 तक चुकाए जाने वाले बाजार ऋणों की राशि ₹42,35,789 करोड़ (बकाया बाजार ऋणों का 38.01 *प्रतिशत*) है, जैसा कि **चित्र 2.27** में दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण राशि (दिसंबर 2031 तक चुकाए जाने वाली राशि का 40.23 *प्रतिशत*) वित्तीय वर्ष 2028-29 (18.58 *प्रतिशत*) और वित्तीय वर्ष 2029-30 (21.66 *प्रतिशत*) में परिपक्व होगी।

2.8.2 बाह्य ऋण

चित्र 2.28 दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बाह्य ऋण में ऐतिहासिक[4] दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.56 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जो वर्तमान[5] दर पर 9.83 *प्रतिशत* है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुटाए गए बाह्य ऋण की समीक्षा से पता चला कि बाह्य ऋण के तीन सबसे बड़े स्रोत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (₹31,042 करोड़), जापान सरकार (₹27,894 करोड़) और एशियाई विकास बैंक (₹27,680 करोड़) से लिए गए ऋण थे।

[4] उस समय की मुद्रा विनिमय दर जब ऋण का प्रारंभिक अनुबंध किया गया था।

[5] 31 मार्च 2025 को संबंधित मुद्रा पर लागू विनिमय दर।

चित्र 2.28: बाह्य ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण
2020-21	3,88,472	6,14,829
2021-22	4,39,355	6,58,334
2022-23	4,93,157	7,48,456
2023-24	5,66,269	7,96,078
2024-25	6,31,733	8,74,300

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

2.8.3 लोक ऋण प्राप्तियां और अदायगी

चित्र 2.29 पिछले पांच वर्षों के लोक ऋण की प्राप्तियों और अदायगी को दर्शाता है। लोक ऋण की अदायगी और शोधन कुल लोक ऋण प्राप्तियों के 83.77 *प्रतिशत* से 98.07 *प्रतिशत* तक रही। इससे पता चलता है कि लोक ऋण का एक बड़ा हिस्सा पिछले ऋणों की अदायगी और शोधन के लिये प्रतिबद्ध है।

चित्र 2.29: लोक ऋण प्राप्तियां और अदायगी

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण की अदायगी और शोधन		बाह्य ऋण की अदायगी और शोधन		लोक ऋण की कुल अदायगी और शोधन	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कॉलम 6 से कॉलम 7 का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	(2+3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-21	61,49,920	6,44,829	34,715	8,204	68,37,668	81,62,910	83.77
2021-22	66,09,686	7,52,200	35,782	7,053	74,04,721	82,49,152	89.76
2022-23	71,59,772	8,84,099	39,929	12,667	80,96,467	88,64,893	91.33
2023-24	74,15,176	10,10,671	47,317	29,617	85,02,781	91,60,050	92.82
2024-25	84,45,341	10,67,443	55,438	34,162	96,02,384	97,91,620	98.07

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

2.9 लोक लेखा देयताएं

भारत की संचित निधि में जमा किए जाने वाले धन के अलावा भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी लोक धन, भारत के लोक लेखा[6] में जमा किया जाता है। लोक लेखा देनदारियों के मामले में, सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है और निहित अनुबंध/घटना के पूरा होने के बाद मांग पर धन वापस करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आरक्षित निधि और जमा में पिछले वर्ष की तुलना में 22.93 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

इन लेन-देनों का सारांश यूजीएफए के विवरण 13, 14 और 16 में दिया गया है। 31 मार्च 2025 को कुल लोक लेखा देनदारियां ₹17,38,251 करोड़ थी, जिसमे से एनएसएसएफ और आरक्षित निधियां और जमा खातों का हिस्सा 63.90 *प्रतिशत* **(चित्र 2.30)** था।

चित्र 2.30: 31 मार्च 2025 को लोक लेखा देयताएं

(₹ करोड़ में)

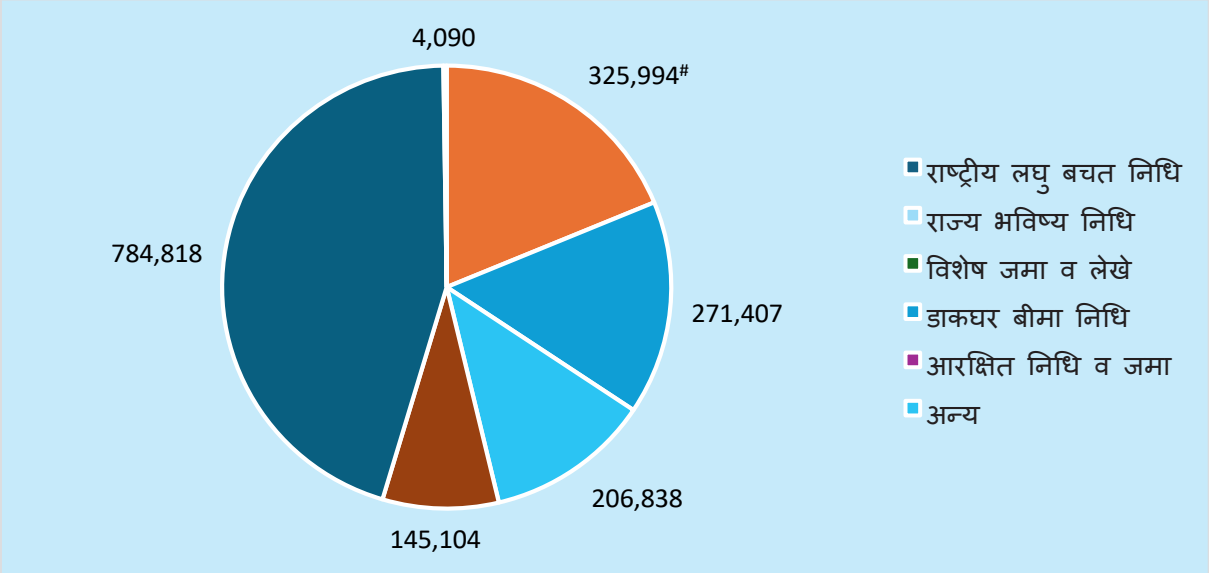

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

 # एनएसएसएफ की कुल देनदारी ₹34,86,676 करोड़ है। इसमें से ₹31,60,682 करोड़ का ऋण संघ सरकार को दिया गया था, जो आंतरिक ऋण का हिस्सा है। इसलिए, यहां केवल ₹3,25,994 करोड़ (34,86,676 - 31,60,682) दिखाया गया हैं।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि

राष्ट्रीय लघु बचत निधि[7] (एनएसएसएफ) में डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाते, डाकघर

[6]भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 का खंड (2)।

[7] राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा एवं निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत गठित इस निधि में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष शामिल हैं: मुख्य शीर्ष: 8001 - बचत जमा; मुख्य शीर्ष: 8002 - बचत प्रमाणपत्र; मुख्य शीर्ष: 8006 - लोक भविष्य निधि; मुख्य शीर्ष: 8007 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश, तथा मुख्य शीर्ष: 8008 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि की आय और व्यय।

प्रमाणपत्र जैसे बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि जैसे बचत जमा शामिल हैं। एनएसएसएफ की कुल देनदारियाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹31,47,691 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹34,86,676 करोड़ हो गई, जो 10.77 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाती है। निवल संग्रह को केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2025 को, एनएसएसएफ में ₹3,987 करोड़ का डेबिट शेष था।

आरक्षित निधियां

सरकार द्वारा आरक्षित निधियों में रखी गई राशि लोक लेखा का हिस्सा होती है और विशिष्ट उद्देश्यों जैसे सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा आदि पर व्यय समर्पित आरक्षित निधि के माध्यम से किया जाता है। ये निधि सरकार की नहीं होती हैं और अंततः इन्हें जमाकर्ताओं या संबंधित देनदार को वापस करना होता है। यूजीएफए में आरक्षित निधियां उपकर, लेवी और शुल्क के संग्रह और उपयोग के लेखांकन के लिए होती हैं, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्रित किया जाता है।

लोक लेखा में आरक्षित निधियों को ब्याज सहित और ब्याज रहित श्रेणियों में बांटा गया है। लोक लेखा में मौजूद 59 आरक्षित निधियों में से 19 ब्याज सहित और 40 ब्याज रहित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज सहित आरक्षित निधियों पर ₹1,230 करोड़ का ब्याज अदा किया गया। इन 59 आरक्षित निधियों में से 10 निधियां वर्ष के दौरान संचालित नहीं हुईं। दो आरक्षित निधियां, तेल उद्योग विकास निधि और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, वित्तीय वर्ष 2024-25 से संघ सरकार के वित्त लेखों में संचालित कर दी गईं।

चित्र 2.31 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आरक्षित निधियों का अंत शेष पिछले वर्ष की तुलना में 58.60 *प्रतिशत* बढ़ गया है, और पिछले चार वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आरक्षित निधियों में लगातार वृद्धि (वर्ष के दौरान प्राप्तियों और भुगतानों के बीच का अंतर) हो रही है (वित्तीय वर्ष 2024-25 में 57.26 *प्रतिशत* और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31.44 *प्रतिशत*)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि (₹31,121 करोड़), स्वर्ण आरक्षित निधि-सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 (₹28,051 करोड़), जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि

(₹19,785 करोड़), तेल उद्योग विकास निधि (₹12,613 करोड़) और गारंटी मोचन निधि (₹10,945 करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

चित्र 2.31: आरक्षित निधियों से प्राप्तियों/संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

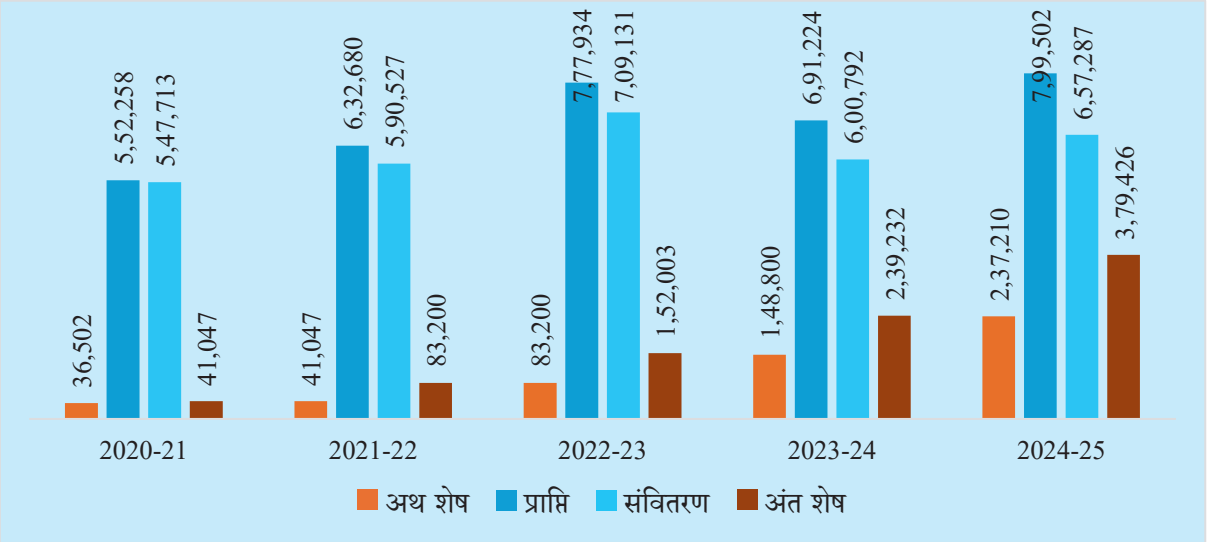

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए।

नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 का अथ शेष वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत शेष से भिन्न है, जिसका कारण सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना, 2015 के अंतर्गत अतिरिक्त भुगतान (₹2,022 करोड़) से संबंधित पूर्व अवधि का समायोजन है।

चित्र 2.31 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान आरक्षित निधियों से प्राप्तियां और संवितरण क्रमशः 1.45 गुना और 1.20 गुना बढ़ गए।

2.10 राजकोषीय संकेतक

राजकोषीय संकेतक आगे समेकन की दिशा में मार्ग का संकेत दर्शाते हैं। जहाँ सरकार की संसाधन आवश्यकताएं गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं की जाती है, वहाँ अंतर को उधार द्वारा पूरा किया जाता है। उधार की आवश्यकता को राजकोषीय घाटे (एफडी) द्वारा दर्शाया जाता है जो वर्ष में कुल व्यय (ऋण की अदायगी को छोड़कर) और कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) के बीच का अंतर है। एक अन्य संकेतक राजस्व घाटा (आरडी) है जो यह दर्शाता है कि सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने वर्तमान राजस्व व्यय को किस हद तक पूरा करने में सक्षम है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखा के अनुसार, राजस्व घाटा ₹5,64,936 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.24 *प्रतिशत* कम है। सकल घरेलू

उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वित्तीय वर्ष के 2.64 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.78 *प्रतिशत* हो गया है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (10.82 *प्रतिशत*) राजस्व व्यय की वृद्धि दर (3.46 *प्रतिशत*) से अधिक रही है, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है इससे सरकार को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹14,69,659 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 *प्रतिशत* कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में, पिछले वित्तीय वर्ष में यह 5.53 *प्रतिशत* की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.62 *प्रतिशत* था।

पूंजीगत व्यय का एफडी के साथ अनुपात वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50.38 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 58.40 *प्रतिशत* हो गया। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है जो परिसंपत्तियों और उत्पादक निवेश की ओर अधिक उधारी के उपयोग को दर्शाता है।

अध्याय

3

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

अध्याय 3 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

संघ सरकार के वित्त लेखा (यूजीएफए) में 16 विवरण हैं जो सरकार के वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय वित्तीय लेखों में लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुपालन, सटीकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में आंतरिक नियंत्रण और वर्गीकरण त्रुटियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

3.1 लेखांकन प्रक्रियाओं का गैर-अनुपालन

हमने लेखांकन प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित उदाहरण देखे हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

3.1.1 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के लेखांकन में अनियमितताएं

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) 1 जनवरी 1982 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कम लागत पर और पूरी तरह से अंशदान आधारित तथा स्व-वित्तपोषित आधार पर दोहरे लाभ प्रदान करना था, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवारों की सहायता के लिए बीमा कवर और सेवानिवृत्ति पर उनकी आय बढ़ाने के लिए एकमुश्त भुगतान करना था। योजना के लिए सदस्यों द्वारा किए गए अंशदान की वसूली हर महीने उनके वेतन से की जाती है और इसे 70:30 के अनुपात में दो निधियों, बचत निधि और बीमा निधि में विभाजित किया जाता है।

व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अंतर्गत कई कार्यालयों को योजना से संबंधित भूमिकाएं सौंपी गई हैं। सीजीईजीआईएस का डीएएमए (डेटा एनालिटिक्स और मासिक लेखा) अनुभाग सभी मंत्रालयों और विभागों के मासिक प्राप्तियों और भुगतानों के आंकड़े पीएओ-आईडीए (वेतन एवं लेखा कार्यालय - आंतरिक ऋण एवं लेखा) को भेजता है, जो सीसीए (मुख्य लेखा नियंत्रक - वित्त) के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। पीएओ-आईडीए, डीएएमए और रेलवेबोर्ड (रेल मंत्रालय) से डेटा लेता है, फिर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह

बीमा योजना की प्राप्तियों को बचत निधि में 70 *प्रतिशत* और बीमा निधि में 30 *प्रतिशत* विभाजित कर देता है। यह बचत निधि वाले भाग पर ब्याज की गणना भी करता है। सीजीए कार्यालय का वित्त लेखा अनुभाग 8011.00.103[8] 'बीमा और पेंशन निधियां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना' के अंतर्गत अंतिम आंकड़े तैयार करता है, जो यूजीएफए के विवरण 14[9] में दर्शाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना निधि के वर्षवार अथ शेष और अंत शेष का विवरण **चित्र 3.1** में दिखाया गया है।

चित्र 3.1: यूजीएफए के अनुसार सीजीईजीआईएस निधि का वर्ष-वार अथ शेष और अंत शेष

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (1 अप्रैल को)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान संवितरण	अंत शेष (31 मार्च को)
2020-21	4,328.93	490.19	539.41	4,279.71
2021-22	4,279.71	450.41	647.37	4,082.74
2022-23	4,082.74	341.72	551.79	3,872.67
2023-24	3,872.67	430.31	528.05	3,774.93
2024-25	3,774.93	425.34	514.81	3,685.47

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), व्यय विभाग (डीओई), पीएओ-आईडीए, डीएएमए अनुभाग और वित्त लेखा अनुभाग के कार्यालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के अभिलेखों की संवीक्षा से कई कमियां सामने आईं, जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

3.1.1.1 संबंधित लेखा शीर्ष में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना भुगतान की गैर-बुकिंग (उप-शीर्ष स्तर तक)

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय ने मासिक लेखों को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं का उल्लेख करते हुए (मई 2024) कहा कि सीजीईजीआईएस प्राप्तियों को लघु शीर्ष स्तर (8011.00.103) तक और सीजीईजीआईएस व्यय को उप-शीर्ष स्तर पर, अर्थात् बचत निधि (8011.00.103.01)/बीमा निधि (8011.00.103.02) में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु शीर्ष तक वर्गीकरण के आगे के स्तरों के लिए

[8] मुख्य शीर्ष 8011-बीमा और पेंशन निधियां ; लघु शीर्ष 103-केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना

[9] सरकार के ऋण और अन्य ब्याज वाले दायित्वों का विवरण

डिफ़ॉल्ट शीर्ष (00) का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बचत निधि से व्यय को 8011.00.103.01.00.00[10] में दर्ज किया जा सकता है।

डीईए (डीडीओ कोड-216978) और डीओई (डीडीओ कोड-215955) के डीडीओ कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना संवीक्षा में यह पाया गया कि सीजीईजीआईएस बचत निधि और सीजीईजीआईएस बीमा निधि के लिये भुगतान करते समय लेखांकन केवल लघु शीर्ष स्तर तक ही किया गया था, न कि निर्धारित उप-शीर्ष स्तर तक। ऐसे सात मामले[11] सामने आए जिनकी राशि ₹5.57 लाख थी।

यह तरीका बीमा निधि/बचत निधि के अंतर्गत अंतिम शेष की गणना पर असर डालता है और परिणामस्वरूप, सीजीईजीआईएस शेष पर ब्याज की गणना पर भी असर डालता है।

सीजीए कार्यालय ने मार्च 2025 में उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हर वर्ष कुछ जांच बिंदु जारी किए जाते हैं, जिनमें यह शामिल है कि सीजीईजीआईएस के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग उप-शीर्ष स्तर के बजाय लघु शीर्ष स्तर पर और व्यय की बुकिंग उप-शीर्ष स्तर पर की जानी चाहिए। मंत्रालयों/विभागों के पीएओ को लेखांकन लेनदेन/गतिविधियों का सही विवरण सुनिश्चित करने के लिए इनका पालन करना होता है। सीजीए कार्यालय ने सितंबर 2025 में आगे कहा कि कुछ मंत्रालय/विभाग अभी भी सीजीईजीआईएस के अंतर्गत प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन में गलतियां कर रहे हैं और ऐसी गलतियों की रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय/विभाग के लेखांकन संगठन के प्रमुख को तिमाही आधार पर सुधार के लिए दी जा रही है।

3.1.1.2 यूजीएफए और पीएओ-आईडीए आंकड़ों के बीच अंतर

पीएओ-आईडीए को डीएएमए अनुभाग से मासिक आधार पर सीजीईजीआईएस के आंकड़े प्राप्त होते हैं। यह सीजीईजीआईएस प्राप्तियों को 70 *प्रतिशत* बचत निधि और 30 *प्रतिशत* बीमा निधि में विभाजित करता है। यह बचत निधि वाले भाग पर ब्याज की गणना भी करता है। यह देखा गया कि डीएएमए अनुभाग द्वारा पीएओ-आईडीए को सूचित की गई सीजीईजीआईएस प्राप्तियों/भुगतानों के आंकड़ों और वित्त लेखों में दर्ज सीजीईजीआईएस आंकड़ों में अंतर था। इसका कारण यह था कि डीएएमए अनुभाग ने सीजीईजीआईएस के अनंतिम आंकड़े (अनुपूरक-1) पीएओ-आईडीए को सूचित किए थे और जर्नल प्रविष्टियों

[10] मुख्य शीर्ष 8011; उप-मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103; उप-शीर्ष 01; विस्तृत शीर्ष 00; वस्तु शीर्ष 00

[11] डीडीओ 216978 डीईए के लिए 1 उदाहरण: बिल संख्या सीपी 00002491; डीडीओ 215955@ डीओई के लिए 6 उदाहरण: बिल संख्या सीपी 00000571, सीपी 00000169, सीपी 00000535, सीपी 00000292, सीपी 00000290, सीपी 00000852.

(अनुपूरक-II) के बाद के अंतिम आंकड़े पीएओ-आईडीए को सूचित नहीं किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएओ-आईडीए और यूजीएफए के बीच सीजीईजीआईएस निधि की प्राप्ति और संवितरण के आंकड़ों में वर्षवार अंतर का विवरण **चित्र 3.2** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.2: पीएओ-आईडीए और यूजीएफए के बीच सीजीईजीआईएस निधि की प्राप्ति और वितरण के आंकड़ों में वर्षवार अंतर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पीएओ आईडीए के अनुसार प्राप्ति	यूजीएफए के अनुसार प्राप्ति	प्राप्ति में अंतर	पीएओ आईडीए के अनुसार भुगतान	यूजीएफए के अनुसार भुगतान	भुगतान में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5)	(6)	(7) = (6)-(5)
2020-21	488.65	490.19	1.54	538.62	539.41	0.79
2021-22	447.32	450.41	3.09	647.37	647.37	0
2022-23	389.11	341.72	-47.39	734.51	551.79	-182.72
2023-24	522.27	430.31	-91.96	667.34	528.05	-139.29
2024-25	425.34	425.34	0	514.82	514.81	0.01
कुल	**2,272.69**	**2,137.97**	**-134.72**	**3,102.66**	**2,781.43**	**-321.23**

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, यूजीएफए में दर्ज सीजीईजीआईएस के आंकड़ों और पीएओ-आईडीए के आंकड़ों के बीच प्राप्तियों में ₹134.72 करोड़ और भुगतानों में ₹321.23 करोड़ का निवल अंतर था।

पीएओ-आईडीए के पास गलत जानकारी होने के कारण ब्याज की गणना गलत हुई। यह इस तथ्य से सिद्ध हुआ कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतिम आंकड़ों के बजाय अनंतिम आंकड़ों पर ब्याज की गणना के कारण, 2016-17 से 2022-23 की अवधि से संबंधित ₹9.10 करोड़ का जो अधिक ब्याज दर्ज हुआ था, उसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जर्नल प्रविष्टि (जेई संख्या 28) के माध्यम से समायोजित किया गया।

सीजीए कार्यालय ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि सीजीईजीआईएस के अंतर्गत अंशदान और ब्याज डेटा को संरेखित करने के लिए एक समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। तथापि, पिछले वर्षों के विस्तृत लेनदेन-स्तरीय डेटा की कमी के कारण, पिछले वर्षों से संबंधित अंतर का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। इन समस्याओं को बताने के लिए, सभी संबंधित

हितधारकों के समन्वय से, एक व्यापक समाधान प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई जा रही है।

3.1.1.3 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना ब्याज की गणना के लिए रेलवे के आंकड़ों का दो बार लेखांकन

रेल मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2021-22[12] तक प्राप्तियों और भुगतानों के मासिक आंकड़े डीएएमए अनुभाग में प्राप्त होते थे और इसे पीएओ-आईडीए अनुभाग को अग्रेषित किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2022-23 से, डीएएमएके आंकड़ों में रेल मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना डेटा भी शामिल किया जाने लगा। तथापि, पीएओ-आईडीए को रेल मंत्रालय से भी आंकड़े प्राप्त होते रहे।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, रेल मंत्रालय से संबंधित प्राप्तियों के आंकड़े दो बार शामिल किए गए (वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः ₹43.99 करोड़ और ₹43.66 करोड़)। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बचत निधि पर सीजीईजीआईएस ब्याज का अधिक क्रेडिट हुआ और इन वर्षों के दौरान बचत निधि और बीमा निधि के अंतर्गत शेष राशि का अधिक आकलन हुआ।

सीजीए कार्यालय ने (सितंबर 2025 में) उत्तर दिया कि विसंगतियों की पहचान करने और लेखों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक मिलान प्रक्रिया चलाई जा रही है।

3.1.1.4 बीमा निधि से भुगतान हज़ार के गुणक में नहीं

सीजीईजीआई योजना 1980 के पैरा 7.1 में कहा गया है कि बीमा निधि से भुगतान केवल हजार के गुणक[13] में ही किया जाएगा। 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के बीमा निधि भुगतान के वार्षिक आंकड़ों से यह पाया गया कि बीमा निधि का भुगतान हजार के गुणक में नहीं किया गया था।

---

[12] वित्तीय वर्ष 2021-22 तक , रेल मंत्रालय सीजीईजीआईएस डेटा को पीएओ (आईडीए) के साथ अलग से साझा कर रहा था।

[13] ग्रुप ए, बी और सी के लिए अंशदान दर क्रमशः ₹120, ₹160 और ₹30 है और इस योजना के तहत बीमा कवर क्रमशः ₹1,20,000, ₹60,000 और ₹30,000 है।

वाउचरों की संवीक्षा से दो ऐसे मामले[14] सामने आए जिनमें बचत निधि के भुगतानों को गलती से बीमा निधि के भुगतान के रूप में, और बीमा निधि के भुगतानों को गलती से बचत निधि के भुगतान के रूप में दर्ज कर लिया गया था।

सीजीए कार्यालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि, दिनांक 17 जनवरी 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, उन्होंने सभी लेखा संगठनों के प्रमुखों के साथ साझा किया था कि सीजीईजीआईएस योजना के अनुसार सीजीईजीआईएस बीमा निधि भुगतान की बुकिंग ₹10000/15000 के गुणक में होनी चाहिए।

हम अनुशंसा करते हैं कि सीजीईजीआईएस से संबंधित लेखांकन प्रक्रियाओं के लिए डीएएमए अनुभाग, वित्त लेखा अनुभाग और पीएओ-आईडीए जैसे सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाए।

3.1.2 प्रतिपूरक वनरोपण निधि

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 के अध्याय II[15] के अंतर्गत, क्षतिपूर्ति वनरोपण[16] के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि जमा करने हेतु भारत और प्रत्येक राज्य के लोक लेखों में एक निधि का सृजन किया जाना था। इन निधि का लेखांकन प्रतिपूरक वनरोपण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम 2018 द्वारा नियंत्रित किया जाना था। इन निधियों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य कैम्पा द्वारा किया जाना था।

नियमों[17] के मुताबिक, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा एकत्रित किया गया सारा धन, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के अंतर्गत रखा गया था और राष्ट्रीकृत बैंक में जमा किया गया है, उसे भारत के लोक लेखा के ब्याज वाले खंड में एक अलग लघु शीर्ष, जिसका नाम 'राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण जमा' है, 'मुख्य शीर्ष 8336- सिविल जमा' के नीचे और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके अंतर्गत खोले गए उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एनसीएएफ) में

---

[14] डीओई की दर पर डीडीओ 215955 के लिये 2 मामले: बिल संख्या सीपी 00000166 (₹47,543) और सीपी 00001972 (₹48,936)।

[15] राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एनसीएएफ) और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) की स्थापना, प्रबंधन और उपयोग।

[16] क्षतिपूर्ति वनरोपण का अर्थ है कि जब भी वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उपयोग करने वाली एजेंसी गैर-वनभूमि के बराबर क्षेत्र पर वन लगाने के लिए भुगतान करती है, या जब ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो बंजर वन भूमि के दोगुने क्षेत्र पर वन लगाने के लिए भुगतान करती है।

[17] प्रतिपूरक वनरोपण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम, 2018।

केंद्रीय सरकार के भाग का 10 *प्रतिशत* एकमुश्त अंतरित करना था और शेष राशि राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) में अंतरित की जानी थी।

एससीएएफ के गठन के बाद एकत्रित धनराशि के अंतरण के लिए, 2016 अधिनियम और 2018 के नियमों के अनुसार, एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। संबंधित राज्य कैम्पा को जमा राशि एकत्र करनी थी और उसके बाद जमा की गई धनराशि को संबंधित राज्य और केंद्र के बीच 90:10 के अनुपात में संबंधित आरक्षित निधि में वितरित करना था।

तथापि, हमने पाया कि लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में, एकत्रित लेवी को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष-8336 'सिविल जमा' के अंतर्गत भारत के लोक लेखे में अंतरित कर दिया गया था ताकि इसे आगे राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में वितरित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, एमएच-8336-102-'राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण जमा' के अंतर्गत ₹10,380.36 करोड़ संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण के लिए लंबित थे। राष्ट्रीय कैम्पा ने (दिसंबर 2025) उत्तर दिया कि प्राधिकरण के शासी निकाय ने अपनी बैठक (दिसंबर 2023) में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा नई दिल्ली स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राज्य-विशिष्ट बैंक खातों में क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने और उसके बाद इसे भारत के लोक लेखों में अंतरित करने की मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने की मंजूरी दी थी। निधियों के मिलान के बाद प्राधिकरण संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोक लेखों में राज्य का हिस्सा अंतरित करेगा। यह भी बताया गया कि वितरण के लिए लंबित ₹10,380.36 करोड़ में से, ब्याज सहित ₹6,382.81 करोड़ (90:10 के अनुपात में) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरित किए जा चुके हैं। इसमें आगे कहा गया कि भारत कोष के माध्यम से क्षतिपूर्ति शुल्क के वितरण पर बैठक (अगस्त 2025) में चर्चा की गई थी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय कैम्पा के बीच वास्तविक समय के आधार पर निधियों की प्राप्ति के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित तंत्र तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। तथापि, तथ्य यह है कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन संग्रह और उसके अंतरण की प्रक्रिया 2016 के अधिनियम और 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं है।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 31 मार्च 2025 तक लेखा शीर्ष 8336.00.102[18] में दर्शाई गई राशि राष्ट्रीय कैम्पा के आंकड़ों से ₹599.53 करोड़ कम थी, जो इसी राशि से लोक लेखों में संभावित कम आंकलन का संकेत देती है। प्राधिकरण ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि

[18] मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा, लघुशीर्ष 102-राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण जमा

राष्ट्रीय निधि में धन के मासिक मिलान के लिए अक्टूबर 2025 में एक मिलान समिति का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बैंक खातों में ₹2,192.95 करोड़ जमा थे, जिसमें फरवरी और मार्च 2025 के लिए प्राप्तियों के रूप में क्रमशः ₹1,095.21 करोड़ और ₹1,073 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ब्याज के रूप में ₹24.74 करोड़ शामिल थे। कुल ₹2,192.95 करोड़ में से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹2,184.78[19] करोड़ भारत के लोक लेखों में अंतरित किए जाने चाहिए थे। प्राधिकरण ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि उसने 5 मार्च 2025 को बैंक में फरवरी 2025 की ₹1,095.21 करोड़ की प्राप्तियों के अंतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तथापि, इसे अप्रैल 2025 में ही लोक लेखों में अंतरित किया जा सका। मार्च 2025 की ₹1,073 करोड़ की प्राप्तियां 5 अप्रैल 2025 को हस्तांतरित कर दी गईं और अर्जित ब्याज ₹24.74 करोड़ 8 अप्रैल 2025 को बैंक विवरण में दिखाया गया और इसे 16 अप्रैल 2025 तक अंतरित कर दिया गया। प्राधिकरण का यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि तकनीकी प्रगति के कारण, लगभग वास्तविक समय में लेनदेन संभव हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कम से कम ₹1,111.78[20] करोड़ लोक लेखों में अंतरित किए जाने चाहिए थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 ने केंद्र शासित प्रदेश - लक्षद्वीप को छोड़कर राज्य स्तरीय कैम्पा और एससीएएफ की स्थापना की है।

हम अनुशंसा करते हैं कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन संग्रह और उसके अंतरण की प्रक्रिया प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनरोपण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम, 2018 के अनुसार होनी चाहिए।

3.1.3 मूल्यह्रास/नवीन आरक्षित निधि पर ₹60.14 करोड़ के ब्याज का कम क्रेडिट

सामान्य वित्तीय नियम 2017 का नियम 104 यह निर्धारित करता है कि समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उन सभी वाणिज्यिक विभागों या इकाइयों के लेखों में लगाया जाएगा जिनके लिए सरकारी लेखों के भीतर अलग-अलग पूंजी और राजस्व लेखे रखे जाते हैं।

[19] फरवरी 2025 के लिए ₹1,095.21 करोड़, मार्च 2025 के लिए ₹1073 करोड़ और पहले तीन तिमाहियों के लिए ₹16.57 करोड़ का ब्याज जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

[20] फरवरी 2025 के लिए ₹1,095.21 करोड़ और पहली तीन तिमाहियों के लिए ₹16.57 करोड़ रुपये का ब्याज।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के विवरण 13 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि लेखा शीर्ष 8115.00.103[21] के अंतर्गत रखे गए ₹397.10 करोड़ के शेष पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था, जबकि यह एक ब्याज युक्त आरक्षित निधि थी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान ₹60.14[22] करोड़ के ब्याज का कम क्रेडिट था।

डीएई ने (सितंबर 2025) कहा कि वह इन निधियों का निवेश करके ब्याज अर्जित करने की पद्धति का पालन नहीं करता है और निधि का प्राथमिक उद्देश्य परिसंपत्ति प्रतिस्थापन ही है। उसने आगे कहा कि प्रमुख शीर्ष 8115 के अंतर्गत बुकिंग 01 अप्रैल 2023 से बंद कर दी गई है और राशि को सरकारी लेखे में जमा करने के लिए महानियंत्रक लेखा कार्यालय से सलाह ली गई है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, ब्याज अर्जित करने वाले आरक्षित निधियों में रखी गई शेष राशि पर ब्याज जमा करना आवश्यक था।

3.1.4 आरक्षित निधि से प्राप्त राशि वास्तविक व्यय से ₹4.33 करोड़ अधिक

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के पैरा 3.4 में यह प्रावधान है कि व्यय की प्रकृति के आधार पर वास्तविक व्यय को राजस्व/पूंजी/ऋण खंड में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम लघु शीर्ष में डेबिट किया जाएगा। इन मामलों में आरक्षित निधि/जमा खातों से वित्तपोषित राशि को लघु शीर्ष प्राप्त राशि से कटौती (आरक्षित निधि/जमा खाते का नाम) के अंतर्गत एक कटौती प्रविष्टी के रूप में दिखाया जायेगा, जिसका अलग कोड '902' होगा राजस्व, पूंजीगत या ऋण खंड में कार्यात्मक मुख्य/लघु शीर्ष के अंतर्गत जहां वास्तविक व्यय डेबिट होता है।

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखा शीर्ष 2505.02 'ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹64,052.79 करोड़ था और 2505.902 शीर्ष के अंतर्गत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि' से भुगतान की गई राशि ₹64,057.12 करोड़ थी। इस प्रकार, निधि (कटौती प्रविष्टि) से भुगतान की गई राशि

---

[21] मुख्य शीर्ष 8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि; लघु शीर्ष 103. मूल्यह्रास आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन-₹106.40 करोड़ और परमाणु ईंधन परिसर-₹290.70 करोड़)।

[22] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 397.10 करोड़ रुपये पर 7.31 *प्रतिशत* की दर से ब्याज ₹29.03 करोड़ बनता है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹426.13 करोड़ (397.10+29.03) पर 7.30 *प्रतिशत* की दर से ब्याज ₹31.11 करोड़ बनता है। इस प्रकार, ब्याज की कमी ₹60.14 करोड़ है। इन दोनों वित्तीय वर्षों के दौरान इस आरक्षित निधि से कोई प्राप्ति या वितरण नहीं हुआ।

कार्यात्मक शीर्ष 2505.02 के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय से ₹4.33 करोड़ अधिक थी। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, सीजीए कार्यालय ने (नवंबर 2025 में) उत्तर दिया कि आवश्यक जांच और स्पष्टीकरण के लिए यह टिप्पणी ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी गई है।

3.2 लेखों की सटीकता

3.2.1 प्रतिकूल शेष

निधि/जमा शीर्ष में प्रतिकूल शेष राशि कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि (क) जब लेन-देन में डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया जाता है और इसके विपरीत होता है (ख) जब डेबिट को एक शीर्ष के अंतर्गत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है या इसके विपरीत होता है और (ग) जब आरक्षित निधियों से बहिर्वाह/संवितरण प्राप्तियों/शेष राशि से अधिक होता है। ये शेष राशियां त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रणों के अभाव को दर्शाती हैं और लेखों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय लेखों में प्रतिकूल शेषों के 56 मामले (विवरण **अनुलग्नक 3.1** में) दर्ज हैं। इनमें से 39 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे हैं, जिनमें सबसे पुराना मामला 48 वर्ष पुराना है। इसके अतिरिक्त, 12 मामलों[23] में, प्रतिकूल शेष ₹100 करोड़ से अधिक था। प्रतिकूल शेषों के लिए जिम्मेदार लेखांकन त्रुटियों की पहचान करके उनका समाधान करना आवश्यक है।

इसके अलावा, अलग-अलग मंत्रालय/विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, निम्नलिखित तीन मामलों में कम से कम ₹100 करोड़ का प्रतिकूल शेष देखा गया, जैसा कि **चित्र 3.3** में विस्तार से बताया गया है।

[23] अनुलग्नक 3.1 में क्रमांक 1, 2, 4, 5, 25, 28, 29, 45, 48, 52, 53 और 55 पर।

चित्र 3.3: नमूना जांच किए गए मंत्रालयों में विविध लेखा शीर्ष के अंतर्गत कम से कम ₹100 करोड़ के प्रतिकूल शेष राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	शीर्ष	शीर्ष का विवरण	मंत्रालय/विभाग	31.03.2025 तक शेष राशि	शेष राशि डेबिट/क्रेडिट होनी चाहिए
1	6250.60.202	आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति को ऋण	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	485.61 (क्रेडिट)	डेबिट
2	6801.00.205	विधुत परियोजनाओं के लिए ऋण - ट्रांसमिशन और वितरण दामोदर घाटी निगम और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड.	विद्युत मंत्रालय	143.28 (क्रेडिट)	डेबिट
3	8229.00.200	अन्य विकास और कल्याण निधि (बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	210.71 (डेबिट)	क्रेडिट

नोट: एमएच:8670 के अंतर्गत अन्य लेखा शीर्ष भी हैं, जिनका प्रतिकूल शेष कम से कम ₹100 करोड़ है, जिन पर पैरा 3.2.2.2 (चित्र 3.4) में बताया गया है।

सीजीए कार्यालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में बताया कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (क्रम संख्या 3) के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के निपटान के लिए बजट प्रावधान प्राप्त किया जा रहा है। रक्षा अग्रिमों[24] के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि प्रतिकूल शेष राशि ₹1,229 करोड़ से घटकर ₹339 करोड़ हो गई है और आगे के समाधान एवं परिसमापन के प्रयास जारी हैं। बाहरी ऋणों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि ये मुख्यतः प्राप्ति और अदायगी की तिथियों के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हैं और ऋणों के पूर्ण अदायगी के बाद ही इन्हें बट्टे खातों में डाला जाता है। कुल मिलाकर, सीजीए कार्यालय ने सूचित किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल शेष राशि के समाधान एवं सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि पांच वर्ष से अधिक समय से अनसुलझे पुराने प्रतिकूल शेष राशियों के समाधान पर विचार किया जाए।

[24] अनुलग्नक 3.1 का क्रमांक 52

3.2.2 उचंत शीर्ष

3.2.2.1 एमएच 8658 'उचंत लेखे' के अंतर्गत उचंत शीर्षों में निपटान के लिये शेष राशि

वे प्राप्तियां और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/विवरण के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें क्रमशः उचंत शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट और डेबिट के रूप में दर्ज किया जाता है। अंतिम बुकिंग के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध होते ही क्रेडिट और डेबिट का निपटान कर दिया जाता है। उचंत शीर्ष में शेष राशि से अभिप्राय है कि कम से कम एक वित्तीय लेखा शीर्ष में राशि कम दर्ज की गई है।

वित्तिय वर्ष 2024-25 में उचंत शीर्ष जिनमें महत्वपूर्ण शेष राशियां[25] थी और वे मंत्रालय/विभाग जो कुल उचंत शेष राशि के निपटान हेतु मुख्य योगदानकर्ता थे, उनकी जानकारी **अनुलग्नक 3.2** में दी गई है। ये शेष कुल मिलाकर ₹22,242.67 करोड़ (₹16,964.02 करोड़ डेबिट और ₹5,278.65 करोड़ क्रेडिट) है। संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त कुछ उत्तर इस प्रकार हैः

क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में पीएओ उचंत के अंतर्गत ₹4,434.86 करोड़ के निवल डेबिट उचंत शेष के संबंध में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, सीबीआईसी ने बताया (नवंबर 2025) कि लघु शीर्ष 101 के अंतर्गत शेष राशि, जो राज्य सरकार की ओर से रिफंड करने के लिए अल्पावधि हेतु, ई-पीएओ चेन्नई, जो जीएसटी रिफंड का एकमात्र प्राधिकरण है, द्वारा दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ई-पीएओ द्वारा लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत बुकिंग अपूर्ण चालान विवरण/असफल भुगतान के कारण होती है।

ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में पीएओ उचंत के अंतर्गत ₹961.83 करोड़ के निवल डेबिट उचंत शेष के संबंध में, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ने (अक्टूबर 2025) कहा कि बकाया राशि मुख्य रूप से सीसीए (आपूर्ति) द्वारा बाहरी दावे को करने के कारण उत्पन्न अंतर-विभागीय लेनदेन के लंबित निपटान के कारण है और पीएओ (उचंत) शेष के परिसमापन के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।

[25] वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹100 करोड़ से अधिक के अंत शेष वाले एमएच 8658 के अंतर्गत आने वाले लघु शीर्ष

ग) वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹597.59 करोड़ के निवल डेबिट उचंत शेष के संबंध में कहा (अक्टूबर 2025) कि बकाया शेष राशि का सत्यापन किया जा रहा है और इसका समाधान और सुधार किया जाएगा।

इसके अलावा, सीजीए कार्यालय ने (नवंबर 2025 में) उत्तर दिया कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने पीएओ को बकाया शेष राशि के समाधान और निपटान के लिए निर्देश जारी किए हैं।

वित्त मंत्रालय और सीजीए इन शेष राशियों की समीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और पुरानी शेष राशियों के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

3.2.2.2 उचंत शीर्ष- एमएच 8670 'चेक और बिल' के अंतर्गत चेक और बिल

जब सरकार द्वारा चेक जारी किए जाते हैं, तो व्यय को डेबिट किया जाता है और उचंत शीर्ष 'चेक और बिल' शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। बैंक द्वारा भुनाए गए चेक पर बैंकों से रसीदें प्राप्त होने पर, उचंत शीर्ष का निपटान कर दिया जाता है। इसलिए, इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि मुख्य रूप से बिना भुनाए गए चेक के कुल मूल्य को दर्शाती है।

हमने देखा कि मार्च 2025 के अंत में उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹11,816 करोड़ का निपटान लंबित था, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह राशि ₹12,307 करोड़ थी।

लेन-देन की ऐसी प्रकृति होने के कारण, इस शीर्ष में क्रेडिट शेष होना चाहिए था। लेकिन हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹42,651.90 करोड़ के चार प्रतिकूल (डेबिट) शेष[26] और पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 (₹383.36 करोड़) की तुलना में कुल प्रतिकूल शेष में ₹42,268.55 करोड़ की समग्र वृद्धि देखी। यह वृद्धि "विभागीय चेक" के अंतर्गत प्रतिकूल शेष में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹3,796.87 करोड़ (क्रेडिट) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹42,380.51 करोड़ (डेबिट) हो गया। प्रतिकूल शेष का तात्पर्य यह है कि चेक का नकदीकरण चेक के मूल्य से अधिक है।

[26] एमएच 8670 के अंतर्गत 14 लघु शीर्ष हैं, और प्रत्येक लघु शीर्ष में क्रेडिट शेष होना चाहिए।

अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, चेक और बिल के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के आठ मामले सामने आए, जिनमें से प्रत्येक की राशि कम से कम ₹100 करोड़ थी, जैसा कि **चित्र 3.4** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 3.4: नमूना जांच किए गए मंत्रालयों में, 'चेक और बिल' के अंतर्गत कम से कम ₹100 करोड़ की प्रतिकूल शेष राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष (8670- चेक और बिल)	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि (डेबिट)
1	102-वेतन और लेखा कार्यालय चेक	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	154.82
2		वाणिज्य विभाग	158.01
3		उच्चतर शिक्षा विभाग	373.10
4	103-विभागीय चेक	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	134.67
5		विदेश मंत्रालय	44,714.77
6	109- रक्षा चेक	रक्षा मंत्रालय	248.69
7	111- पीएंडएओ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	वाणिज्य विभाग	110.32
8		रक्षा मंत्रालय	263.38

सीजीए कार्यालय ने (नवंबर 2025) उत्तर दिया कि समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और चेक और बिल के अंतर्गत बकाया शेष राशि के निपटान के लिये प्रयास जारी हैं।

विदेश मंत्रालय में ₹44,714.77 करोड़ के प्रतिकूल शेष के लिए मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष '8670.103- चेक और बिल' के अंतर्गत डेबिट शेष गलती से गलत ट्रांसफर एंट्री के कारण दर्शाया गया था। इसके बाद एक टीई के द्वारा ज़रूरी सुधार किया गया, और शीर्ष 8670.102-पीएओ चेक के अंतर्गत शेष ₹45,133.69 करोड़ (क्रेडिट) से घटकर ₹(-)513.99 करोड़ (क्रेडिट) हो गया और शीर्ष 8670.103-विभागीय चेक के अंतर्गत शेष ₹(-)44,714.77 करोड़ (क्रेडिट) से घटकर ₹520.96 करोड़ (क्रेडिट) हो गया।

3.2.2.3 उचंत शीर्ष की नेटिंग

उचंत शीर्ष में क्रेडिट और डेबिट मदों का लेखा-जोखा अलग-अलग किया जाना आवश्यक है और प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि का सटीक विवरण देने के लिए उन्हें लेखों में अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, वित्तीय लेखा-जोखा विवरण 13 में उचंत शीर्ष के अंतर्गत केवल निवल शेष राशि दिखाई गई है, जिस कारण शेष राशि कम बताई गई है। हमने पिछले तीन वर्षों के लिए विस्तृत लोक लेखा (**चित्र 3.5**) से सिविल मंत्रालयों (मुख्य

शीर्ष-8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों[27] के अंतर्गत निपटाए जाने वाले वास्तविक उचंत शेष की स्थिति का पता लगाया।

चित्र 3.5: उचंत शेष के नेटिंग का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेटिंग के कारण बकाया उचंत शेष की कम प्रतिशतता
	डेबिट	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	
101 पीएओ उचंत	4,484.47	960.63	7,119.03	1,018.22	7,698.59	1,003.52	23.06
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,523.84 (डेबिट)		6,100.81 (डेबिट)		6,695.07 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**5,445.10**		**8,137.25**		**8,702.11**		
102 उचंत लेखा (सिविल)	1,157.79	520.06	1,181.56	608.87	1,164.32	722.91	76.61
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	637.73 (डेबिट)		572.69 (डेबिट)		441.41 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**1,677.85**		**1,790.43**		**1,887.23**		
107 नकद निपटान उचंत लेखा	488.14	34.32	497.46	34.32	470.67	33.79	13.40
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	453.82 (डेबिट)		463.14 (डेबिट)		436.88 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**522.46**		**531.78**		**504.46**		
108 पीएसबी उचंत	8,587.75	5,122.44	7,908.92	485.63	6,751.89	1,998.43	45.68
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,465.31 (डेबिट)		7,423.29 (डेबिट)		4,753.46 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**13,710.19**		**8,394.55**		**8,750.32**		
109 रिज़र्व बैंक उचंत	12.03	185.07	12.03	189.00	12.03	192.14	11.78

[27] वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹100 करोड़ से अधिक के अंत शेष वाले एमएच 8658 के अंतर्गत आने वाले लघु शीर्ष

(मुख्यालय)							
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	173.04 (क्रेडिट)		176.97 (क्रेडिट)		180.11 (क्रेडिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**197.10**		**201.03**		**204.17**		
115 विदेशी खरीद आदि के लिए उचंत लेखे	412.77	0	207.44	0	166.76	0	0.00
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	412.77(डेबिट)		207.44 (डेबिट)		166.76 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**412.77**		**207.44**		**166.76**		
129 सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा	214.08	38.22	214.08	38.22	214.10	38.22	30.29
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	175.86 (डेबिट)		175.86 (डेबिट)		175.88 (डेबिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**252.30**		**252.30**		**252.32**		
138 अन्य नामित बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक) उचंत	3,679.60	557.67	296.50	1,095.56	485.26	1,003.56	65.19
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,121.93 (डेबिट)		799.06 (क्रेडिट)		518.31 (क्रेडिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**4,237.27**		**1,392.06**		**1,488.82**		
139 जीएसटी - स्रोत पर कर कटौती उचंत	0.87	235.09	0.64	290.34	0.40	286.08	0.28
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	234.22 (क्रेडिट)		289.70 (क्रेडिट)		285.68 (क्रेडिट)		
निपटान की जाने वाली कुल राशि	**235.96**		**290.98**		**286.48**		

3.2.2.4 सीजीडीए कार्यालय में भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹523.94 करोड़ का शेष

महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि लेखा शीर्ष: 8659.00.101 (भुगतान और लेखा कार्यालय उचंत) के अंतर्गत निवल डेबिट उचंत शेष ₹379.53 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23) से बढ़कर ₹437.82 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24) हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में और बढ़कर ₹523.94 करोड़ हो गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) कि उचंत शेष में वृद्धि के कारणों में से एक कारण विदेश मंत्रालय द्वारा मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) के रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण पर शुल्क की प्रतिपूर्ति न करना था और इस मामले को विदेश मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

3.2.2.5 उचंत शीर्ष में जर्नल एंट्री द्वारा व्यय का अनियमित उत्क्रमण

सिविल लेखा मैनुअल 2024 के पैरा 8.5.1 और 8.5.2 में कहा गया है कि 'जब कोई मंत्रालय/विभाग किसी दूसरे केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को एक कार्यक्रम या गतिविधि निर्दिष्ट करता है, तो कार्यात्मक मंत्रालय ज़रूरी वित्तीय मंज़ूरी मिलने के बाद उस गतिविधि के लिए अनुमोदित बजट बताते हुए एक वित्तीय बजट आवंटन/अधिकृतीकरण पत्र जारी करता है। कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग सिर्फ़ अधिकृत पत्र में बताई गई सीमा के अंदर ही व्यय कर सकता है, और कार्यान्वयन मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकृत राशि से ज़्यादा का कोई दावा पास न हो।

रक्षा लेखा कोड 2014 के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि वार्षिक लेखों को बंद करने के बाद, यदि सुधार/पुनर्समायोजन आवश्यक हो, तो असाधारण मामलों में सीजीए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की पूर्व स्वीकृति से यह कार्य किया जाएगा, बशर्ते कि जर्नल प्रविष्टि (जेई), सीजीए द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर गलत वर्गीकरण/पुनर्समायोजन के सुधार के लिए की जाए।

महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा-जोखा की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि दिल्ली कैंट स्थित नियंत्रक रक्षा लेखा (सेना) कार्यालय ने ₹1.98 करोड़ और पटना स्थित सीडीए कार्यालय ने ₹0.37 करोड़ का संशोधन प्रस्तावित किया है, जो कि जर्नल प्रविष्टि (जेई) के माध्यम से कुल मिलाकर ₹2.35 करोड़ है। यह संशोधन उचंत शीर्ष, जोकि लेखों का मध्यवर्ती/समायोजन शीर्ष है के लिये असम राइफल्स के लेखांकन शीर्ष जैसे राशन(044/54) व ईंधन तथा लुब्रीकेन्ट्स (044/55) की लागत के प्रति दर्ज राजस्व व्यय के उत्क्रमण से सम्बंधित था। यह व्यय ₹2.47 करोड़ की आवंटित धनराशि के प्रति किया गया था।

सीजीडीए ने (नवंबर 2025) उत्तर दिया कि मार्च 2025 में, प्राधिकरण पत्र (एलओए) जारी करने के बजाय, डीजी असम राइफल्स ने आवंटित धनराशि इस आधार पर वापस ले ली कि गृह मंत्रालय से इन मदों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन/एलओए जारी नहीं किया था। परिणामस्वरूप, अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पहले से दर्ज व्यय को जेई संख्या 48 के माध्यम से उलट दिया गया और उचंत शीर्ष (एमएच: 8659) में अंतरित कर दिया गया।

इस तरह, शुरू में अंतिम शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय के तौर पर बुक किया गया व्यय बाद में प्राधिकरण पत्र के बिना खर्च करने के कारण लेखा के उचंत शीर्ष में बदल दिया गया। इससे राजस्व व्यय कम और उचंत शीर्ष ₹2.35 करोड़ ज़्यादा दिखाया गया।

3.2.2.6 पेंशन भुगतान स्क्रॉल को राजस्व व्यय के रूप में बुक न करना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा पेंशन अनुदान की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि निधि की कमी के कारण ₹3,042.32 करोड़ का पेंशन भुगतान ई-स्क्रॉल को लेखों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सका और इसे पीएसबी के उचंत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया।

रक्षा पेंशन अनुदान के अंतर्गत ₹27.35 करोड़ की बचत हुई, लेकिन यदि पेंशन भुगतान ई-स्क्रॉल की राशि को अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता, तो ₹27.35 करोड़ की बचत के बजाय रक्षा पेंशन अनुदान के अंतर्गत ₹3,014.97 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होता। वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित भुगतान ई-स्क्रॉल को उसी वित्तीय वर्ष में संबंधित कार्यात्मक शीर्ष में दर्ज न करने के कारण लेखों का गलत प्रस्तुतीकरण हुआ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय कम दिखाया गया।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2025) उत्तर दिया कि अपर्याप्त निधि के कारण, ₹3,042.32 करोड़ की राशि कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि पीएसबी के उचंत शीर्ष के अंतर्गत संकलित की गई थी। उन्होंने यह भी उत्तर दिया कि पेंशन कार्यालय को मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में ₹900 करोड़ से अधिक के ई-स्क्रॉल/भुगतान वाउचर प्राप्त हुए थे।

यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पिछले दो वित्तीय वर्षों में, ₹5,195.56 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23) और ₹2,441.74 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24) की राशि इसी तरह के कारणों से अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं की गई थी, और बाद में इसे अगले वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया। ₹3,042.32 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25) में से, फरवरी 2026 के अंत में ₹79.44 करोड़ का निपटान होना बाकी था। संबंधित वित्तीय वर्ष के बजाय अगले वित्तीय वर्ष में खर्च दर्ज करने की इस पद्धति के कारण, संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि वित्त मंत्रालय सभी नियंत्रकों को उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष राशि को नियमित रूप से निपटान करने का निर्देश दे।

3.2.3 ऋण और अग्रिम

वित्त लेखा के विवरण 15 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की जानकारी शामिल है। 31 मार्च 2025 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं के कुल ऋण ₹9,94,278.08 करोड़ के प्रति, ब्याज सहित ₹91,534 करोड़ की वसूली बकाया थी, जैसा कि **चित्र 3.6** में विस्तार से दर्शाया गया है। लंबित ऋणों की अवधि को देखते हुए, इनमें से कुछ ऋणों की वसूली संभव नहीं हो सकती है।

चित्र 3.6: बकाया ऋणों और अग्रिमों का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक बकाया						
क्रम संख्या	**ऋण प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी**	**राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/संस्थाओं की संख्या**	**बकाया अवधि (वर्षों में)**	**मूलधन**	**ब्याज**	**राशि**
1.	राज्य/**केन्द्र शासित प्रदेश की** सरकार	22	>25	421	1,446	1,867
		05	15-25	3,425	3,856	7,281
2.	अन्य संस्थाएं	85	>25	6,834	48,370	55,204
		40	15-25	4,819	10,348	15,167
		25	5-15	4,535	2,103	6,638
		12	<5	4,217	1,160	5,377
कुल		**189**		**24,251**	**67,283**	**91,534**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए के विवरण 15 का खंड 2 और 3

12 मंत्रालयों/विभागों में हमारी नमूना जांच से पता चलता है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग से ऋण और ब्याज के रूप में ₹12,998.48 करोड़ की राशि बकाया थी, जैसा कि **अनुलग्नक 3.3** में विस्तार से बताया गया है।

3.2.3.1 ऋण प्राप्तकर्ता संस्था से बकाया राशि पर दंडात्मक ब्याज को शामिल न करना

मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा ₹554.24 करोड़ के बकाया ऋणों पर देय ₹274.30 करोड़ का दंडात्मक ब्याज, यूजीएफए 2024-25 के विवरण 15 के खंड 3 में शामिल नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में 'ऋण प्राप्तकर्ता संस्थाओं से ब्याज के बकाया भुगतान' को कम करके दिखाया गया। इस अवलोकन को स्वीकार करते हुए, उर्वरक विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि यद्यपि जुर्माना ब्याज की गणना की गई

थी, लेकिन संस्वीकृति आदेशों की अनुपलब्धता के कारण इसे वित्तीय लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

3.2.4 ऋण के तौर पर किया गया व्यय जो आरक्षित निधि से पूरा किया गया

एलएमएमएचए के सामान्य दिशा-निर्देशों के पैरा 6.4 में कहा गया है कि "ऋण प्रकृति का व्यय जो आरक्षित निधि/जमा खातों से पूरा किया जाता है, उसे संबंधित कार्यक्रम उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। आरक्षित निधि/जमा लेखों के प्रति व्यय का समायोजन, कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के अंतर्गत '..... (आरक्षित निधि/जमा खातों का नाम) कोड संख्या 902 आदि से पूरी की गई राशि की कटौती' नामक लघु शीर्ष के अंतर्गत कटौती प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाएगा।"

यूजीएफए 2024-25 के विवरण 15 की संवीक्षा के दौरान, एमएच:6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण-01-सामान्य शिक्षा के अंतर्गत ₹641.54 करोड़ का ऋणात्मक शेष पाया गया। अभिलेखों की आगे की संवीक्षा से ऋणात्मक शेष स्पष्ट हुआ, जैसा कि **चित्र 3.7** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.7: बकाया ऋणों और अग्रिमों का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान अग्रिम राशि	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अग्रिम राशि	वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अग्रिम राशि	वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2011 तक शेष राशि
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(1)+(2)+(3)-(4)*
6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण 01- सामान्य शिक्षा 202- माध्यमिक शिक्षा	750	250	0	1,000	0
6202.01.902- सामाजिक व अवसंरचनात्मक विकास निधि से प्राप्त वसूलियों में कटौती	-641.54	0	0	0	-641.54
कुल	**108.46**	**250**	**0**	**1,000**	**-641.54**

उपरोक्त चित्र से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, ₹750 करोड़ ऋण व्यय के रूप में खर्च किए गए, जिसमें से ₹641.54 करोड़ 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से और शेष ₹108.46 करोड़ सीएफआई से पूरे किए गए। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, इसी लेखा शीर्ष के अंतर्गत सीएफआई से ₹250 करोड़ का अतिरिक्त ऋण संवितरित किया गया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009-10 तक कुल ऋण व्यय ₹1,000 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹1,000 करोड़ की ऋण राशि पूरी तरह से चुका दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वसूली के लिए बकाया राशि शून्य रही।

यह पाया गया कि इस लेखांकन प्रक्रिया के कारण ऋण शीर्ष 6202 के अंतर्गत ₹641.54 करोड़ की ऋणात्मक राशि दर्ज हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 से जारी है। इसके परिणामस्वरूप विवरण संख्या 15 'वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण और अग्रिम' के अंतर्गत अंत शेष में ₹641.54 करोड़ की कमी दर्ज हुई।

सीजीए कार्यालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि मामला संवीक्षा के अधीन है और इस मामले में आगे मार्गदर्शन के लिए इसे बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं लेखा मंत्रालय, सीएजी को भेज दिया गया है।

3.3 पारदर्शिता और प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.3.1 लेवी और उपकर संग्रहण का निर्दिष्ट निधि में कम अंतरण

सरकारी लेखों में आरक्षित निधि का गठन किसी वैधानिक प्रावधान या अन्य के अंतर्गत परिसंपत्तियों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन, विशिष्ट और सुपरिभाषित प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आरक्षित निधि का वित्तपोषण बजटीय सहायता और/या अनुदान, अंशदान, उपकर या लेवी और संचित निधि में एकत्रित कर और इन लेन-देन के लेखांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लोक लेखा में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ₹3,89,220 करोड़[28] की राशि उपकर/शुल्क/लेवी के रूप में जो संघ सरकार के सकल कर राजस्व का 10.25 *प्रतिशत* थी।

सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु लेवी/उपकर और अन्य शुल्क लगाती है। यह मौजूदा कर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है। इस प्रकार प्राप्तियों का लेखांकन, अधिकांश मामलों में, कानून और नियमों द्वारा विनियमित होता है,

[28] इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से वसूला जाने वाला यूनिवर्सल एक्सेस लेवी शामिल है।

जिनमें अक्सर आरक्षित निधियों के निर्माण का प्रावधान होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लेवी/शुल्क का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

लोक लेखा समिति (17वीं लोकसभा) ने अपनी 69वें प्रतिवेदन (अगस्त 2023) में कम अंतरण का संज्ञान लेते हुए सिफारिश की कि उपकर लगाने से पहले, आवश्यक धनराशि की मात्रा और प्रस्तावित उपकर के माध्यम से इसे एकत्र करने की संभावित समयावधि के संबंध में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि अंततः बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है, इसलिए समिति ने यह महसूस किया कि उपकरों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का पता लगाया जा सके। समिति ने सिफारिश की कि लेवी से प्राप्त आय को नियमित रूप से आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्र किए गए उपकरों और लेवी की नमूना जांच से पता चला कि एकत्र की गई राशि का अंतरण कम हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा कि आगे के पैराग्राफो में बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चार आरक्षित निधियों में ₹9,222 करोड़ के कम अंतरण का विवरण **चित्र 3.8** में दिया गया है।

चित्र 3.8: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरक्षित निधि में कम अंतरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निधि का नाम	उद्देश्य	मंत्रालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्रित उपकर	निधि में अंतरित की गई राशि	कम अंतरित राशि
1	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)	निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,135	30	1,105
2	प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके)	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन से जुड़ी योजना (जैसे समग्र शिक्षा और पीएम पोषण)	शिक्षा मंत्रालय (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	42,170	40,900	1,270

3	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित योजनाएं	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	21,085	14,439	6,646
4	तेल उद्योग विकास निधि(ओआईडीएफ)	तेल उद्योग का विकास	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	17,931	17,730	201
कुल				**82,321**	**73,099**	**9,222**

पीएमएसएसएन के बारे में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि वित्त मंत्रालय, वह नोडल मंत्रालय है जो उपकर एकत्रित करने और उसे संबंधित आरक्षित निधि में आवंटित करने के लिए ज़िम्मेदार है। तथापि, आरक्षित निधि में लघु अंतरण के लिए अभी भी विशेष उत्तर प्रतीक्षित है।

इस संबंध में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर लगाए गए उपकर का एक उदाहरण सामने आया है, जो इस प्रकार है:

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की स्थापना का प्रावधान है और उस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है।

अभिलेखों की संवीक्षा करने पर हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 1974-75 से सरकार ने कच्चे तेल पर उपकर के रूप में ₹3,12,782 करोड़ एकत्र किए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹17,931 करोड़ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 1974-75 से वित्तीय वर्ष 1991-92 की अवधि के दौरान केवल ₹902 करोड़ ओआईडीबी को अंतरित किए गए। इसके बाद, उपकर की निरंतर वसूली के बावजूद, वित्तीय वर्ष 1992-93 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान ओआईडीबी को उपकर प्राप्तियों का कोई अंतरण नहीं किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संघ सरकारी वित्त लेखों (यूजीएफए) में तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) को पहली बार सक्रिय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹17,931 करोड़ के उपकर संग्रह के प्रति ₹17,730 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की गई। ओआईडीबी/ओआईडीएफ में उपकर प्राप्तियों के अंतरण न होने या कम अंतरण होने

के कारण, 31 मार्च 2025 तक भारत की संचित निधि (सीएफआई) में ₹2,94,150 करोड़ की राशि बरकरार रही।

इस मामले को सितंबर 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को भेजा गया था। उत्तर प्रतिक्षित है।

3.3.2 निष्क्रिय लेखे

हमने पाया कि 10 आरक्षित निधि[29] और 21 जमा खाते[30] कम से कम तीन वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े थे, जिनमें कुल ₹844.93 करोड़ की निवल जमा राशि थी। सबसे पुराना आरक्षित निधि या जमा खाता वित्तीय वर्ष 2002-03 से निष्क्रिय था। निष्क्रिय आरक्षित निधियों **(अनुलग्नक 3.4)** और जमा लेखों **(अनुलग्नक 3.5)** की सूची संदर्भ के लिए संलग्न की गई है। लेखों के निष्क्रिय होने से यह संकेत मिलता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और जमा राशि का अधिकतम उपयोग करने के लिए उनकी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, अलग-अलग मंत्रालय/विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, कम से कम ₹100 करोड़ की निष्क्रिय जमा राशि के निम्नलिखित दो मामले सामने आए, जैसा कि **चित्र 3.9** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 3.9: कम से कम ₹100 करोड़ की निष्क्रिय जमा राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	शीर्ष विवरण	मंत्रालय/विभाग	31.03.2025 तक शेष राशि	वित्तीय वर्ष से निष्क्रिय
1	8336.00.800	अन्य जमा राशियां	सीबीडीटी	100 (क्रेडिट)	2008-09
2	8452.01.101	राष्ट्रीय निवेश निधि - सिविल - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रीमियम सहित सरकारी इक्विटी होल्डिंग के विनिवेश से प्राप्त आय	शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)	236.59 (क्रेडिट)	2022-23

[29] आठ आरक्षित निधियों में ₹363.72 करोड़ का क्रेडिट शेष था, शेष दो में ₹0.23 करोड़ का डेबिट शेष था।

[30] अठारह जमा खातों में ₹678.98 करोड़ का क्रेडिट शेष था और तीन जमा खातों में ₹197.54 करोड़ का डेबिट शेष था।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (सीबीडीटी) में, आयकर विभाग के कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्यों के लिए गठित "आयकर कल्याण कोष (आईटीडब्ल्यूएफ - 8336.00.800.09)" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से ₹100 करोड़ की राशि सिविल जमा शीर्ष 8336.00.800 - अन्य जमा (क्रम संख्या 1) में निष्क्रिय पड़ी है।

इस ओर ध्यान दिलाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2025 में) उत्तर दिया कि उनका मत आईटीडब्ल्यूएफ निधि को समाप्त करने का नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह निधि पिछले 16 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है।

3.3.3 लघु शीर्ष 800 का लगातार उपयोग

'अन्य प्राप्तियां'/'अन्य व्यय' के नाम से जानी जाने वाली लघु शीर्ष 800 का उपयोग प्रति व व्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उन लेन-देनों के लेखा-जोखा के लिए किया जाता है जिनका लेखा-जोखा किसी अन्य विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। हालाँकि, पारदर्शिता के उद्देश्य से, व्यय और प्राप्ति की प्रत्येक शीर्ष का लेखा-जोखा उसके विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जिससे समग्र शीर्ष 'लघु शीर्ष 800' का उपयोग कम से कम हो सके।

हमने पाया कि तीन मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक, जो कि ₹4,957.58 करोड़ (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹6,061.58 करोड़ का 81.79 *प्रतिशत*) है, को लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **अनुलग्नक 3.6** में विस्तृत है।

इसी प्रकार, छह मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* से अधिक, जो कि ₹4,087.43 करोड़ (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल ₹5,421.99 करोड़ की प्राप्तियों का 75.39 *प्रतिशत*) है, को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **अनुलग्नक 3.7** में विस्तृत है।

इस ओर ध्यान दिलाने पर, सीजीए कार्यालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) कि 'जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन' विभाग के अनुसार, प्राप्तियों में ट्यूबवेल के लिए आवेदन शुल्क, भूजल निष्कर्षण और पुनर्स्थापन शुल्क, एनओसी उल्लंघन के लिए जुर्माना, पर्यावरण मंजूरी शुल्क और पुराने स्क्रैप की बिक्री शामिल है। संबंधित पीएओए को इस प्रकार की बुकिंग से बचने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग लघु शीर्ष खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय के संबंध में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक के लेखांकन के संबंध में, सीजीडीए कार्यालय ने (नवंबर 2025) उत्तर दिया कि मुख्य शीर्ष 0077 - रक्षा सेवाएँ (नौसेना) और मुख्य शीर्ष 0078 - रक्षा सेवाएँ (वायु सेना) के संबंध में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज प्राप्तियों की समीक्षा प्रक्रियाधीन है। डीआरडीओ के संबंध में कुल प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0080 के लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत संकलित की गई हैं। हालाँकि, इन प्राप्तियों को डीआरडीओ के अंतर्गत पाँच अलग-अलग उप-शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए अलग-अलग लघु शीर्ष खोलने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। मुख्य शीर्ष 0080 के संबंध में दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संपूर्ण व्यय लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

3.3.3.1 लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किया गया नियमित प्रकृति का व्यय

परमाणु ऊर्जा विभाग में यह देखा गया कि 'भारी जल पूल प्रबंधन' (एचडब्ल्यूपीएम) से संबंधित व्यय को मुख्य शीर्ष 2801 के अंतर्गत '800-अन्य व्यय' के रूप में दर्ज किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज की गई राशि ₹2,000 करोड़ थी, जो मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आवंटन का 28.65 *प्रतिशत* थी। पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, मुख्य शीर्ष: 2801.03.800 के अंतर्गत दर्ज की गई राशि ₹1,300 करोड़ से ₹2,000 करोड़ के बीच रही। इस स्थिति में, व्यय की एक महत्वपूर्ण राशि, हालांकि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से कम, को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

विभाग ने (अक्टूबर 2025 में) उत्तर दिया कि एचडब्ल्यूपीएम पर ब्याज दर्ज करने के लिए एक अलग खाता अगले वित्तीय वर्ष से खोला जाएगा।

3.3.4 डाक विभाग को देय कार्यचालन व्यय का कम विवरण

नई दिल्ली स्थित डाक जीवन बीमा निदेशालय (पीएलआई) के कार्यालय द्वारा 7 जुलाई 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, डाक जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ)/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीओएलआईएफ) के विक्रय बल को दिए गए प्रोत्साहन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में डाकघर द्वारा विपरीत प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में प्राप्त की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 से डाक विभाग को देय वार्षिक परिचालन व्यय के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने पाया कि 'प्रचार एवं विपणन' के अंतर्गत 'बिक्री बल को प्रोत्साहन' के रूप में ₹189.80 करोड़ दर्ज किए गए थे, जिसमें जीएसटी शामिल था। 18 *प्रतिशत* की लागू जीएसटी दर के अनुसार, जीएसटी ₹28.95[31]करोड़ बनता है। हमने पीओएलआईएफ के वित्तीय समीक्षा प्रतिवेदन (एफआरआर) में देखा कि डीओपी में देय कार्यचालन व्यय के प्रति ₹34.26 करोड़ समायोजित किए गए थे। इस प्रकार, आरसीएम (₹28.95 करोड़) के अंतर्गत जीएसटी के दावे के लिए देय राशि से ₹5.31 करोड़ अधिक समायोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप पीएलआईएफ के लिए डीओपी को देय कार्यचालन व्यय का कम आकलन और एमएच 8016[32] का अधिक आकलन हुआ। इसी प्रकार, आरपीओएलआईएफ में ₹4.17 करोड़[33] अधिक समायोजित किए गए। इस तरह, डाक विभाग को देने वाले कार्य व्यय के अतिरिक्त समायोजन के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमएच 8016 को ₹9.48 करोड़ ज़्यादा और एमएच 3201[34] को भी ₹9.48 करोड़ कम दिखाया गया। इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

3.4 आंतरिक नियंत्रण

3.4.1 सरकारी निवेश

सरकारी निवेशों की नमूना जांच में निम्नलिखित लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियां सामने आईं, जिनमें यूजीएफए और पीएसयू लेखों के बीच सूचनाओं का असंगत होना, यूजीएफए के दो विवरणों में अंतर, इक्विटी शेयरों का गैर-लेखांकन, सरकारी निवेश/शेयरधारिता का गलत प्रस्तुतीकरण और लाभांश का कम भुगतान होना शामिल है।

3.4.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के साथ मिलान न होना

यूजीएफए के विवरण 11 में सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में संघ सरकार के निवेश का विवरण दिया गया है। यूजीएफए में निहित सरकारी कंपनियों/निगमों/बैंकों और सोसाइटियों

---

[31] (189,79,58,646*18/118=28,95,19,115)

[32] लेखा शीर्ष का विवरण 8016-06-104-01-00- डाकघरों आदि में पीएलआई कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान तथा 8016-06-104-02-00- डाकघरों आदि में आरपीएलआई कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान।

[33] आरपीएलआई की बीमा बिक्री टीम को दिए गए प्रोत्साहन के तहत ₹149.02 करोड़ दर्ज किए गए, जिस पर जीएसटी ₹22.73 करोड़ बनता है। लेकिन ₹26.90 करोड़ की राशि डाक विभाग को देय कार्यचालन व्यय के प्रति समायोजित की गई।

[34] 3201 डाक सेवाएं-02 101(14) डाक नेटवर्क-26 पीएलआई के लिए डाक विभाग को मिलने वाला पारिश्रमिक-70 वसूली और 3201 डाक सेवाएं-02 101(14) डाक नेटवर्क-27 आरपीएलआई के लिए डाक विभाग को मिलने वाला पारिश्रमिक-70 वसूली।

आदि की जानकारी का संबंधित संस्थाओं के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों से पुष्टि करने पर विसंगतियां पाई गईं, जिनका विवरण **अनुलग्नक 3.8** में दिया गया है।

3.4.1.2 विवरण 10 और विवरण 11 के बीच निवेश के आंकड़ों में अंतर

यूजीएफए 2024-25 के विवरण 10 में, 'मुख्य शीर्ष 5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक दर्ज की गई निवेश की प्रगामी राशि ₹1,79,485.09 करोड़ दर्शाई गई थी। विवरण 11 से इसकी पुष्टि करने पर, कुल निवेश की राशि ₹1,79,664.15 करोड़ पाई गई, जैसा कि **अनुलग्नक 3.9** में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस प्रकार, यूजीएफए 2024-25 के विवरण 10 और 11 में 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश' के संबंध में ₹179.06 करोड़ का अंतर था।

डीईए (एमओएफ) ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) कि सीजीए कार्यालय के परामर्श से अंतर की राशि का मिलान किया जा रहा है।

3.4.1.3 विवरण 11 में बोनस शेयरों के आबंटन का प्रकटीकरण न करना

एनबीसीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अगस्त 2024 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी। चूंकि सरकार की 61.75 *प्रतिशत* इक्विटी (111,15,79,093 इक्विटी शेयर @ ₹1 प्रति शेयर) की भागदारी है, इसलिए वह 55,57,89,546 करोड़ बोनस शेयरों की हकदार थी। यूजीएफए 2024-25 में एनबीसीसी द्वारा बोनस शेयरों के आवंटन के संबंध में कोई प्रकटीकरण शामिल नहीं है। इस ओर ध्यान दिलाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025 में) कि आवश्यक सुधार सीजीए की संस्वीकृति से पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से किए जाएंगे।

3.4.1.4 सरकारी शेयरधारिता का गलत चित्रण

यूजीएफए 2024-25 के विवरण 11 (क्रम संख्या 102) से पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम, पटना में 49 *प्रतिशत* इक्विटी भागदारी (₹0.49 करोड़) है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड से सत्यापन करने पर पता चला कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹1.92 करोड़ होने के आधार पर मंत्रालय की शेयरधारिता 25.58 *प्रतिशत* है। अतः, आंकड़ों का मिलान आवश्यक है।

3.4.1.5 राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश

यूजीएफए 2024-25 के विवरण 11 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार के निवेश का अंत शेष ₹4,63,073.40 करोड़[35] था। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जून 2025 में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक सहित 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल निवेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में ₹4,46,822.76 करोड़ था। इस प्रकार, दोनों आंकड़ों में ₹16,250.64 करोड़ का अंतर था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) कि संबंधित नियंत्रक (डीएफएस) के विवरण 11 में उल्लिखित आंकड़ों और उनके द्वारा दी गई जानकारी के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

3.4.1.6 यूजीएफए के विवरण 11 में सरकारी निवेश का हिस्सा नहीं दर्शाया जाना

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के इक्विटी शेयरों में ₹10 करोड़ का सरकारी निवेश का प्रकटीकरण (1,00,00,000 शेयर @ 10 प्रति शेयर, पूर्णतः केंद्र सरकार के स्वामित्व में) यूजीएफए के विवरण 11 में नहीं किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के पीएओ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि वित्तीय सेवाएं विभाग को संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹10 करोड़ को शामिल करने के लिए सांकेतिक बजट मांगने और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के विवरण 11 में ₹10 करोड़ की राशि को 'सरकारी निवेश' के रूप में शामिल करने हेतु पूर्व अवधि समायोजन लेखों के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित किया गया है।

3.4.1.7 लाभांश का कम भगतानु

डीआईपीएएम (मई 2016) द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कर पश्चात लाभ (पीएटी) का न्यूनतम 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का पांच *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन का भुगतान करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त कुल लाभांश ₹3,08,435.86 करोड़ था। सीपीएसई से प्राप्त लाभांश से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच करने पर हमने पाया कि प्राप्य लाभांश ₹1,814.59 करोड़ के प्रति केवल ₹971.77 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ, जिसके

[35] राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ₹4,17,546.06 करोड़ और भारतीय स्टेट बैंक में आरबीआई की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की लागत के लिए ₹45,527.34 करोड़।

परिणामस्वरूप छह मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यरत सात संस्थाओं के संबंध में ₹842.82 करोड़ का लाभांश कम प्राप्त हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 3.10** में विस्तृत है।

3.4.2 गारंटी शुल्क

संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, भारत सरकार (जीओआई) केंद्रीय सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आदि को अनुकूल शर्तों पर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए संप्रभु गारंटी प्रदान करती है। सरकारी गारंटी नीति (मई 2022) गारंटी के अनुदान को नियंत्रित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, बकाया गारंटियों की कुल राशि ₹3,33,454.63 करोड़ थी। इसके बदले में, सरकार संस्थाओं से गारंटी शुल्क वसूल करती है।

हमने गारंटी शुल्क की कम वसूली के ऐसे मामले देखे जिनकी कुल राशि ₹322.13 करोड़ थी, जैसा कि **चित्र 3.10** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 3.10: गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	गारंटी शुल्क प्राप्य	गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति
1	औषध विभाग-आईडीपीएल (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	100.56	0	100.56
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) (दूरसंचार विभाग)	240.06	134.03	106.03
3	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) (दूरसंचार विभाग)	151.27	35.73	115.54
	कुल	**491.89**	**169.76**	**322.13**

औषध विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि निधि की कमी के कारण आईडीपीएल शुरू से ही गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं कर सका, क्योंकि आईडीपीएल एक बीमार पीएसयू है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के 28 दिसंबर 2016 के निर्णय के अनुसार इसकी बंदीकरण प्रक्रिया चल रही है। दूरसंचार विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025 में) कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की गारंटी फीस माफ करने के संबंध में एक अनुरोध आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि

एमटीएनएल ने वित्तीय संकट के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 से गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

3.4.3 अथ शेष

विवरण 13 की संवीक्षा से पता चला कि रिज़र्व बैंक जमा और संघ सरकार के वित्त लेखों के नकद शेष में ₹1,961.75 करोड़[36] (क्रेडिट) का निवल संचयी अंतर है (सिविल मंत्रालयों का ₹1,240.41 करोड़ (क्रेडिट), केंद्र शासित प्रदेशों का ₹287.04 करोड़ (क्रेडिट) और गैर-सिविल मंत्रालयों का ₹434.30 करोड़ (क्रेडिट))। ₹1,961.75 करोड़ (क्रेडिट) का निवल संचयी अंतर ₹2,921.21 करोड़ के क्रेडिट शेष और ₹959.46 करोड़ के डेबिट शेष के नेटिंग के कारण है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलान किया जाने वाला कुल नकद शेष ₹3,880.67 करोड़ था।

इसके अलावा, विवरण 13 और आरबीआई के आंकड़ों के बीच अंत शेष में अंतर के संदर्भ में नमूना जांचित मंत्रालयों/विभागों में नकदी शेष की विस्तृत संवीक्षा **अनुलग्नक 3.11** में दिखाई गई है।

3.5 वर्गीकरण त्रुटियां

संविधान के अनुच्छेद 112(2) में यह प्रावधान है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखों के व्यय को अन्य व्ययों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। राजस्व लेखों और पूंजीगत लेखों के व्ययों के वर्गीकरण के सिद्धांतों का तदनुसार पालन किया जाना चाहिए।

महानियंत्रक लेखा कार्यालय लेखांकन प्रक्रियाओं पर मंत्रालयों को निर्देश जारी करता है। लेखों का छह स्तरीय वर्गीकरण **चित्र 3.11** में विशिष्ट मुख्य शीर्ष (2210: चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य) के उदाहरण के साथ दिया गया है।

चित्र 3.11: लेन-देन के लेखांकन का वर्गीकरण

लेनदेन के कारण	उदाहरण	वर्गीकरण
कार्य	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (2210)	मुख्य शीर्ष (4 अंक)
उपकार्य	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (05)	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
प्रोग्राम	आयुर्वेद (101)	लघु शीर्ष (3 अंक)
योजना	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान (02)	उप-शीर्षक (2 अंक)
उप-योजना	स्वच्छता कार्य योजना (96)	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)

[36] आरबीआई (सीएएस), नागपुर के अनुसार क्रेडिट शेष (₹4,592.79 करोड़) और यूजीएफए के अनुसार (₹2,631.04 करोड़)।

लेन-देन की प्रकृति	सामान्य सहायता अनुदान (31)	वस्तु शीर्ष (2 अंक)

जीएफआर, 2017 का नियम 78 यह निर्धारित करता है कि सरकारी लेखों में लेन-देन का वर्गीकरण सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों तथा प्राप्ति या व्यय के उद्देश्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए बजाये उस विभाग के जिसमें प्राप्ति या व्यय होता है। इसके अतिरिक्त, डीएफपीआर का नियम 8 'पूंजीगत व्यय' के लिए 'वस्तु वर्ग VI' के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को निर्दिष्ट करता है। अतः, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण के लिए किया जा सकता है और ये केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होते हैं। अन्य वस्तु वर्गों (वर्ग I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग सामान्यतः राजस्व व्यय के वर्गीकरण के लिए किया जाता है और साधारणतया इन्हें पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

हमने कई विचलन देखे जिनके कारण ₹12,754.47 करोड़ की राशि का गलत वर्गीकरण हुआ। इनमें से ₹4,011.91 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे। शेष ₹8,742.56 करोड़ के गलत वर्गीकरण व्यय से संबंधित थे और इनमें से अधिकांश व्यय गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए जाने से संबंधित थे (₹8,723.83 करोड़)।

3.5.1 प्राप्तियों में गलत वर्गीकरण

i. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में ₹930.17 करोड़ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड व सीमा शुल्क (सीबीआईसी) में ₹1,011.71 करोड़ की गैर-कर राजस्व प्रकृति की प्राप्तियां कर राजस्व के संबंधित मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

सीबीडीटी ने (अक्टूबर 2025) उत्तर दिया कि संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बुकिंग आयकर पोर्टल के माध्यम से करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए चालानों के आधार पर की जाती है, जिसका उपयोग कर राजस्व संग्रह के लिए किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि डीजीआईटी और पीआरकेएएलएपी के परामर्श से, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज की गई प्राप्तियों के वर्गीकरण की पहचान करने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐसी बुकिंग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएच 0021 (आय पर कर) के लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज की गई राशि ₹928.56 करोड़ थी, जो कि एक पर्याप्त राशि है। साथ ही, संवीक्षा करने पर हमने पाया कि प्राप्तियों की प्रकृति गैर-कर

राजस्व थी और उन्हें कर राजस्व के बजाय संबंधित गैर-कर राजस्व मुख्य मदों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

लेखा शीर्ष 0037.00.800[37] और 0038.60.800[38] के संबंध में, सीबीआईसी ने (नवंबर 2025 में) कहा कि वर्गीकरण करदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए चालानों के आधार पर किया गया था। इन शीर्षों के अंतर्गत की गई बुकिंग गलत वर्गीकरण नहीं थी और एलएमएमएच के अनुसार थी। तथापि, चूंकि इसमें शामिल राशि काफी अधिक है, इसलिए सीजीए कार्यालय के परामर्श से नए लेखांकन शीर्ष खोलने पर विचार किया जा रहा था। इसके अलावा, लेखा शीर्ष 0037.00.800.02 (शुल्क, जुर्माना, ज़ब्ती और विविध शीर्ष) के संबंध में, सीबीआईसी ने उत्तर दिया कि बुकिंग चालानों के विवरण के आधार पर की गई थी और चालानों में शुल्क और जुर्माने की प्रकृति स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं थी। इसे शीर्ष 0037.00.105.04[39] के अंतर्गत लेखांकित करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि इन प्राप्तियों को उसी मुख्य शीर्ष के भीतर एक अलग लघु शीर्ष में दर्ज किया जाता है, तो भी इन्हें कर राजस्व के रूप में ही दर्ज किया जाएगा।

ii. आगे यह भी देखा गया कि कर राजस्व के समान/अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग लघु शीर्ष होने के बावजूद, शुल्क संग्रह, कटौती वापसी आदि जैसी कुछ प्राप्तियों को संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। नमूना जांच के दौरान पहचानी गई इस प्रकार की गलत वर्गीकरण की कुल राशि सीबीआईसी में ₹2,070.03 करोड़ थी।

सीबीआईसी ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि जीएसटी के मुख्य शीर्ष-0005, 0008, 0009 और सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के अंतर्गत बुकिंग करदाताओं द्वारा मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत चालानों के आधार पर की जा रही थी। इसमें यह भी कहा गया कि विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुकिंग बहुत कम थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेन-देन के सही लेखांकन के लिए, प्राप्तियों की बुकिंग निर्दिष्ट उपलब्ध लघु शीर्ष में की जानी चाहिए। विभाग को इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

---

[37] मुख्यशीर्ष 0037-सीमाशुल्क; लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां

[38] मुख्यशीर्ष 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क; लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां

[39] लघु शीर्ष 105- जब्त माल की बिक्री से प्राप्त आय; उप-शीर्ष 04- अन्य माल खुदरा दुकान

3.5.2 व्यय का गलत वर्गीकरण

i. तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹37.90 करोड़ के राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में और दो अनुदानों के अंतर्गत ₹98.96 करोड़ के पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12क और 3.12ख** में विस्तृत किया गया है।

ii. छह अनुदानों के अंतर्गत 21 मामलों में, ₹5,456.84 करोड़ की राशि को अनुदान/विनियोग के उसी खंड में गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12 ग** में बताया गया है।

iii. भारत सरकार ने गैर-सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और डीओएस के स्वामित्व वाली सुविधाओं के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया। तथापि, डीओएस ने इन-स्पेस को अनुदान जारी करने के लिए अन्य मदों का उपयोग किया - राजस्व खंड के अंतर्गत ₹24.79 करोड़ और पूंजीगत खंड के अंतर्गत ₹15.37 करोड़, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12घ** में विस्तार से बताया गया है। इन-स्पेस, डीओएस के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, निधि को वस्तु शीर्ष '31', '35' और '36' के अंतर्गत जारी किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप शीर्ष '31- सहायता अनुदान-सामान्य' और '36- सहायता अनुदान - वेतन' के अंतर्गत ₹24.79 करोड़ तथा शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत ₹15.37 करोड़ व्यय कम दिखाया गया। यह मुद्दा इन-स्पेस के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों में भी उठाया गया था। डीओएस का उत्तर प्रतीक्षित था।

iv. अंतरिक्ष विभाग ने कैंटीन से संबंधित ₹9.33 करोड़ व्यय [पीएओ-यूआरएससी (परियोजना) (₹0.05 करोड़), पीएओ-यूआरएससी (केंद्र) (₹7.29 करोड़) और पीएओ-आईएसटीआरएसी (₹1.99 करोड़)] को मुख्य शीर्ष 3402 के अंतर्गत लघु शीर्ष 101-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में गलत तरीके से दर्ज किया, जबकि यह सही लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय मुख्य शीर्ष 3402 के अंतर्गत दर्ज होना था, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत जरूरी था। अंतरिक्ष विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

v. परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्व वस्तु शीर्षों का उपयोग करते हुए पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹3,089.97 करोड़ का व्यय किया। तथापि, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग

केवल राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ही किया जाना था। भारी जल के उत्पादन के परिचालन व्यय और फ़ीड स्टॉक सामग्री के उत्पादन के व्यय से संबंधित राजस्व प्रकृति की इन वस्तु शीर्ष को, पूंजीगत लेखा शीर्ष '4861.01.204' और '4861.01.207' के पूंजीगत लेखा शीर्ष में डेबिट किए जा रहे हैं। (विवरण **अनुलग्नक 3.12ङ.** में देखें)।

विभाग ने उत्तर दिया कि पूंजीगत खंड के अंतर्गत दर्शाए गए राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्ष मुख्य रूप से भारी जल बोर्ड के परिचालन व्यय से संबंधित हैं। विभाग ने यह भी बताया कि उसने भारी जल के परिचालन व्यय की बुकिंग को पूंजीगत खंड से राजस्व खंड में अंतरण करने और फीड स्टॉक तथा किसी भी नकदी प्रवाह की बुकिंग के लिए अंतरण प्रविष्टियों को बंद करने के लिए सीजीए कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया है, और इसे केवल प्रोफोर्मा लेखों तक सीमित रखा जा सकता है। सीजीए कार्यालय ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व प्रकृति की वस्तु शीर्षों को पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपयोग नहीं किया जा सकता है।

vi. रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन (डीएसएससी) के कमांडेंट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आकस्मिक श्रम की आउटसोर्सिंग हेतु ₹9.40 करोड़ की नौ संस्वीकृतियां दीं। संस्वीकृति आदेश में दर्शाया गया था कि व्यय को मुख्य शीर्ष 2077, लघु शीर्ष 112-संयुक्त स्टाफ और विस्तृत शीर्ष 692/26 जो 'अन्य विविध व्यय' से संबंधित है के अंतर्गत दर्ज किया जाना था, जबकि सही विस्तृत शीर्ष 691/06 'आकस्मिक/दैनिक श्रमिकों' को भुगतान से संबंधित है। नियंत्रक रक्षा लेखा (सीडीए), चेन्नई भी इस त्रुटि को पहचानने में विफल रहे और उन्होंने ₹9.40 करोड़ के इस व्यय को गलत शीर्ष में दर्ज कर दिया। डीएसएससी वेलिंगटन ने उत्तर दिया कि आकस्मिक श्रम से संबंधित व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 तक विविध शीर्षों जैसे 691/06, 692/29 और 692/30 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथापि, आईएफए (डीएसएससी) ने इस पद्धति पर आपत्ति की और सुझाव दिया कि भुगतान को आई एंड एम अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया जाए। डीएसएससी ने भी यह कहा कि उसे सूचना एवं रखरखाव अनुदान के अंतर्गत कोई विशिष्ट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, वर्ष 2013 से उक्त व्यय को समरूप तुलनीय शीर्ष जैसे 692/26 (अन्य विविध व्यय) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। डीएसएससी वेलिंगटन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आकस्मिक श्रमिकों

के वेतन और भत्तों के लिए वर्गीकरण कोड शीर्षों का एक उचित सेट निर्धारित किया गया है।

अध्याय

4

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 4

बजटीय प्रबंधन

4.1 विनियोग लेखों का अवलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम (संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत) सरकार को चिन्हित सेवाओं और उद्देश्यों के लिए भारत की संचित निधि (सीएफआई) से अनुदान मांगों के अंतर्गत निर्दिष्ट राशियां, निकालने का अधिकार देता है। संसद वित्तीय वर्ष के दौरान (संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत) अनुपूरक अनुदानों[40] को भी मंजूरी देती है। विनियोग उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो पूरी तरह से सीएफआई से 'प्रभारित' होते हैं। अनुदान उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो या तो पूरी तरह से 'दत्तमत' होते हैं या आंशिक रूप से 'दत्तमत' और आंशिक रूप से 'प्रभारित' होते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छह विनियोग और 96 अनुदान हैं।

[40] वित्तीय वर्ष 2024-25 में संसद द्वारा दो बैच में अनुपूरक अनुदान पारित किए गए थे (दिसंबर 2024 में पहला बैच और मार्च 2025 में दूसरा बैच)

चित्र 4.1: बजट प्रक्रिया

बजट अनुमान (बीई) वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बजट प्रभाग द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमों और निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इन निर्देशों में यह उल्लिखित है कि बीई को यथार्थवादी रूप से तैयार किया जाए ताकि सभी व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी राशि अप्रयुक्त न रह जाए। बजट दस्तावेजों में शामिल करने से पहले, डीईए, वित्त मंत्रालय द्वारा बीई की संवीक्षा की जाती है।

प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत)। विनियोग लेखे अनुदान/विनियोग के अनुसार 11 अंकों के कोड में तैयार किए जाते हैं, जिनमें मुख्य शीर्ष के लिए 4 अंक, उप-मुख्य शीर्ष के लिए 2 अंक, लघु शीर्ष के लिए 3 अंक और उप-शीर्ष के लिए 2 अंक होते हैं। ये लेखे सकल व्यय के लिए होते हैं और इनमें वे वसूलियां शामिल नहीं होती हैं जिन्हें व्यय में कमी के लिए समायोजित किया जा सकता है। विनियोग लेखे डीडीजी में दर्शाए गए बजट अनुमानों के

साथ-साथ अनुपूरक बजट और पुनर्विनियोग (यदि कोई हो) के प्रभाव पर आधारित होते हैं, और संस्वीकृत प्रावधानों के प्रति बचत और व्यय की अधिकता (यदि कोई हो) को दर्शाते हैं।

इस अध्याय में, 'ओ' का अर्थ मूल अनुदान या विनियोग है, 'एस' का अर्थ अनुपूरक अनुदान या विनियोग है, 'आर' का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, आहरण या अभ्यर्पण है, 'संस्वीकृत प्रावधान' का अर्थ मूल अनुदान या विनियोग और अनुपूरक अनुदान या विनियोग (ओ+एस) है, 'बचत' का अर्थ संस्वीकृत प्रावधान और व्यय के बीच का अंतर (व्यय-(ओ+एस)) है, और 'अतिरिक्त' का अर्थ संस्वीकृत प्रावधान और पुनर्विनियोग से अधिक किया गया व्यय (व्यय-(ओ+एस+आर)) है।

4.1.1 संस्वीकृत प्रावधानों और व्यय का विवरण

चित्र 4.2 में सिविल, रक्षा, रेलवे और डाक मंत्रालयों/विभागों में संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण दिखाया गया है, जबकि खंडवार विवरण **अनुलग्नक 4.1** में दिया गया है।

चित्र 4.2: संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत[41]

(₹ करोड़ में)

विनियोग लेखे (अनुदानों/विनियोगों की संख्या)	मूल प्रावधान (ओ)	अनुपूरक प्रावधान (एस)	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+) *(प्रतिशत में)*
सिविल (98)	1,26,97,948.89	7,49,237.15	1,34,47,186.04	1,29,99,385.24	-4,47,800.80 (3.33%)
रेलवे (1)	7,89,818.55	1,146.57	7,90,965.12	7,64,346.51	-26,618.61 (3.37%)
रक्षा (2)	4,61,687.14	15,404.52	4,77,091.66	4,60,888.94	-16,202.72 (3.40%)
डाक (1)	38,917.24	482.42	39,399.66	38,718.98	-680.68 (1.73%)
कुल (102)	**1,39,88,371.82**	**7,66,270.66**	**1,47,54,642.48**	**1,42,63,339.67**	**-4,91,302.81 (3.33%)**

सिविल मंत्रालयों द्वारा कुल सकल व्यय का अधिकांश हिस्सा, अर्थात् 91.14 *प्रतिशत*, वहन किया गया, जैसा कि **चित्र 4.3 में** दिखाया गया है।

[41] विनियोग लेखों में, संसद द्वारा संस्वीकृत राशियों जिनमे अनुपूरक अनुदान या विनियोग और उनके व्यय शामिल हैं, के संदर्भ में भिन्नताओं का स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऋणात्मक भिन्नताओं को बचत और घनात्मक भिन्नताओं को अतिरिक्त कहा जाता है।

चित्र 4.3: व्यय का ब्यौरा

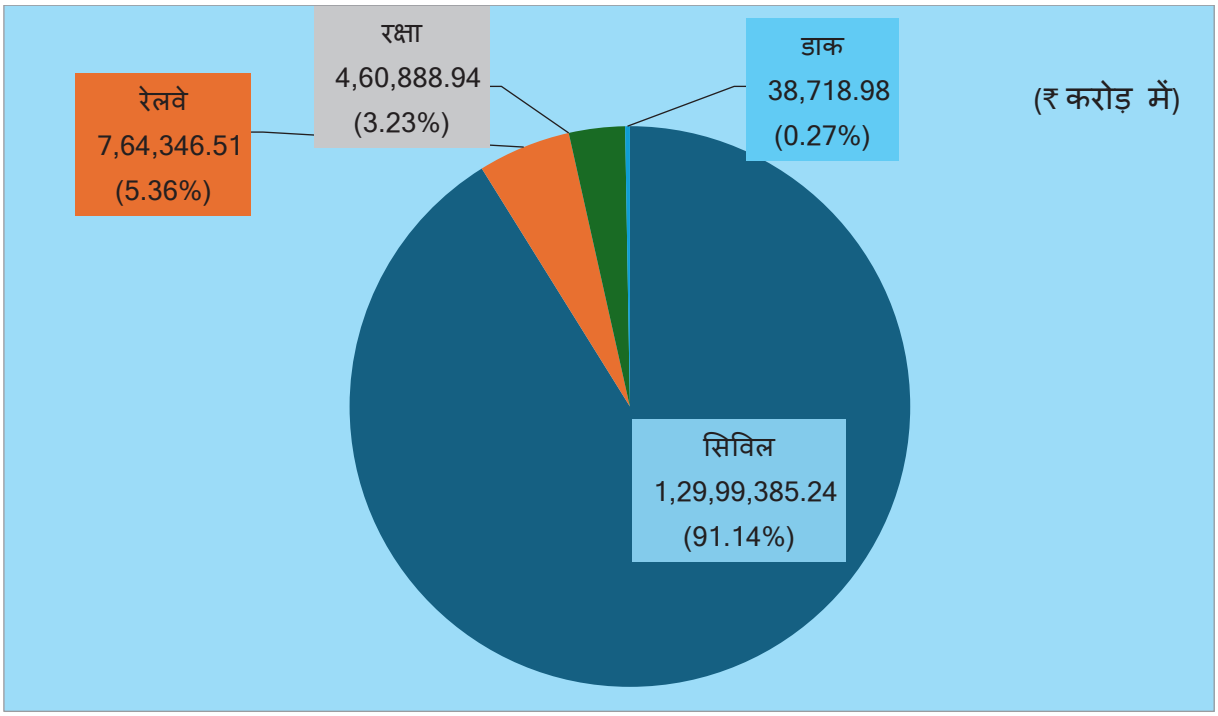

अधिकांश अनुदान/विनियोगों (59 *प्रतिशत*) का बजट ₹10,000 करोड़ से कम था और 18 अनुदान/विनियोगों का बजट ₹1,00,000 करोड़ से अधिक था, जिनमें से केवल दो विनियोग - ब्याज भुगतान और ऋण की पुनर्अदायगी - ₹10,00,000 करोड़ से अधिक थे, जैसा कि नीचे **चित्र 4.4** और **अनुलग्नक 4.2** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 4.4: संसद द्वारा प्राधिकृत संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस) के आधार पर अनुदानों/विनियोगों का वर्गीकरण

वर्ग	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	अनुदानों/विनियोगों की संख्या
1	₹999 करोड़ तक	13
2	₹1,000 करोड़ से ₹9,999 करोड़	47
3	₹10,000 करोड़ से ₹99,999 करोड़	24
4	₹1,00,000 करोड़ से ₹9,99,999 करोड़	16
5	₹10,00,000 करोड़ और उससे अधिक	2
कुल		**102**

4.1.2 प्रभारित और दत्तमत व्यय

कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएफआई से कुल व्यय का 69.96 *प्रतिशत* था, जैसा कि नीचे **चित्र 4.5** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 4.5: प्रभारित और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत (-) अतिरिक्त (+)
प्रभारित			
सिविल	1,00,45,771.81	99,76,833.24	-68,938.57
रेलवे	1,684.01	1,403.59	-280.42
रक्षा	319.27	163.30	-155.97
डाक	2.00	0.00	-2.00
कुल	**1,00,47,777.09 (68.10%)**	**99,78,400.13 (69.96%)**	**-69,376.96 (14.12%)**
दत्तमत			
सिविल	34,01,414.23	30,22,552.00	-3,78,862.23
रेलवे	7,89,281.11	7,62,942.92	-26,338.19
रक्षा	4,76,772.39	4,60,725.64	-16,046.75
डाक	39,397.66	38,718.98	-678.68
कुल	**47,06,865.39 (31.90%)**	**42,84,939.54 (30.04%)**	**-4,21,925.85 (85.88%)**
कुल योग	**1,47,54,642.48**	**1,42,63,339.67**	**-4,91,302.81**

सिविल अनुदान/विनियोग का प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएफआई से हुए कुल व्यय का 69.95 *प्रतिशत* था। सिविल अनुदान/विनियोग के अंतर्गत प्रमुख प्रभारित व्यय में दो विनियोग शामिल थे, अर्थात ऋण की पुनर्अदायगी (₹85,00,778.90 करोड़, जो सिविल अनुदान/विनियोग के कुल व्यय का 65.39 *प्रतिशत* है) और ब्याज भुगतान (₹11,64,271.06 करोड़, जो सिविल अनुदान/विनियोग के कुल व्यय का 8.96 *प्रतिशत* है), तथा एक अनुदान, अर्थात राज्यों को अंतरण (₹3,04,751.73 करोड़, जो सिविल अनुदान/विनियोग के कुल व्यय का 2.34 *प्रतिशत* है)। प्रभारित व्यय में पिछले चार वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई **(चित्र 4.6)**।

चित्र 4.6: सिविल अनुदान/विनियोगों में प्रभारित और दत्तमत व्यय

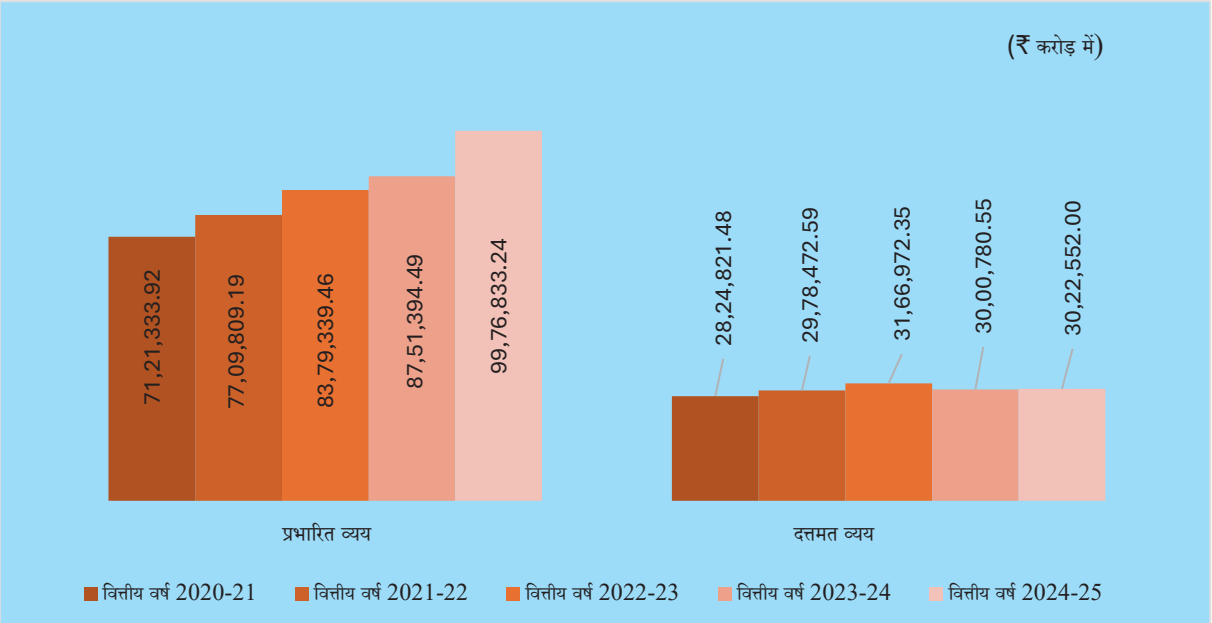

4.2 प्राधिकरण से भिन्नता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 102 अनुदानों/विनियोगों में से 30 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में संस्वीकृत प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक की बचत हुई। एक अनुदान, अर्थात पर्यटन मंत्रालय (81.62 *प्रतिशत*), में 80 *प्रतिशत* से अधिक की बचत हुई, जबकि चार अनुदानों, अर्थात कारपोरेट कार्य मंत्रालय (73.66 *प्रतिशत*), योजना मंत्रालय (71.77 *प्रतिशत*), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (66.07 *प्रतिशत*) और भारी उद्योग मंत्रालय (62.90 *प्रतिशत*), में 61 से 80 *प्रतिशत* के बीच बचत हुई, जैसा कि **चित्र 4.7** और **अनुलग्नक 4.2** में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 4.7: प्रतिशत भिन्नता (अतिरिक्त/बचत) के आधार पर अनुदान/विनियोगों का वर्गीकरण

संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस) के संबंध में बचत/अतिरिक्त का %	दर्शाये गए अनुदानों/विनियोगों की संख्या	
	बचत	अतिरिक्त
0% - 20%	72	शून्य
20% >= 40%	19	शून्य
40% >= 60%	6	शून्य
60% >= 80%	4	शून्य
80% से ऊपर	1	शून्य
कुल	**102**	**शून्य**

4.2.1 अतिरिक्त व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अलावा सीएफआई से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। बजटीय प्रावधान से अधिक राशि, यदि कोई हो, तो संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत संसद द्वारा नियमित की जानी आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अनुदान/विनियोग या खंड स्तर पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। हमने अतिरिक्त व्यय का विश्लेषण लघु/उप-शीर्ष स्तर पर किया, साथ ही अतिरिक्त व्यय के कारणों का भी विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

4.2.1.1 लघु/उप-शीर्ष स्तर पर किया गया अतिरिक्त व्यय

जीएफआर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, लेखा अधिकारी मुख्य लेखांकन प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के बिना बजट प्रावधानों से अधिक संस्वीकृति के प्रति किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा, किसी भी शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त राशि को संस्वीकृत करने से पहले, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखांकन प्राधिकारी पुनर्विनियोग/अनुदान के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 16 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹8,637.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पाया, जिसमें पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांगों के माध्यम से पर्याप्त निधि का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया था। विवरण **अनुलग्नक 4.3** में उपलब्ध है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.3 के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

लघु/उप-शीर्ष स्तर पर किए गए अतिरिक्त व्यय के ऐसे मामले का उदाहरण निम्नलिखित है:

अनुदान संख्या 35-राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय के अधीन) में यह पाया गया कि उप-शीर्ष 3602.08.797.02-'वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि' में अंतरण के अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान ₹5,000 करोड़ के प्रति ₹1,370.24 करोड़ (27.40 *प्रतिशत*) का अतिरिक्त व्यय हुआ था, जैसा **चित्र 4.8** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.8: उप-शीर्ष 3602.08.797.02 के अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान और अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय	अतिरिक्त
3602.08.797.02 -वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	5,000.00	0.00	0.00	6,370.24	1,370.24

विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि आरई 2024-25 के दौरान, उपकर के अधिक संग्रहण की उम्मीद के कारण, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान को संशोधित करके ₹6,500 करोड़ कर दिया गया था। इसके अलावा, समग्र व्यय संस्वीकृत अनुदान के भीतर है और डीईए के बजट प्रभाग द्वारा निर्धारित आरई सीमा के अनुसार ₹129.75 करोड़ की बचत हुई है।

यद्यपि आरई चरण में अनुमानों को संशोधित किया गया था, लेकिन जहां तक विनियोग लेखों का संबंध है, बजटीय प्रावधान को न तो अनुदान के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से और न ही उसी खंड के भीतर किसी अन्य उप-शीर्ष से इस उप-शीर्ष के लिए प्रावधान के पुनर्विनियोग के माध्यम से संशोधित किया गया था।

4.2.2 बचत

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹4,91,302.81 करोड़ थी, जो कुल संस्वीकृत प्रावधान का 3.33 *प्रतिशत* रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल संस्वीकृत प्रावधान की 12.07 *प्रतिशत* बचत के प्रति यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। हमने अनुदान/विनियोग स्तर, खंड स्तर, लघु/उप-शीर्ष स्तर पर बचत का विश्लेषण किया, साथ ही कार्यपालिका द्वारा बचत के लिए दिए गए कारणों का भी विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

4.2.2.1 अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 19 अनुदानों/विनियोगों में अनुदान/विनियोग स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत देखी, जो कुल मिलाकर ₹4,17,825.75 करोड़ थी और 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल ₹4,91,302.81 करोड़ की बचत का 85.04 *प्रतिशत* थी। छह अनुदानों/विनियोगों, अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग (₹62,586.33 करोड़), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹51,132.04 करोड़), ब्याज भुगतान (₹44,570.30 करोड़),

राज्यों को अंतरण (₹36,219.64 करोड़), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (₹32,660.95 करोड़) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹30,934.04 करोड़) के अंतर्गत बचत ₹30,000 करोड़ से अधिक थी।

उपरोक्त 19 अनुदानों/विनियोगों में से, जिनमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, सात अनुदानों में वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी सतत बचत हुई, जैसा कि **चित्र 4.9** में दर्शाया गया है। शेष 12 अनुदानों/विनियोगों की सूची **अनुलग्नक 4.4** में दी गई है। चार अनुदानों, अर्थात 'राज्यों को अंतरण', 'दूरसंचार विभाग', 'रेलवे मंत्रालय' और 'कृषि एवं किसान कल्याण विभाग' के अंतर्गत निरंतर बचत प्रत्येक वर्ष ₹10,000 करोड़ से अधिक रही। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.4 के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

चित्र 4.9: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि		
		वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	42-राज्यों को अंतरण	36,219.64	46,012.89	67,882.04
2	85-रेल मंत्रालय	26,618.61	38,841.27	27,193.69
3	13-दूरसंचार विभाग	23,245.20	21,037.97	12,420.67
4	87-ग्रामीण विकास विभाग	12,517.39	8,692.95	6,122.99
5	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12,298.73	8,373.61	9,663.60
6	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	10,528.74	13,155.29	22,427.54
7	25-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	9,890.71	5,148.41	14,659.28
	कुल	**1,31,319.02**	**1,41,262.39**	**1,60,369.81**

हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किए जाने और लोक लेखा समिति के निर्देशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा यथार्थवादी बजट निर्धारण पर जारी परामर्श के बावजूद लगातार बचत दर्ज की गई।

अनुदान स्तर पर महत्वपूर्ण बचत के ऐसे ही मामले का उदाहरण निम्नलिखित है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या 13-'दूरसंचार विभाग (डीओटी)' के अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान ₹1,55,104.67 करोड़ जिसमें ₹23,476.69 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान शामिल हैं, के प्रति ₹23,245.20 करोड़ (14.99%) की बचत हुई, जैसा कि **चित्र 4.10** में दिया गया है।

चित्र 4.10: अनुदान संख्या 13-दूरसंचार विभाग के अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान और बचत

(₹ करोड़ में)

मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1,31,627.98	23,476.69	1,31,859.47	23,245.20

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, दूरसंचार विभाग ने (दिसंबर 2025) उत्तर दिया कि अनुपूरक मांग आरई प्रस्तावों के आधार पर, जिसमें दूरसंचार विभाग की इकाइयों के उचित तर्क भी है, उठाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अनुदान के पूंजीगत-दत्तमत खंड में तीन[42] उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹3,655 करोड़ की बचत को व्यपगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत नेट के लिए धनराशि यूएसओ निधि से जारी की जा रही है और वास्तव में व्यय की गई राशि ही यूएसओ निधि से डेबिट की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में बजट अनुमान बनाते समय आवश्यकताओं को अत्यंत सावधानी से ध्यान में रखा जाएगा।

यह तर्क कि यूएसओ निधि से पूरे किये जा रहे प्रावधानों को बचत के मामले में व्यपगत नहीं माना जा सकता है, मान्य नहीं है क्योंकि यदि इस धन का अनुमान बेहतर होता या प्रावधानों को समय पर किसी अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजित किया जाता या समय पर अभ्यर्पित किया जाता तो इस राशि को किसी अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भी प्रावधानित किया जा सकता था।

इसके अलावा, अनुदान के अंतर्गत की गई बचत अनुपूरक प्रावधानों का लगभग 99 *प्रतिशत* थी। यह अनुदान की अनुपूरक मांग के अनुचित अनुमान को दर्शाता है।

इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों से इस अनुदान के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत हो रही है (चित्र 4.9 का क्रमांक 3)। यह भी अक्षम बजटीय अनुमान और निधि प्रबंधन की ओर संकेत करता है।

[42] उप-शीर्ष 5275.00.101.05, 5275.00.789.02, 5275.00.796.03 - अनुलग्नक 4.5 'क' की क्रम संख्या 235, 237 और 238

विभिन्न अनुदानों में निरंतर ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की बचत को देखते हुए, हम बजट अनुमान में पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने और समय पर अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की अनुशंसा करते हैं।

4.2.2.2 खंड स्तर और लघु/उप शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लोक लेखा समिति को यह अपेक्षा है कि अनुदान/विनियोग में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत के बारे में समिति को बताया जाए। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा खंडवार[43] तैयार किए गए विस्तृत व्याख्यात्मक नोट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

74 अनुदानों/विनियोगों के 97 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, जिसकी कुल राशि ₹4,89,358.94 करोड़ थी। यह बचत 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹4,91,302.81 करोड़ की कुल बचत का 99.60 *प्रतिशत* थी। चार अनुदानों/विनियोगों के चार खंडों में प्रत्येक में बचत ₹30,000 करोड़ से अधिक थी, जो संस्वीकृत प्रावधानों का 3.69 *प्रतिशत* से 84.47 *प्रतिशत* तक थी, अर्थात आर्थिक कार्य विभाग (पूंजीगत दत्तमत ₹59,940.12 करोड़), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (राजस्व दत्तमत ₹51,132.04 करोड़), ब्याज भुगतान (राजस्व प्रभारित ₹44,570.30 करोड़) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (राजस्व दत्तमत ₹32,191.44 करोड़) में थी। विवरण **अनुलग्नक 4.5क** में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, एक अनुदान, अर्थात राज्यों को अंतरण, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक दो खंडों (राजस्व दत्तमत और राजस्व प्रभारित) में बार-बार ₹10,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई।

इसके अतिरिक्त, हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹100 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण[44] बचत 76 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 284 लघु/उप-शीर्षों[45] में देखी, जैसा कि **अनुलग्नक 4.5क** में विस्तृत है। यह बचत कुल मिलाकर ₹4,83,499.72 करोड़ थी और 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹4,91,302.81 करोड़ की कुल बचत का 98.41 *प्रतिशत* थी। आठ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत नौ[46] लघु/उप-शीर्षों में से प्रत्येक में बचत ₹10,000

---

[43] प्रत्येक अनुदान/विनियोग में चार खंड है - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) व पूंजीगत (दत्तमत)

[44] लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत तथा लघु/उप-शीर्ष स्तर पर न्यूनतम ₹100 करोड़ की सीमा के अधीन आबंटन से 25 *प्रतिशत* अधिक की बचत।

[45] पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में मुख्य शीर्ष 2552 तथा 4552 के अंतर्गत बचत को नहीं रखा गया है क्योंकि वे गैर कार्यात्मक शीर्ष हैं (अनुदान 23-एम/ओ डीओएनईआर को छोड़कर)।

[46] अनुलग्नक 4.5क में लघु/उप-शीर्ष क्रम संख्या 82, 119, 137, 213, 236, 239, 253, 276 और 279

करोड़ से अधिक थी, जो ₹10,456.70 करोड़ से लेकर ₹62,592.88 करोड़ तक थी। इसके अतिरिक्त, 18 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 30[47] लघु/उप-शीर्षों में कुल ₹1,01,357.07 करोड़ के सम्पूर्ण संस्वीकृत प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक 4.5क** में विवरण दिया गया है।

खंड स्तर और लघु/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(I) लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या 68-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संबंध में, अनुदान के राजस्व-दत्तमत खंड के अंतर्गत बचत खंड के ₹21,549.89 करोड़ के संस्वीकृत प्रावधान के प्रति ₹12,437.47 करोड़ (57.71 *प्रतिशत*) थी।

इस खंड के अंतर्गत, बचत मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन उप-शीर्षों: 2851.00.102.96 (₹6,358.77 करोड़), 2851.00.789.64 (₹2,168.20 करोड़), 2851.00.796.63 (₹1,065.65 करोड़) - 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं' के अंतर्गत एनपीए के प्रति राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास निधि की उपलब्धता के कारण गारंटी आपातकालीन ऋण लाइन (जीईसीएल) सुविधा के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आवश्यकता की अभिव्यक्ति न करने के कारण हुई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उप-शीर्ष 2851.00.102.99 - 'अवसंरचना विकास कार्यक्रम' (₹1,122.79 करोड़) और 2851.00.106.11 - 'खादी ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास' (₹196.41 करोड़) के अंतर्गत बचत इन योजनाओं के अंतर्गत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी।

यह देखा गया है कि उपरोक्त पांच उप-शीर्षों के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण ज्यादातर वित्तीय वर्ष के अंत में किया गया था। समय पर अभ्यर्पण करने से धनराशि का उपयोग कहीं और किया जा सकता था।

(II) लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या 64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में खंड में संस्वीकृत प्रावधान ₹22,481.88 करोड़ के प्रति राजस्व-दत्तमत खंड के अंतर्गत ₹11,078.45 करोड़ (49.28 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

इस खंड के अंतर्गत, बचत मुख्यतः निम्नलिखित चार उपशीर्षों : 2230.01.111.10 (₹6,479.84 करोड़), 2230.01.789.29 (₹1,660 करोड़), 2230.01.796.29 (₹860 करोड़)

[47] अनुलग्नक 4.5क में लघु/उप-शीर्ष क्रम संख्या 2, 4, 35, 36, 38, 62, 63, 116, 145, 146, 147, 155, 162, 167, 171, 183, 189, 192, 193, 199, 216, 227, 228, 246, 251, 252, 253, 257, 279 और 284

- 'नया रोजगार सृजन योजना' और 2230.01.111.06 (₹144.32 करोड़) - 'सामाजिक सुरक्षा योजनाएं' के अंतर्गत हुई। विनियोग लेखों में इन बचतों के लिए योजना की स्वीकृति न मिलना, लाभार्थियों से मांग प्राप्त न होना और कम दावे प्राप्त होना कारण बताए गए।

यह देखा गया है कि सभी संस्वीकृत प्रावधान लगभग पहले तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े रहे। यदि इन चार उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को समय पर उसी खंड के अन्य उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजित कर दिया जाता, तो उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता था।

इन उप-शीर्षों के अंतर्गत और संबंधित खंड के अंतर्गत भी इस प्रकार की गई भारी बचत, अवास्तविक बजट निर्माण और अकुशल निधि प्रबंधन का संकेत है।

यह भी देखा गया कि 30 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 67 लघु/उप-शीर्षों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी हुई, जैसा कि **अनुलग्नक 4.5ख** में सूचीबद्ध है। ₹20,000 करोड़ या उससे अधिक की निरंतर बचत विनियोग 'ऋण की अदायगी' के अंतर्गत एक मामले (6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल) में 'वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हुई। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.5क और 4.5ख के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

4.2.2.3 बचत का गैर-अभ्यर्पण और अतिरिक्त अभ्यर्पण

जीएफआर, 2017 के नियम 62(2) में यह प्रावधान है कि बचत और प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, के बारे में पूर्वानुमान होते ही उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने (मार्च 2025[48]) मंत्रालयों/विभागों को विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत बचत को सभी अभ्यर्पण की सूचना देने के लिए 19 मार्च 2025 की समय सीमा निर्धारित की।

तथापि, हमने देखा कि 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹4,91,302.81 करोड़ की बचत में से एक छोटा हिस्सा अर्थात ₹36,766.60 करोड़ (कुल बचत का 7.48 *प्रतिशत*) 64 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अभ्यर्पित नहीं किया गया और उसे व्यपगत होने दिया गया, जहां गैर अभ्यर्पित राशि प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक थी। विवरण **अनुलग्नक 4.6क** में

[48] वित्त मंत्रालय के ओएमएफएन 2(15) - बी(डी)/2025 दिनांक 11 मार्च 2025

दिया गया है। दूरसंचार विभाग के संबंध में अभ्यर्पित न की गई बचत ₹10,000 करोड़ से अधिक थी, अर्थात ₹11,898.55 करोड़। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.6क के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

इसके अलावा, हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तीन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत एक करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त अभ्यर्पण (उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पण) देखा, जो कुल मिलाकर ₹622.55 करोड़ था, जिसका कारण ₹19,036.29 करोड़ की कुल उपलब्ध बचत के प्रति ₹19,658.84 करोड़ का अभ्यर्पण था, जैसा कि **अनुलग्नक 4.6ख** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

इन अनुदानों में वास्तविक बचत से अधिक धनराशि का अभ्यर्पण संसाधनों के इष्टतम आवंटन और वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लेखों के समय पर मिलान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

4.2.2.4 मुख्य शीर्ष 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी बचतें और अभ्यर्पण

बजट परिपत्र 2024-25 के पैरा 6.1 के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त विभागों को छोड़कर) को केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अपने आवंटन से सकल बजट समर्थन (जीबीएस) का 10 *प्रतिशत* पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए व्यय करना अनिवार्य है। तदनुसार, मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत बजटीय राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया जाना था।

चार अनुदानों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत संस्वीकृत कुल प्रावधान ₹13,588.75 करोड़ में से ₹11,232.08 करोड़ की राशि कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,356.67 करोड़ की बचत हुई, जिसमें से ₹1,913.94 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक 4.7** में दर्शाया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि बचत निम्न कारणों से हुई है: (i) प्रस्ताव का अंतिम रूप न दिया जाना, (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल कृषि योग्य क्षेत्र सकल कृषि योग्य क्षेत्र (जीसीए) का केवल 2.74 *प्रतिशत* है, (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में

पीएमएफबीवाई की निधि बंटवारे की पद्धति अव्यवहार्य है, (iv) शुरुआत से ही, पीडीपीएस और पीपीएसएस के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से पीएम आशा का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष-2552 के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, (v) क्षमता संबंधी बाधाएं योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही हैं, (vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमि स्वामित्व समुदाय आधारित है और इसलिए वे अधिकांश योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि राज्यों और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण बचत हुई है।

संबंधित विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से परामर्श करके, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए अपनी योजनाओं पर व्यय से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता की यथाशीघ्र समीक्षा करनी चाहिए।

4.2.2.5 बचत के कारणों का विश्लेषण

मंत्रालयों/विभागों द्वारा विनियोग लेखों में ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत के 124 मामलों के लघु/उप-शीर्ष स्तर पर दिए गए कारणों के विश्लेषण से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने बड़ी संख्या में मामलों में सामन्य कारण दिए थे, जैसे कि कम दावे, कम निधि की आवश्यकता, कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि। इससे लेखों के उपयोगकर्ता को समझने में कोई खास मदद नहीं मिली। यह सिविल लेखांकन नियमावली के पैराग्राफ 11.5.2 का उल्लंघन था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भिन्नताओं के कारण संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होने चाहिए और उनका उल्लेख उनके महत्व के अनुसार किया जाना चाहिए। 'अधिक अनुमान के कारण', 'वास्तविक व्यय के आधार पर', 'कम (या अधिक) व्यय के कारण', 'कम (या अधिक) मांग के कारण' आदि जैसे सामान्य कारणों से बचना चाहिए।

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 4.2.2.2 में चर्चा की गई है, लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत को सिविल अनुदान/विनियोग के संबंध में **अनुलग्नक 4.8** में बचत के व्यापक कारणों के आधार पर, वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **चित्र 4.11** में संक्षेप में बताया गया है।

चित्र 4.11 : बचत के कारणों का वर्गीकरण

वर्ग	मामलों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
परिचालन संबंधी मुद्दे	43	1,10,230.30
प्रस्तावों/दावों/मांगों की कम प्राप्ति	46	1,03,142.85
अवास्तविक बजट अनुमान	16	94,207.23
लेखांकन और निधि अंतरण	7	73,904.39
व्यय के विनियमन के कारण	12	66,423.46
कुल	**124**	**4,47,908.23**

बचत का सबसे अधिक सामान्य कारण "कम प्रस्ताव प्राप्त होना" है, जिसका उपयोग ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 124 लघु/उप-शीर्षों में से 23 लघु/उप-शीर्ष में किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप ₹55,866.97 करोड़ की बचत हुई है।

बचत के कारणों के ऐसे ही एक मामले का उदाहरण निम्नलिखित है:

हमने देखा कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' उप-शीर्ष के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2,455.51 करोड़ से लेकर ₹14,226.98 करोड़ तक की लगातार बचत हुई। यह देखा गया कि बचत का एक ही कारण, अर्थात 'राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना', हर वर्ष बताया गया। इससे संकेत मिलता है कि पिछले वर्ष के व्यय की प्रवृत्ति पर विचार किए बिना बजट अविवेकपूर्ण तरीके से तैयार किया गया और राज्य सरकारों के साथ समन्वय अप्रभावी रहा जिसके कारण बचत थी।

4.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 115(1) में यह प्रावधान है कि जब अनुदान/विनियोग के किसी खंड में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बचत उपलब्ध न हो या यदि व्यय 'नई सेवा'[49] या 'सेवा के नए साधन'[50] पर किया जाना हो, तो भुगतान करने से पहले अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है।

[49] नई नीति निर्माण से निश्चित सीमा के बाद प्राप्त अधिक व्यय को पूर्व में संसद के संज्ञान में नही लाया गया जोकि निवेश की नई गतिविधि अथवा नया प्रकार है।

[50] विद्यमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न अधिक व्यय जो कि निश्चित सीमा के बाद है

ऐसे मामलों[51] की जांच करने पर जहां मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या उससे अधिक का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, यह पता चला कि 16 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 26 लघु/उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिक व्यय की प्रत्याशा में ₹3,035.37 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे, लेकिन अंतिम व्यय ₹54,544.46 करोड़ था जो मूल प्रावधान ₹56,535.81 करोड़ से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान अनावश्यक हो गया। विवरण **अनुलग्नक 4.9** में दिया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.9 के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

4.4 निधि का पुनर्विनियोग

पीएसी ने अपनी 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा, 2012-13) में कहा कि निधि का पुनर्विनियोग तभी किया जा सकता है जब यह निश्चित रूप से ज्ञात हो या वास्तविक रूप से अनुमान लगाया जा सके कि जिस इकाई से निधि को अंतरित करने का प्रस्ताव है, उसके लिए किया गया विनियोग पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा या इस बात की उचित निश्चितता हो कि विनियोग की इकाई में बचत की जा सकती है।

4.4.1 लघु/उप-शीर्षों से/में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

शीर्ष-वार विनियोग लेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि 10 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 18 लघु/उप-शीर्षों में, पुनर्विनियोग द्वारा ₹10 करोड़ या उससे अधिक का प्रावधान (₹1,516.89 करोड़) अविवेकपूर्ण था, क्योंकि इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत किया गया कुल व्यय ₹34,855.79 करोड़ था, जो ₹36,354.31 करोड़ के संस्वीकृत प्रावधान के भीतर था जैसा की **अनुलग्नक 4.10क** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

इसी प्रकार, सात अनुदानों के अंतर्गत 10 मामलों में, इन लघु/उप-शीर्षों से अन्य शीर्षों में कुल ₹12,820.45 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में ₹624.72 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 4.10ख** में विस्तृत है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.10क और 4.10ख के आंकड़े सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

---

[51] एनईआर के संबंध में मुख्य शीर्ष 2552 तथा 4552 के तहत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों को यहां शामिल नही किया गया है क्योंकि वे गैर कार्यात्मक शीर्ष है (अनुदान संख्या 23-एम/ओ डीओएनईआर को छोड़कर)

लेखा शीर्ष जिनमें पुनर्विनियोग का सहारा लिया गया, उनमें महत्वपूर्ण बचत/अतिरिक्त राशि, मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट आवंटन और उसके उपयोग की खराब योजना और निगरानी को दर्शाती है।

4.4.2 लघुशीर्ष 789 और 796 से निधि का अनुचित पुनर्विनियोग

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने अपने बजट आवंटन में दो व्यापक रणनीतियों के अंतर्गत धनराशि प्रभारित की है: अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी-लघु शीर्ष 789) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी-लघु शीर्ष 796)। बाध्य मंत्रालयों और विभागों को एससीएसपी और टीएएसपी के अंतर्गत आवंटन का निर्धारित प्रतिशत अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा।

बजट परिपत्र 2024-25 के पैरा 13.3 के अनुसार, इन लघु शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" (कोड '789') और "जनजातीय उप योजना" (कोड '796') के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों के लिए।

वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान संख्या 68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय के शीर्ष-वार विनियोग लेखों और मंत्रालय द्वारा जारी पुनर्विनियोग आदेशों की जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि सात मामलों में ₹457.17 करोड़ **(अनुलग्नक 4.11)** के पुनर्विनियोग आदेश लघु शीर्ष 789 व 796 से अन्य लघु शीर्षों में जारी किए गए थे जोकि उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

4.5 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

जीएफआर 2017 के नियम 238(1) एवं (2) के अनुसार, संस्थानों या संगठनों को दी जाने वाली गैर-आवर्ती अनुदान सहायता के मामले में, अनुदान स्वीकृति आदेश में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृत उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया

जाता है, तो मंत्रालय या विभाग उस संस्था या संगठन को भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार की अनुदान, सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने से ब्लैकलिस्ट कर सकता है।

आवर्ती अनुदानों के मामले में, संबंधित मंत्रालय या विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधि का निर्गमन केवल तभी करेगा जब पूर्ववर्ती वर्ष के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कुल अनुदान राशि के 75 *प्रतिशत* से अधिक अनुदान का निर्गमन तभी किया जाएगा जब पूर्व वर्ष के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण संबंधित मंत्रालय या विभाग की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत कर दिए गए हों।

15 विभागों/मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि 31 मार्च 2025 तक 33,973 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जिनकी कुल राशि ₹54,282.32 करोड़ है, लंबित थे, जैसा कि अनुलग्नक 4.12 में दर्शाया गया है। इनमें से 13,926 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जिनकी राशि ₹38,287.52 करोड़ है, पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) से संबंधित हैं। सबसे पुराने लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 1985-86 से संबंधित थे। यह दर्शाता है कि विभागों/मंत्रालयों द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के मुद्दे का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया जा रहा था।

चूंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि निधियों का उपयोग उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए विभागों को यह सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करनी चाहिए कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाएं।

उत्तर में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, योजना मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि लंबित मामलों को कम करने हेतु इस विषय को कार्यक्रम प्रभाग/क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों से संबंधित सभी आंकड़ों की निगरानी के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित की गई है। वहीं संस्कृति मंत्रालय, औषध विभाग, आयुष मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि लंबित मामलों को कम करने के लिए उचित स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शेष मंत्रालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने का मामला, जिसका पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार उल्लेख किया गया है, उसका समाधान एक ऐसा मॉड्यूल विकसित करके किया जा सकता है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसियां स्वयं अपने द्वारा किए गए व्यय को दर्ज कर सकें तथा उसे पीएफएमएस के ढांचे के साथ एकीकृत किया जा सके।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च, 2026

(खालिद बिन जमाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च, 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ 3.2.1 देखें)

31 मार्च 2025 तक प्रतिकूल शेष राशि सूची

(₹ हजारों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
विवरण संख्या 14					
1	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	18,54,303	2016-17
2	6002.00.226	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसए से ऋण	डेबिट	12,78,274	2016-17
3	6002.00.227	पीएल-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट एजेंसी के अंतर्गत यूएसए सरकार से ऋण	डेबिट	1	2022-23
4	6002.00.503	आईडीए से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	93,35,691	2018-19
5	6002.00.505	एडीबी से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	57,12,903	2024-25
6	6002.00.506	आईएफएडी से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	7,20,360	2022-23
7	6002.00.507	जापान (जीओजेपी) से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	3,83,172	2015-16
विवरण संख्या 15					
8	6202.01.203	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण - सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1,119	2016-17
9	6215.02.800	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण - सीवेज और स्वच्छता - अन्य ऋण	क्रेडिट	60,644	2016-17
10	6216.02.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को शहरी आवास ऋण	क्रेडिट	5,79,267	2016-17
11	6216.80.190	आवास के लिए ऋण - सामान्य	क्रेडिट	2	2020-21

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
		- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण			
12	6216.80.800	आवास के लिए ऋण - सामान्य -अन्य ऋण	क्रेडिट	12,190	2020-21
13	6225.01.800	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण -अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
14	6245.01.101	प्राकृतिक आपदाओं - सूखे के कारण राहत के लिए ऋण - निःशुल्क राहत	क्रेडिट	896	1986-87
15	6245.02.101	प्राकृतिक आपदाओं - बाढ़, चक्रवात - के कारण राहत के लिए ऋण - निःशुल्क राहत	क्रेडिट	2,157	1997-98
16	6401.00.104	फसल पालन कृषि फार्मों के लिए ऋण	क्रेडिट	829	2016-17
17	6402.00.102	मृदा और जल संरक्षण के लिए ऋण - मृदा संरक्षण	क्रेडिट	8,530	1995-96
18	6402.00.203	मृदा और जल संरक्षण के लिए ऋण - भूमि सुधार और विकास	क्रेडिट	592	2007-08
19	6405.00.106	मतस्य पालन के लिए ऋण - मछली पकड़ने के शिल्प का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2016-17
20	6406.00.101	वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन	क्रेडिट	2,20,867	2023-24
21	6425.00.107	सहयोग के लिए ऋण - सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण	क्रेडिट	5,26,345	2017-18
22	6425.00.108	सहयोग के लिए ऋण - अन्य	क्रेडिट	9,04,366	2003-04

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
		सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण			
23	6515.00.102	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण - सामुदायिक विकास	क्रेडिट	302	1986-87
24	6801.00.201	विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण - जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	8,80,924	2004-05
25	6801.00.205	विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण - परेषण और वितरण के लिए ऋण	क्रेडिट	13,91,766	2005-06
26	6851.00.102	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण - छोटे पैमाने के उद्योग	क्रेडिट	11,900	2006-07
27	6851.00.106	ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए ऋण - कॉयर उद्योग	क्रेडिट	217	2024-25
28	6885.01.190	उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण - औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	1,29,52,551	2024-25
29	7051.01.190	बंदरगाहों और प्रकाश ग्रहों के लिए ऋण - प्रमुख बंदरगाह - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	25,72,501	2018-19
30	7053.00.190	नागरिक उड्डयन के लिए ऋण - सार्वजानिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	3,77,537	2010-11
31	7425.00.101	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण - आयुष अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिक निकायों को ऋण	क्रेडिट	7,86,283	2024-25

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
32	7601.01.436	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण - फसल पालन वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2018-19
33	7601.04.312	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ऋण - शहरी विकास - लघु/मध्यम शहरों का एकीकृत विकास	क्रेडिट	1	2012-13
34	7601.04.360	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ऋण - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13
35	7601.04.726	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - ग्रामीण और लघु उद्योग- हथकरघा उद्योग	क्रेडिट	6,960	2012-13
36	7601.04.786	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ऋण - बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रेडिट	4,115	2012-13
37	7601.04.871	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ऋण - अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13
38	7601.07.800	अंतर्देशीय जल परिवहन - 1984-85 से पहले के ऋण - अन्य ऋण	क्रेडिट	1,580	2012-13

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
39	7601.09.106	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - राज्यों को अन्य ऋण - विशेष सहायता	क्रेडिट	1	2024-25
40	7610.00.202	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण - मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रेडिट	11,753	2023-24
41	7610.00.203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण, अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रेडिट	33,104	2004-05
विवरण संख्या 16					
42	8002.00.103	राष्ट्रीय जमा प्रमाण-पत्र - ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र	डेबिट	6,962	1976-77
43	8002.00.104	राष्ट्रीय जमा प्रमाण-पत्र - रक्षा बचत प्रमाण-पत्र	डेबिट	4,627	2021-22
44	8002.00.105	राष्ट्रीय जमा प्रमाण-पत्र - बचत प्रमाण-पत्र - बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08
विवरण संख्या 14					
45	8012.00.108	विशेष जमा और लेखे - आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार	डेबिट	14,89,28,723	2022-23
46	8012.00.109	विशेष जमा और लेखे - आयकर वार्षिकी जमा लेखे	डेबिट	13,983	2015-16
47	8013.01.101	अन्य जमा और लेखे - सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं - सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा, 1989	डेबिट	6,721	2023-24
विवरण संख्या 13					
48	8229.00.200	अन्य विकास और कल्याण निधि	डेबिट	19,86,202	2007-08
49	8232.00.101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	डेबिट	3	2020-21

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2025 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/क्रेडिट	राशि	
50	8443.00.112	सिविल जमा - भारत में खरीदारी आदि के लिए जमा राशि	डेबिट	4,36,593	2018-19
51	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाराशि - भारतीय बीमा संघ की निधियां	डेबिट	291	1976-77 से पहले
52	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रेडिट	1,22,89,074	2015-16
53	8670.00.103	चेक और बिल - विभागीय चेक	डेबिट	42,38,05,063	2024-25
54	8670.00.104	चेक और बिल- ट्रेजरी चेक	डेबिट	94,754	2018-19
55	8670.00.109	चेक और बिल- रक्षा चेक	डेबिट	23,93,850	2024-25
56	8670.00.114	चेक और बिल- विभागीय (सीडीडीओ) इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	2,25,417	2018-19

अनुलग्नक-3.2

(पैराग्राफ 3.2.2.1 देखें)

31 मार्च 2025 तक निपटान हेतु समग्र उचंत शेषों में प्रमुख योगदानकर्ताओं वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2025 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
101 पीएओ उचंत	इस लघु शीर्ष का संचालन संघ सरकार के अधीन वेतन और लेखा कार्यालयों, केन्द्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकारों की पुस्तकों में उत्पन्न होने वाले अंतर-विभागीय तथा अंतर-सरकारी लेन-देन के निपटान के लिए किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत लेन-देन या तो किसी लेखा अधिकारी द्वारा किसी अन्य लेखा अधिकारी की ओर से की गई वसूलियों या किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं, जिसके विरुद्ध लघु शीर्ष 'पीएओ उचंत' संचालित किया गया है। शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट का निपटान 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा तब किया जाता है, जब उस लेखा अधिकारी द्वारा चेक जारी किया जाता है, जिसकी पुस्तकों में प्रारंभिक वसूली का लेखा-जोखा रखा गया था। 'पीएओ उचंत' के अंतर्गत डेबिट का निपटान उस लेखा अधिकारी से चेक की प्राप्ति और वसूली पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय है कि पीएओ द्वारा अन्य पीएओ की ओर से भुगतान किए	8,702.11	1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ₹4,434.86 करोड़ (डेबिट)। 2. विदेश मंत्रालय ₹1,594.02 करोड़ (डेबिट)। 3. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹961.83 करोड़ (डेबिट)।	80.33%

	गए हैं, जिनकी वसूली अभी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ है कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा राशि प्राप्त की गई है, जिसका भुगतान अभी शेष है।			
102 उचंत लेखे (सिविल)	यह अस्थायी लघु शीर्ष 'उचंत लेखे (सिविल)' उन लेन-देन के लेखों के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ जानकारी, दस्तावेजों जैसे वाउचर, चालान आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है। अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज आदि प्राप्त होने पर, इस लघु शीर्ष का निपटान संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु लेखा शीर्षों में ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा प्रतिकूल डेबिट या क्रेडिट द्वारा किया जाता है।	1,887.23	1. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹597.59 करोड़ (डेबिट)। 2. (उच्च आयोग)[52] ₹435.76 करोड़ (डेबिट)। 3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ₹189.45 करोड़ (क्रेडिट)।	64.80%
107 नकद निपटान उचंत लेखे	एक प्रभाग द्वारा दूसरे प्रभाग को प्रदान की गई सेवाओं या की गई आपूर्तियों से संबंधित सभी लेन-देनों को, मुख्य शीर्ष "8658–उचंत लेखे" के अंतर्गत लघु शीर्ष "107–नकद निपटान उचंत लेखा" के अंतर्गत 'डेबिट' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता प्रभाग से चेक/डिमांड ड्राफ़्ट प्राप्त होने पर इस शीर्ष का निपटान कर दिया जाएगा।	504.46	1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास) ₹239.43 करोड़ (डेबिट)। 2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ₹177.49 करोड़ (डेबिट)।	82.65%
108 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत	सार्वजानिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जब सरकारी विभाग को पीएसबी को दिए गए निर्देश के हिसाब से किए गए भुगतान का विवरण मिलता है, तो लेन-देन को शुरू में	8,750.32	1. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी/सीबीईसी) ₹2,356.66 करोड़ (डेबिट)।	63.51%

[52] सीजीए कार्यालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि शेष शायद प्री-डिपार्टमेंटलाइज़्ड शेष है और इसे 'उच्च आयोग' (सर्कल नंबर 992) के सामने दिखाया गया है। शेष को विदेश मंत्रालय (सर्कल नंबर 781) को अंतरित नहीं किया गया है।

	पीएसबी उचंत के लिए क्रेडिट एंट्री के तौर पर दर्ज किया जाता है। जब आरबीआई सरकारी खाते से राशि डेबिट करता है, तो पीएसबी उचंत का यह क्रेडिट रिज़र्व बैंक जमा (आरबीडी) शीर्ष में कॉन्ट्रा क्रेडिट से क्लियर हो जाता है। इसी तरह, पीएसबी से प्राप्तियों की जानकारी मिलने के बाद, संबंधित सरकारी विभाग पीएसबी उचंत को डेबिट कर देता है। जब आरबीआई सरकारी खाते में राशि क्रेडिट करता है, तो पीएसबी उचंत का यह डेबिट आरबीडी शीर्ष में कॉन्ट्रा डेबिट से क्लियर हो जाता है।		2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ₹1,314.07 करोड़ (डेबिट)। 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ₹1,360.71 करोड़ (क्रेडिट)। 4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (राजस्व और व्यय) ₹526.07 करोड़ (डेबिट)।	
109 रिज़र्व बैंक उचंत मुख्यालय	इस शीर्ष का संचालन महालेखाकारों द्वारा अपने लेखाओं के राज्य अनुभाग में और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासनों के महालेखाकारों द्वारा अपने लेखाओं के केंद्रीय अनुभाग में उन डेबिट और क्रेडिट के संबंध में किया जाता है, जो किसी पृथक वेतन एवं लेखा कार्यालय या रक्षा, रेलवे, डाक और दूरसंचार के लेखा अधिकारियों से अंतर-सरकारी लेन-देनों के कारण प्राप्त आवक लेखाओं के नकद निपटान के फलस्वरूप बैंक स्क्रॉल में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे पक्ष से प्राप्त लेखाओं का समायोजन लंबित हो।	204.17	1. डीएसीआर ₹182.04 करोड़ (क्रेडिट)	89.16%
115 विदेशी खरीद आदि के लिए उचंत लेखे	इस शीर्ष का संचालन वित्त मंत्रालय की सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक की पुस्तकों में किया जाता है। सरकार दानकर्ताओं को सलाह देती है कि वे भारत में परियोजना प्राधिकरणों/आयातकों को की गई आपूर्ति	166.76	1. सहायता, लेखे और लेखापरीक्षा ₹166.76 करोड़ (डेबिट)।	100%

	के प्रति सीधे विदेश में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करें और संबंधित मंत्रालयों/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत एक समान राशि रखी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष आयातकों/परियोजना प्राधिकरणों से बकाया वसूली को दर्शाता है, जबकि सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है।			
129 सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	इस लघु शीर्ष का संचालन उन मामलों में सामान की सीधी खरीद के लिए किया जाता है, जहां सामान मिलने वाले महीने में ही उसका भुगतान नहीं किया गया हो। इस लघु शीर्ष का समायोजन तब किया जाएगा जब आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को चेक जारी कर दिया जाएगा। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक बकाया पड़ी बिना दावे वाले शेष को राजस्व में जमा करके समायोजित किया जाएगा।	252.32	1.अंडमान और निकोबार प्रशासन ₹148.62 करोड़ (डेबिट)। 2.आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास) ₹64.11 करोड़ (डेबिट)।	84.31%
138 अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) उचंत	इस लघु शीर्ष का संचालन 108-पीएसबी उचंत के समान है। इस शीर्ष के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी कार्य संपन्न किया जाता है।	1488.82	1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ₹522.06 करोड़ (क्रेडिट)। 2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (राजस्व और व्यय) ₹437.44 करोड़ (क्रेडिट)। 3. लद्दाख संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ₹247.47 करोड़ (डेबिट)। 4. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)	95.13%

			₹209.28 करोड़ (डेबिट)।	
139 जीएसटी - स्रोत पर कर कटौती उचंत	इस लघु शीर्ष का आशय केन्द्रीय पीएओ, केंद्र शासित प्रदेशों के पृथक लेखा कार्यालयों और राज्य महालेखाकारों की लेखा किताबों में, स्रोत पर काटे गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्राप्तियों को समायोजित करना है, ताकि वे राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सीबीआईसी के साथ लेन-देनों का निपटान कर सकें।	286.48	1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ₹55.69 करोड़ (क्रेडिट)। 2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास) ₹45.44 करोड़ (क्रेडिट)। 3. गृह मंत्रालय ₹29.97 करोड़ (क्रेडिट)। 4. पोत परिवहन मंत्रालय ₹22.62 करोड़ (क्रेडिट)।	53.66%
समग्र शेष		**22,242.67 16,964.02 (डेबिट) और 5,278.65 (क्रेडिट)**		

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ 3.2.3 देखें)

31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण और ब्याज की राशि दर्शाने वाली सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
1	विद्युत मंत्रालय	3,326.39	3,592.50	6,918.89	दिल्ली बिजली आपूर्ति उपक्रम (डीईएसयू) के बकाया के भुगतान के लिए 29.03.2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 9 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ऋण दिया गया था और यह 12 वर्ष से लंबित है। मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि जीएनसीटीडी को ₹3,326.39 करोड़ की ऋण सहायता को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करने के अनुरोध पर सहमति नहीं दी गई और जीएनसीटीडी से अनुरोध किया गया है (दिसंबर 2024) कि वह ब्याज/दंड ब्याज के साथ बकाया राशि चुकाए।
2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			1,392.48	सड़क परिवहन के लिए ऋण।
				13.57	अन्य परिवहन - सड़क और पुल के लिए ऋण। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (सितंबर 2025) कहा कि ये ऋण डिजिटलाइजेशन से पहले के हैं और भौतिक अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। अभिलेख ढूंढने और वापिस पाने का प्रयास किया जा रहा है।
3	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	933.51	1,747.27	2,680.78	तीन इकाइयों (हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती और एपी राज्य विद्युत बोर्ड) से 1978-79 से 45 वर्ष का 0.55 करोड़ और प्रसार भारती से 2010-11 से ₹2,680.23 करोड़ (ऋण का 99.98%) बकाया है। मंत्रालय ने उत्तर में (सितंबर 2025) कहा कि हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
					ऋण देने का मामला पहले ही संबंधित संस्थाओं के साथ उठाया जा चुका है। प्रसार भारती के बारे में, मंत्रालय ने बताया कि ₹933.39 करोड़ के बकाया पूंजीगत ऋण को ग्रांट-इन-एड में बदलने और 31 मार्च 2025 तक बकाया पूंजीगत ऋण पर लगे ब्याज और दंडात्मक ब्याज जो ₹1,746.83 करोड़ है को पूरी तरह से माफ करने के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
4	गृह मंत्रालय			794.36	राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ₹792.45 करोड़ और अन्य ऋण लेने वाली इकाइयों के पास ₹1.91 करोड़ बकाया हैं। यह मामला मंत्रालय के सामने (जुलाई 2025) उठाया गया था और उत्तर प्रतीक्षित है।
5	शिक्षा मंत्रालय - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग			75.88	1984-85 से राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों से ₹66.54 करोड़ और 1971-72 से अन्य ऋण लेने वाली इकाइयों से ₹9.34 करोड़ लंबित हैं। यह मामला मंत्रालय के सामने (सितंबर 2025) उठाया गया था और उत्तर प्रतीक्षित है।
6	वित्त मंत्रालय - राजस्व विभाग			2.90	1984-85 से पहले गोल्ड स्मिथ के पुनर्वास के लिए ऋण दिया गया। मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए मामला आईएफयू-III, राजस्व विभाग के साथ उठाया जा रहा है (जून 2025)।

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
7	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	24.89	85.21	110.10	27 से 44 वर्ष तक चलेगा और ₹22.01 करोड़ (88%) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और तकनीकी विकास निगम लिमिटेड (ईटीटीडीसीअल) से जुड़ा है। मंत्रालय ने उत्तर में कहा (दिसंबर 2025) कि ऋण की वसूली के लिए मामला उठाया जा रहा है।
8	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	19.58	68.82	88.40	1978-79 से छह चीनी मिलों का बकाया।
9	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	184.35	289.58	473.93	मैसर्स पाइराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (पीपीसीएल) का बकाया। इकाई को वर्ष 2000 में बीमार घोषित कर दिया गया था। इकाई को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई और परिसमापन की कार्रवाई करने के लिए परिसमापन अधिकारी (ओ/एल) को नियुक्त किया गया। इसके बाद, ओ/एल ने 9 अगस्त 2009 के अखबार में नोटिस जारी करके लेनदारों से दावे मंगाए। लेकिन, विभाग में दावा करने के लिए ज़रूरी मूलभूत विवरण जैसे ऋण की राशि और तिथि, उसके अदायगी की स्थिति, नियम और शर्तें आदि न होने की वजह से, ऋण की राशि वसूल नहीं हो सकी।
10	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	0.28	110.43	110.71	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड, बेंगलुरु को दिए गए ऋण। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2025) में कहा कि बकाया ब्याज का मामला निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
					और संबंधित राज्यों के ध्यान में लाया गया था। एचएएल के विषय में, मंत्रालय ने कहा कि यह मामला नागर विमानन मंत्रालय के सामने उठाया गया है क्योंकि ऋण का निपटान नागर विमानन मंत्रालय को करना है।
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	14.87	60	74.87	राज्य और अन्य ऋण लेने वाली इकाइयां। मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि ऋण माफ़ करने/परिसमापन के अनुमोदन के लिए फ़ाइल आगे बढ़ा दी गई है।
12	वित्तीय सेवाएं विभाग			261.61	शिपिंग विकास निधि समिति (एसडीएफसी) के प्रति ₹261.61 करोड़ का निवल ऋण अभी भी बकाया दिखाया जा रहा है (विवरण संख्या 15 वित्तीय वर्ष 2024-25 (पृष्ठ-521) के खंड 1 - 'ऋण और अग्रिमों का प्रमुख और गौण विवरण', विभाग अधिसूचना संख्या 7052-02-101 के अंतर्गत)। एसडीएफसी (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस ऋण को समाप्त कर दिया गया था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितंबर 2025), विभाग ने अपने उत्तर में (नवंबर 2025) बताया कि जुलाई 2023 में आईसीआईसीआई लिमिटेड को पत्र लिखकर ₹261.61 करोड़ की बकाया राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। एसडीएफसी (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 के बाद, इससे संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईसीआईसीआई लिमिटेड) को अंतरित कर दी गई थी।

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
					वित्तीय वर्ष 2024-25 की विवरण संख्या 15 के खंड 3-'अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया भुगतान' में आईसीआईसीआई लिमिटेड के प्रति ₹113.18 करोड़ की राशि दर्शाई गई है (पृष्ठ-542)।
कुल बकाया				**12,998.48**	

अनुलग्नक-3.4

(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)

निष्क्रिय आरक्षित निधियां

(₹ हज़ारों में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2025 तक शेष	वित्तीय वर्ष से निष्क्रिय
1	8117.XXX - विकास निधि -निवेश खाता	-1,099	2016-17
2	8117.XXX - रेलवे - शाखा लाइन कंपनियों को ऋण	-1,177	2016-17
3	8121.108 - कर्मचारी हित निधि (रेलवे सामरिक महत्व की लाइनें)	4,788	2016-17
4	8121.120 - स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति आरक्षित निधि (एसजेएसआरएफ)[53]	5,54,909	2022-23
5	8226.101 - सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की मूल्यह्रास आरक्षित निधियां	30,69,569	2019-20
6	8229.101 शिक्षा प्रयोजनों के लिये विकास निधियां	7	2002-03
7	8229.102 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए विकास निधियां	60	2002-03
8	8229.108 खनन क्षेत्र विकास निधियां	102	2002-03
9	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	7,586	2008-09
10	8235.105- सामान्य बीमा निधि	215	2019-20
	क्रेडिट शेष	**₹363.72 करोड़**	
	डेबिट शेष	**₹-0.23 करोड़**	
	निवल क्रेडिट शेष	**₹363.49 करोड़**	

[53] एसजेएसआरएफ से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कोई पैसा नहीं दिया गया। निधि में जो राशि आई है, वह निधि के शेष पर ₹5.23 करोड़ के ब्याज क्रेडिट के कारण है। मंत्रालय ने जवाब दिया (अक्टूबर 2025) कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद बंद कर दी गई थी।

अनुलग्नक-3.5

(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)

निष्क्रिय जमा खाते

(₹ हज़ारों में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2025 तक शेष	तब से निष्क्रिय
1	8342.107 - संपदा शुल्क की अदायगी हेतु जमा	103	2002-03
2	8342.108 - आयकर, अधिकर, अतिलाभकर और अधिभार की जमा राशियां	12,107	2002-03
3	8342.110 - टेलीफोन आवेदन जमा राशियां	22,39,867	2002-03
4	8342.111 - टेलेक्स आवेदन जमा राशियां	79,306	2002-03
5	8342.114 - पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	16,947	2002-03
6	8443.114 - निर्यात व्यापार जमा	1,52,527	2002-03
7	8443.120 - स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय निधियों की जमाराशि (असम, मेघालय और मिज़ोरम)	6,421	2022-23
8	8443.127 - ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों आदि के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमा राशि, जो पाकिस्तान चले गए हैं	2,106	2002-03
9	8443.130 - भावी समितियों के परिसमापन लेखे	13	2008-09
10	8448.103 - छावनी निधि	1	2003-04
11	8448.109- पंचायत निकायों की निधियां	2	2019-20
12	8448.111 - चिकित्सा और धर्मार्थ निधि	52	2003-04
13	8449-102 सीमेंट विनियमन लेखा	5,76,446	2020-21
14	8449.104 - खनन भविष्य निधि की जमाराशि राशियां	1,601	2002-03
15	8449.107 - ब्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिकर, अतिलाभकर जमा	13,393	2002-03
16	8449.111 - औषध मूल्य समकरण निधि	29,96,911	2019-20
17	8450.101 - पुदुचेरी का शेष	4,01,290	2008-09
18	8450.102 - गोवा, दमन और दीव का शेष	-1,63,026	2002-03
19	8450.104 - अरुणाचल प्रदेश का शेष	-5,68,251	2002-03
20	8450.105 - मिजोरम का शेष	-12,44,138	2002-03
21	8453.101 - सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के लिए राशि	2,90,744	2013-14
	क्रेडिट शेष		**₹678.98 करोड़**
	डेबिट शेष		**₹ -197.54 करोड़**
	निवल क्रेडिट शेष		**₹481.44 करोड़**

अनुलग्नक - 3.6

(पैराग्राफ 3.3.3 देखें)

₹100 करोड़ से अधिक व्यय और मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण

लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 9 (राजस्व व्यय) का विवरण				
				(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**कुल व्यय**	**लघु शीर्ष 800**	**% हिस्सेदारी**
1	2701- मध्यम सिंचाई	5,744.97	4,678.36	81.43
2	2711- बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	166.53	144.35	86.68
	कुल (क)	**5,911.5**	**4,822.71**	**81.58**
लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 10 (पूंजीगत व्यय) का विवरण				
3	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	150.08	134.87	89.87
	कुल (ख)	**150.08**	**134.87**	**89.87**
	कुल योग (क+ख)	**6,061.58**	**4,957.58**	**81.79**

अनुलग्नक - 3.7

(पैराग्राफ 3.3.3 देखें)

₹100 करोड़ से अधिक की प्राप्तियों और मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत 50 *प्रतिशत* से अधिक प्राप्तियों की बुकिंग दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष 800 (अन्य प्राप्तियां) विवरण संख्या 8 का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**कुल प्राप्तियां**	**लघु शीर्ष 800**	**हिस्सेदारी का प्रतिशत**
1	0030 - मोहरें और पंजीकरण शुल्क	457.60	279.86	61.16
2	0702 - लघु सिंचाई	509.85	469.82	92.15
3	0077 - रक्षा सेवाएं - नौसेना	1,439.83	1,149.15	79.81
4	0078 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2,405.18	1,579.07	65.65
5	0079 - रक्षा सेवाएं - समन्वय और सेवाएं - (आयुध निदेशालय)	240.04	240.04	100
6	0080 --रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	369.49	369.49	100
	कुल योग	**5,421.99**	**4,087.43**	**75.39**

अनुलग्नक-3.8

(पैराग्राफ 3.4.1.1 देखें)

सरकारी निवेश में दो तरह की जानकारी में विसंगतियां

मंत्रालय/ विभाग (विवरण 11 में क्र. सं.)	इकाई	विवरण संख्या 11 के अनुसार		इकाई के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24[54]/2024-25 के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
वित्तीय सेवाएं विभाग ***(क्रम संख्या 91, क्रम संख्या 310, क्रम संख्या 338)***	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्युरिटाइजेशन असेट रीकंसट्रक्शन एंड सिक्योरिटि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	25,00,000	90.90%	25,00,000	51.02%
	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,40,80,00,000	76%	1,40,80,00,000	85.44%
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)	5,05,70,00,000	45.48%	4,88,98,71,903	45.48%
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ***(क्रम संख्या 6, क्रम संख्या 159, क्रम संख्या 293)***	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	446,01,13,072	60.41%	7,40,88,70,000	58.89%
	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	66,64,24,849	51.50%	7,27,21,99,767	51.50%
	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम	59,74,53,091	56.66%	92,15,64,990	56.66%
औषध विभाग ***(क्रम संख्या 31)***	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे	7,21,524	100%	7,17,188	100%
उर्वरक विभाग ***(क्रम संख्या 40, क्रम संख्या 274)***	एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल)	73,29,809	100%	5,00,00,000	100%

[54] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इकाई की वार्षिक रिपोर्ट उन मामलों में देखी गई है, जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई नया निवेश नहीं किया गया है।

	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	5,88,000	100%	36,58,324	100%

अनुलग्नक-3.9

(पैराग्राफ 3.4.1.2 देखें)

31 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश का विवरण

(यूजीएफए के विवरण 11 के अनुसार)

(₹ हज़ारों में)

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	विवरण 11 में क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक निवेश की गई राशि
1	अफ़्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी)	*319*	17,64,780
2	अफ़्रीकी विकास निधि	*323*	36,77,197
3	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	*322*	1,42,74,288
4	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)	*320*	8,47,326
5	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)	*321*	1,46,14,55,771
6	इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन (आईएफसी)	*317*	2,08,30,442
7	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)	*318*	3,85,44,830
8	बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए)	*324*	4,19,383
9	एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)	*325*	11,39,37,034
10	नव विकास बैंक (ब्रिक्स विकास बैंक)	*326*	14,07,49,400
11	यूरोपीयन पुनर्निर्माण और विकास बैंक	*327*	1,41,022
	कुल निवेश		**1,79,66,41,473**

अनुलग्नक 3.10

(पैराग्राफ 3.4.1.7 देखें)

डीआईपीएएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई द्वारा लाभांश का कम भुगतान दर्शाने वाला विवरण, जो न्यूनतम वार्षिक लाभांश के आधार पर निकाला किया गया है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	यूजीएफए 2024-25 के विवरण 11 में क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर के बाद लाभ (पी ए टी)	पीएटी का 30%	निवल मूल्य (2023-24)	निवल मूल्य का 5%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	भारत सरकार की हिस्सेदारी का %	भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त कुल लाभांश	लाभांश के भुगतान में कमी (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए)
1	30	औषध विभाग	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)	11.32	3.40	275.91	13.80	13.80	59.17	8.16	0	8.16
2	32	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	4.5	1.35	43.59	2.18	2.18	100	2.18	0	2.18
3	52	वाणिज्य विभाग	भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड	68.21	20.46	1354	67.70	67.70	89.93	60.88	0	60.88
4	118	भारी उद्योग मंत्रालय	द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसफ कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	20.63	6.19	237.31	11.87	11.87	100	11.87	4.13	7.74
5	144	भारी उद्योग मंत्रालय	रिचर्डसन एंड क्रूदास लिमिटेड	18.31	5.49	278.35	13.92	13.92	100	13.92	0	13.92
6	293	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम	5,551.85	1,665.56	35,449.32	1,772.47	1,772.47	56.66	1,004.28	967.64	36.64
7	334	वित्तीय सेवाएं	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर	1,552	465.60	14,266	713.30	713.30	100	713.30	0	713.30

		विभाग	फाइनेंस कंपनी लिमिटेड									
कुल										**1,814.59**	**971.77**	**842.82**

अनुलग्नक-3.11

(पैराग्राफ 3.4.3 देखें)

आरबीआई और यूजीएफए के नकदी शेष के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग के अनुसार शेष	टिप्पणी
1	वित्त मंत्रालय- वित्तीय सेवाएं विभाग	₹4,309.39 (क्रेडिट) ₹26,047.81 (डेबिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, एमएच 8675- 'रिज़र्व बैंक में जमा' के अंतर्गत ₹26,047.81 करोड़ का संवितरण हुआ, जबकि आरबीआई सीएएस नागपुर ने मार्च 2025 के अंत में ₹26,073.95 करोड़ (क्रेडिट) का शेष दिखाया। इस प्रकार, कुल मिलाकर ₹26.14 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। तथापि, सीजीए कार्यालय ने ₹37.96 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर दिखाया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि ₹26.14 करोड़ का अंतर जुलाई 2024 में भारतकोश (ऑफ़लाइन मोड) के ज़रिए जमा किए गए लाभांश प्राप्ति का हिसाब न करने के कारण था। ₹26.14 करोड़ की लंबित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज की गई है।
2	विद्युत मंत्रालय	₹16,945.54 (डेबिट) ₹21,418.09 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹16,945.54 करोड़ का डेबिट शेष था। आरबीआई सीएएस नागपुर के अनुसार, ₹17,024.32 करोड़ का डेबिट शेष था। इस तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इन आंकड़ों के बीच ₹78.78 करोड़ का अंतर था। दोनों आंकड़ों के सेट के बीच ₹72.68 करोड़ (डेबिट) का प्रगतिशील अंतर सीजीए कार्यालय द्वारा दर्शाए गए शेष से मिलता है।
3	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	₹ 42,622.58 (डेबिट)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में ₹42,622.58 करोड़ का डेबिट शेष था। रिज़र्व बैंक के पुट थ्रू विवरण के अनुसार, शेष ₹42,627.04 करोड़ था, जिससे दो आंकड़ों के सेट के बीच ₹4.46 करोड़ का अंतर

			आया। मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2025) कि यह अंतर एनटीआरपी ऑफलाइन प्राप्ति लेन-देन का निपटान न होने/असफल होने के कारण था। यह मामला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंधित पीएओ/ आरपीएओ के सामने उठाया गया और इसके नतीजे में, ₹ 4.17 करोड़ की राशि का निपटान हो गया, और केवल ₹ 0.29 करोड़ लंबित है।
4	नागर विमानन मंत्रालय	₹1,482.68 (डेबिट) ₹26.51 (क्रेडिट)	नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1,452.79 करोड़ का डेबिट शेष था। आरबीआई सीएएस नागपुर के अनुसार, ₹1,456.10 करोड़ का क्रेडिट शेष था। इस प्रकार, दो आंकड़ों में ₹3.31 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। हालांकि, सीजीए कार्यालय ने ₹26.60 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर दिखाया।
5	दूरसंचार विभाग	₹1,14,055.38 (क्रेडिट) ₹89,714.22 (डेबिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरबीआई और दूरसंचार विभाग की पुस्तकों में एमएच 8675 - आरबीआई के पास जमा के अंतर्गत दर्ज नकद शेषों में ₹7.16 करोड़ का अंतर था, जैसा कि आरबीआई के शेषों और सर्किल लेखों के मिलान विवरण में बताया गया है। उत्तर में, विभाग ने (अक्टूबर 2025) पुष्टि की कि दोनों आंकड़ों के बीच निवल अंतर निम्न कारणों से था: (क) बैंक से वाउचर/स्क्रॉल समय पर प्राप्त न होना/अद्यतित न होना, (ख) कुछ असफल/त्रुटिपूर्ण लेनदेन का आगामी महीने में मिलान होना, और (ग) कुछ लेन-देन खातों में शामिल न होना, क्योंकि जमाकर्ताओं ने एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने के बाद विशिष्ट लेन-देन संदर्भ (यूटीआर) नंबरों को अद्यतित नहीं किया था। क्षेत्रीय इकाइयों को शेष राशि में अंतर को शीघ्र ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अनुलग्नक 3.12क

(पैराग्राफ 3.5.2 (i) देखें)

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	राशि
1	**अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग**	**8.32**
	1. पीएओ-यूआरएससी (केंद्र) ने तीन तिमाहियों (01/02/2024 से 30/04/2024, 01/08/2024 से 31/10/2024, 01/11/2024 से 31/01/2025) के लिए सॉफ्टवेयर एएमसीएस (सॉफ्टवेयर अद्यतित सेवा) के भुगतान के लिए ₹2.01 करोड़ का व्यय किया, जिसे पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया गया था, जबकि इसे राजस्व श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '29-मरम्मत और रखरखाव' के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था। वैसे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तिमाही (01/05/2024 से 31/07/2024) के लिए, इसे राजस्व श्रेणी के अंतर्गत '29-मरम्मत और रखरखाव' के अंतर्गत सही तरीके से बुक किया गया था। 2. पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा बाहरी ट्रैकिंग एजेंट से 'वस्तु शीर्ष ट्रैकिंग डेटा' के लिए ₹5.00 करोड़ का व्यय पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया गया था, जिसे राजस्व श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '28 व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था। 3. पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा एनएसआईएल (आईएस-39 पर सी-बैंड कैपेसिटी का 8 मेगाहर्ट्ज) को स्पेस सेगमेंट कैपेसिटी चार्ज के तिमाही भुगतान के लिए ₹0.66 करोड़ का व्यय पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '52- उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया गया था, जिसे राजस्व श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '18- अन्यों के लिए किराया' के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था। 4. पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा एंटीना सेवा (डिसमेंटलिंग और री-इंस्टॉलेशन, डैमेज असेसमेंट और साइट पर रेक्टिफिकेशन और री-असेंबली) पर किए गए ₹0.65 करोड़ के व्यय को पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '52- उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया गया था, जिसे राजस्व श्रेणी के अंतर्गत वस्तु श्रेणी '29- मरम्मतऔर रखरखाव' के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रतीक्षित है।	
2	**अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग**	11.56
	1. एसडब्ल्यूएएमआईएच निवेश निधि के निवेश प्रबंधक एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड को प्रबंधन शुल्क के तौर पर किया गया ₹10.01 करोड़ का भुगतान, वस्तु शीर्ष '28- व्यवसायिक सेवाओं' के बजाय वस्तु शीर्ष 54- निवेश' के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया गया था। 2. आर्थिक कार्य विभाग में एकीकृत एएमसी (आई-एएमसी) सेवाओं पर ₹1.50 करोड़ और	

क्र.सं.	अनुदान	राशि
	परामर्श प्रभार पर ₹0.05 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '29- मरम्मत और रखरखाव' और '28- व्यवसायिक सेवाओं' के बजाय वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत बुक किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है।	
3	**अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग**	18.02
	'डीजीएफटी आईटी प्रणाली का सुधार' परियोजना की 7वीं से 11वीं तिमाही के लिए संचालन और रखरखाव समर्थन (लागू होने के बाद का चरण) के लिए मैसर्स टाटा परामर्श सेवा लिमिटेड को दिए गए ₹18.02 करोड़ के व्यय को संबंधित राजस्व एमएच के अंतर्गत सही ढंग से बुक करने के बजाय गलत तरीके से पूंजीगत एमएच '5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था।	
	कुल	**37.90**

अनुलग्नक 3.12ख

(पैराग्राफ 3.5.2 (i) देखें)

पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	राशि
1	**अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग**	94.96
	1. 'सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल' पर ₹86.88 करोड़ का व्यय राजस्व खंड़ में दर्ज किया गया है, जबकि इसे पूंजीगत खंड में दर्ज किया जाना चाहिए था। अंतरिक्ष विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है। 2. पीएओ-यूआरएससी (सेंटर) ने 6 डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम (डीओएफ) रोबोटिक आर्म के विकास के लिए अधिप्राप्ति और एनआरई से जुड़े प्रभार के लिए 30 *प्रतिशत* अग्रिम भुगतान के तौर पर ₹3.75 करोड़ का व्यय किया, जिसे राजस्व खंड़ के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21- सामग्री एवं आपूर्ति' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जबकि इसे पूंजीगत खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '52- उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। 3. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने 01.10.2024 से 30.09.2025 तक आईआरसीडॉलर (4 स्टेशन) आईआरएनएसएस-1ए-1जी उपग्रह के लिए आरएफ स्पेक्ट्रम प्रभार के तौर पर ₹4.33 करोड़ का व्यय किया, जिसे राजस्व खंड़ के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '28- व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जबकि इसे पूंजीगत खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रतीक्षित है।	
2	**अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**	4.00
	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के सर्वर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप आदि के विकास सहित आईटी अवसंरचना पर हुए ₹4.00 करोड़ के व्यय को पूंजीगत खंड में वस्तु शीर्ष '71-सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय राजस्व खंड़ में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है।	
	कुल	**98.96**

अनुलग्नक 3.12ग

(पैराग्राफ 3.5.2 (ii) देखें)

विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	राशि
1	**अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग**	**46.97**
	1. पीएओ-यूआरएससी (प्रोजेक्ट) द्वारा फ़ायरवॉल प्रबंधन यंत्र, फायरवाल उत्पाद और फ़ायरवॉल लॉग एनालाइज़र पर किए गए ₹16.38 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 2. पहले आरए बिल के लिए पीएओ-यूआरएससी (सेंटर) द्वारा ₹1.32 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 3. आईएसआईटीई, यूआरएससी में एआईटी-1 विस्तार के लिए चेकनिवल की आपूर्ति और स्थापन के लिए पीएओ-यूआरएससी (सेंटर) द्वारा ₹0.86 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 4. नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस के उन्नयन के लिए पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा किए गए ₹8.57 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52 - उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। 5. आईएसटीआरएसी ने सीआईएससीओ आईएसआर राउटर, एनएमएस (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) की आपूर्ति के लिए ₹5.84 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष "52-उपस्कर और औजार" के अंतर्गत दर्ज किया था। 6. साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन की आपूर्ति के लिए आईएसटीआरएसी द्वारा किए गए ₹5.50 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '52 उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था, न कि वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत। 7. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने एमओएक्स-1 और एमओएक्स-2 कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और आईपी आधारित ऑडियो सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना पर ₹2.01 करोड़ का व्यय किया था, जिसे गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

	8. पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा डिजिटल सैटेलाइट मॉडम पर किए गए ₹1.49 करोड़ के व्यय: डेटा दर को 2एमबीपीएस से 25एमबीपीएस तक अद्यतन करने को वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 9. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने हियूलेट पैकर्ड एन्टरप्राइज 2X इंटेल डीडॉलर4 एसडॉलरएएम के साथ ईसीसी 256 जीबी की आपूर्ति के लिए ₹1.20 करोड़ का व्यय किया था, जिसे वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52 उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 10. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने टीएफजी-121 (सिक्योरिटी एक्सेसरीज़ और डेटा डायोड) की आपूर्ति और स्थापन पर ₹0.93 करोड़ का व्यय किया, जिसे वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 11. पीएओ-आईएसटीआरएसी द्वारा डिजिटल सैटेलाइट मॉडम पर ₹0.92 करोड़ का व्यय: अलग-अलग डेटा दरों के अपग्रेडेशन को वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 12. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने डेल पावर ऐज आर 760 सर्वर की आपूर्ति के लिए ₹0.90 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71 सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया था। 13. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने रैक मॉड्यूल सर्वर के भुगतान के लिए ₹0.88 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71 सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत दर्ज किया था। 14. पीएओ-आईएसटीआरएसी ने इंटेल कोर वाले एचएलबीएस वर्कस्टेशन की आपूर्ति के लिए ₹0.17 करोड़ का व्यय किया था, जिसे वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-उपस्कर और औजार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
2	**अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग**	**39.89**
	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने तीन करियर फेलोशिप प्रोग्राम [यानी रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप, बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन (बीआईओ-सीएआरई), और एमके भान-यंग रिसर्चर फेलोशिप (एमकेबीवाईआरएफ)] के ₹39.89 करोड़ के व्यय को सहायता अनुदान सामान्य (वस्तु शीर्ष 31) और पूंजीगत परिसम्पत्ति बनाने के लिए अनुदान (वस्तु शीर्ष 35) के अंतर्गत दर्ज किया। तथापि, फेलोशिप की रकम को वस्तु शीर्ष 34-छात्रवृत्ति के अंतर्गत अलग से दर्ज करना ज़रूरी था। इसके अलावा, विभाग ने फेलोशिप, कंटिंजेंसी और दूसरे उपरि व्यय की पूरी रकम को '31- सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया। तथापि, विभाग द्वारा अलग-अलग जानकारी	

	न देने की वजह से गलत बताई गई रकम का सही पता नहीं लगाया जा सका। विभाग ने उत्तर दिया कि व्यय की शीर्ष-वार बुकिंग के दौरान गलती से लेखांकन पद्धति की वजह से गलत वर्गीकरण हुआ, साथ ही भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का भरोसा दिया।	
3	**अनुदान संख्या 71- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	**5,366.64**
	पीएम- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर परियोजना लगाने वाले लाभार्थियों को और संवितरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड) को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के तौर पर ₹5,366.64 करोड़ का भुगतान, व्यय को वस्तु शीर्ष '33 - सब्सिडी' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय 'वस्तु शीर्ष 35- पूंजीगत परिसम्पत्ति बनाने के लिए अनुदान' से किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में कहा कि योजना के अंतर्गत अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्ति (यानी रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक, आरटीएस इंस्टॉलेशन) बनाने के लिए जारी किए गए थे और यह एक वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) है, इसलिए निधि वस्तु शीर्ष-35 के अंतर्गत जारी किया गया। उत्तर सही नहीं है, क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अधिसूचना में साफ कहा गया है कि योजना के अंतर्गत निधि सब्सिडी/केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में है, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में नहीं। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि योजना के अंतर्गत बनाए गए पूंजीगत परिसम्पत्ति लाभार्थी के हैं, मंत्रालय के नहीं। इसलिए व्यय को वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के बजाय वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
4	**अनुदान संख्या 25- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग**	**1.79**
	1. 'समग्र शिक्षा' का एक घटक, 'प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम' के लिए, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा, उत्तर प्रदेश को पहली किस्त के तौर पर ₹0.30 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '31- सहायता अनुदान-सामान्य' के बजाय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत गलती से दर्ज कर दिया गया था। 2. समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) को केंद्रीय अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने हेतु ₹1.49 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '31- सामान्य सहायता अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत गलती से दर्ज कर दिया गया। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि व्यय बुक करने के लिए सही वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' है, न कि '31- सहायता अनुदान-सामान्य' जवाब मंज़ूर नहीं है क्योंकि विभाग ने व्यय को वस्तु शीर्ष-31 के बजाय वस्तु शीर्ष -28 के अंतर्गत बुक करने का कोई कारण नहीं बताया है।	
5	**अनुदान संख्या 30- आर्थिक कार्य विभाग**	**0.55**

	1. नए इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रणाली के परिचालन और रखरखाव पर ₹0.18 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '29-मरम्मत और रखरखाव' के बजाय वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया। 2. बजट प्रमाण के लिए 5 तकनीकी लोगों को रखने के लिए एनआईसीएसआई को ₹0.37 करोड़ का भुगतान गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है।	
6	**अनुदान संख्या 10- वाणिज्य विभाग**	**1.00**
	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैकेजिंग लेबोरेटरी को विश्व स्तरीय पैकेजिंग लेबोरेटरी में अद्यतन करने पर हुए ₹1.00 करोड़ के व्यय को 'एमएच 3453' के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया, बजाय इसके कि इसे '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाए। उत्तर प्रतीक्षित है।	
कुल		**5,456.84**

अनुलग्नक-3.12घ

(पैराग्राफ 3.5.2 (iii) देखें)

अंतरिक्ष विभाग में '31- सहायता अनुदान-सामान्य', '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' और '36- सहायता अनुदान-वेतन' वस्तु शीर्ष का गैर-संचालन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई निधि	सही वस्तु शीर्ष जिसके अंतर्गत निधि दर्ज की जानी चाहिए थी	राशि
राजस्व			
1	3402.00.001.02.00.01	3402.00.001.02.00.36	5.70
2	3402.00.001.02.00.05	3402.00.001.02.00.36	1.60
3	3402.00.001.02.00.06	3402.00.001.02.00.36	1.80
4	3402.00.001.02.00.07	3402.00.001.02.00.36	4.66
5	3402.00.001.02.00.08	3402.00.001.02.00.36	0.15
6	3402.00.001.02.00.09	3402.00.001.02.00.36	0.01
7	3402.00.001.02.00.11	3402.00.001.02.00.31	1.78
8	3402.00.001.02.00.12	3402.00.001.02.00.31	0.69
9	3402.00.001.02.00.13	3402.00.001.02.00.31	3.10
10	3402.00.001.02.00.14	3402.00.001.02.00.31	0.07
11	3402.00.001.02.00.16	3402.00.001.02.00.31	0.01
12	3402.00.001.02.00.18	3402.00.001.02.00.31	0.36
13	3402.00.001.02.00.19	3402.00.001.02.00.31	0.13
14	3402.00.001.02.00.21	3402.00.001.02.00.31	0.04
15	3402.00.001.02.00.24	3402.00.001.02.00.31	0.12
16	3402.00.001.02.00.26	3402.00.001.02.00.31	0.08
17	3402.00.001.02.00.27	3402.00.001.02.00.31	0.09
18	3402.00.001.02.00.28	3402.00.001.02.00.31	2.38
19	3402.00.001.02.00.29	3402.00.001.02.00.31	0.03
20	3402.00.001.02.00.49	3402.00.001.02.00.31	1.99
	कुल		**24.79**
पूंजीगत			
1	5402.00.001.02.00.52	3402.00.001.02.00.35	10.92
2	5402.00.001.02.00.71	3402.00.001.02.00.35	4.16
3	5402.00.001.02.00.74	3402.00.001.02.00.35	0.29
	कुल		**15.37**

अनुलग्नक 3.12ड.

(पैराग्राफ 3.5.2 (v) देखें)

पूंजीगत मुख्य शीर्ष '4861' के साथ राजस्व वस्तु शीर्ष का गलत उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष का विवरण	वस्तु शीर्ष	व्यय
1	वेतन	486101204220101	137.31
2	पुरस्कार	486101204220105	39.15
3	चिकित्सा उपचार	486101204220106	20.34
4	भत्ते	486101204220107	106.53
5	अवकाश यात्रा रियायत	486101204220108	2.12
6	प्रशिक्षण व्यय	486101204220109	0.13
7	घरेलू यात्रा व्यय	486101204220111	3.57
8	कार्यालय व्यय	486101204220113	53.35
9	किराया, दरें और कर	486101204220114	0.10
10	प्रकाशन	486101204220116	0.13
11	अन्यों के लिए किराया	486101204220118	3.09
12	डिजिटल उपकरण	486101204220119	0.84
13	सामग्री और आपूर्तियां	486101204220121	832.55
14	ईंधन एवं स्नेहक	486101204220124	0.77
15	विज्ञापन और प्रचार	486101204220125	0.82
16	लघु कार्य	486101204220127	13.83
17	व्यवसायिक सेवाएं	486101204220128	160.64
18	मरम्मत और रखरखाव	486101204220129	112.32
19	अन्य राजस्व व्यय	486101204220149	2.09
20	कार्यालय का व्यय	486101204229613	0.29
21	सामग्री और आपूर्तियां	486101207010021	1,600.00
	कुल		**3,089.97**

अनुलग्नक 4.1

(पैराग्राफ 4.1.1 देखें)

प्राधिकरण और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत (-) अतिरिक्त (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
राजस्व	25,43,480.09	1,53,619.12	26,97,099.21	24,37,752.72	-2,59,346.49
पूंजीगत (ऋण और अग्रिम सहित)	6,63,352.10	40,962.92	7,04,315.02	5,84,799.28	-1,19,515.74
कुल	**32,06,832.19**	**1,94,582.04**	**34,01,414.23**	**30,22,552.00**	**-3,78,862.23**
प्रभारित					
राजस्व	13,48,676.28	232.72	13,48,909.00	12,91,844.38	-57,064.62
पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	81,42,440.42	5,54,422.39	86,96,862.81	86,84,988.86	-11,873.95
कुल	**94,91,116.70**	**5,54,655.11**	**1,00,45,771.81**	**99,76,833.24**	**-68,938.57**
कुल योग	**1,26,97,948.89**	**7,49,237.15**	**1,34,47,186.04**	**1,29,99,385.24**	**-4,47,800.80**
व्यय में कमी से वसूली			12,13,443.09	4,33,092.10	
कुल निवल संस्वीकृत प्रावधान			1,22,33,742.95		
कुल निवल व्यय				1,25,66,293.14	
ख - डाक					
दत्तमत					
राजस्व	37,652.64	482.41	38,135.05	37,528.49	-606.56
पूंजीगत	1,262.60	0.01	1,262.61	1,190.49	-72.12
कुल	**38,915.24**	**482.42**	**39,397.66**	**38,718.98**	**-678.68**
प्रभारित					
राजस्व	2.00	0.00	2.00	0.00	-2.00
पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**-2.00**
कुल योग	**38,917.24**	**482.42**	**39,399.66**	**38,718.98**	**-680.68**

व्यय में कमी से वसूली				1,400.00	1,188.04	
कुल निवल संस्वीकृत प्रावधान				37,999.66		
कुल निवल व्यय					37,530.94	
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत						
राजस्व		2,89,580.21	15,314.59	3,04,894.80	3,01,020.25	-3,874.55
पूंजीगत		1,71,877.57	0.02	1,71,877.59	1,59,705.39	-12,172.20
कुल		**4,61,457.78**	**15,314.61**	**4,76,772.39**	**4,60,725.64**	**-16,046.75**
प्रभारित						
राजस्व		106.93	22.80	129.73	100.29	-29.44
पूंजीगत		122.43	67.11	189.54	63.01	-126.53
कुल		**229.36**	**89.91**	**319.27**	**163.30**	**-155.97**
कुल योग		**4,61,687.14**	**15,404.52**	**4,77,091.66**	**4,60,888.94**	**-16,202.72**
व्यय में कमी से वसूली				161.10	163.12	
कुल निवल संस्वीकृत प्रावधान				4,76,930.56		
कुल निवल व्यय					4,60,725.82	
घ - रेलवे						
दत्तमत						
राजस्व		3,50,040.22	0.01	3,50,040.23	3,35,217.54	-14,822.69
पूंजीगत		4,38,863.57	377.31	4,39,240.88	4,27,725.38	-11,515.50
कुल		**7,88,903.79**	**377.32**	**7,89,281.11**	**7,62,942.92**	**-26,338.19**
प्रभारित						
राजस्व		454.79	126.33	581.12	539.56	-41.56
पूंजीगत		459.97	642.92	1,102.89	864.03	-238.86
कुल		**914.76**	**769.25**	**1,684.01**	**1,403.59**	**-280.42**
कुल योग		**7,89,818.55**	**1,146.57**	**7,90,965.12**	**7,64,346.51**	**-26,618.61**
व्यय में कमी से वसूली				2,55,925.55	2,43,028.11	
कुल निवल संस्वीकृत प्रावधान				5,35,039.57		
कुल निवल व्यय					5,21,318.40	
कुल						
कुल सीएफआई	दत्त मत	44,96,109.00	2,10,756.39	47,06,865.39	42,84,939.54	-4,21,925.85
	प्रभारित	94,92,262.82	5,55,514.27	1,00,47,777.09	99,78,400.13	-69,376.96
कुल योग		**1,39,88,371.82**	**7,66,270.66**	**1,47,54,642.48**	**1,42,63,339.67**	**-4,91,302.81**

सीएफआई					
व्यय में कमी से कुल वसूली			14,70,929.74	6,77,471.37	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल संस्वीकृत प्रावधान और व्यय			1,32,83,712.74	1,35,85,868.30	
वित्त लेखों से अंतर				0.00	
वित्त लेखों के अनुसार सीएफआई से कुल व्यय				1,35,85,868.30	

नोट: प्रभारित और दत्तमत व्यय के लिए प्रावधान को क्रमशः विनियोग और अनुदान कहा जाता है।

सीएफआई - भारत की संचित निधि

अनुलग्नक 4.2

(पैराग्राफ 4.1.1 और 4.2 देखें)

अनुदान/विनियोगवार अतिरिक्त/बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
1	58-जम्मू और कश्मीर को अंतरण	46,000.07	46,000.07	0.00	0.00
2	6-उर्वरक विभाग	1,91,836.29	1,91,824.18	12.11	0.01
3	22-रक्षा पेंशन	1,57,681.00	1,57,653.65	27.35	0.02
4	54-दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,653.79	2,651.25	2.54	0.10
5	84-संघ लोक सेवा आयोग	427.62	427.10	0.52	0.12
6	40-ऋण की पुनर्अदायगी	85,12,479.77	85,00,778.90	11,700.87	0.14
7	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,392.07	3,383.93	8.14	0.24
8	53-चंडीगढ़	6,614.50	6,598.19	16.31	0.25
9	5-रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	1,613.37	1,607.75	5.62	0.35
10	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	57,519.91	57,313.73	206.18	0.36
11	41-पेंशन	93,720.00	93,361.15	358.85	0.38
12	69-खान मंत्रालय	3,533.00	3,507.26	25.74	0.73
13	59-पुदुचेरी को अंतरण	3,330.00	3,302.36	27.64	0.83
14	38-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	6,657.08	6,587.40	69.68	1.05
15	36-प्रत्यक्ष कर	11,573.17	11,441.20	131.97	1.14
16	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	10,159.03	10,033.56	125.47	1.24
17	67-भारत का सर्वोच्च न्यायालय	606.05	598.55	7.50	1.24
18	91-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6,350.69	6,270.94	79.75	1.26
19	20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	3,05,024.53	3,01,120.54	3,903.99	1.28
20	11- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	8,016.56	7,902.06	114.50	1.43
21	86-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3,75,347.34	3,69,216.91	6,130.43	1.63
22	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,101.62	5,999.13	102.49	1.68
23	12-डाक विभाग	39,399.66	38,718.98	680.68	1.73
24	8-नागर विमानन मंत्रालय	2,658.68	2,606.20	52.48	1.97

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
25	18-संस्कृति मंत्रालय	3,325.97	3,260.00	65.97	1.98
26	51-पुलिस	1,50,988.13	1,47,979.70	3,008.43	1.99
27	97-इस्पात मंत्रालय	8,753.56	8,539.07	214.49	2.45
28	26-उच्चतर शिक्षा विभाग	63,320.30	61,755.93	1,564.37	2.47
29	10-वाणिज्य विभाग	5,697.56	5,538.93	158.63	2.78
30	66-चुनाव आयोग	361.76	350.50	11.26	3.11
31	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,09,551.41	1,06,122.85	3,428.56	3.13
32	3-परमाणु ऊर्जा	37,816.09	36,616.60	1,199.49	3.17
33	65-विधि और न्याय	7,658.56	7,411.97	246.59	3.22
34	85-रेल मंत्रालय	7,90,965.12	7,64,346.51	26,618.61	3.37
35	35-राजस्व विभाग	1,65,586.04	1,59,922.15	5,663.89	3.42
36	79-ऊर्जा मंत्रालय	23,353.38	22,532.94	820.44	3.51
37	39-ब्याज भुगतान	12,08,841.36	11,64,271.06	44,570.30	3.69
38	32-वित्तीय सेवाएं विभाग	4,185.85	4,031.30	154.55	3.69
39	74-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,609.42	2,509.43	99.99	3.83
40	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3,529.34	3,378.27	151.07	4.28
41	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,42,681.95	2,32,153.21	10,528.74	4.34
42	87-ग्रामीण विकास विभाग	2,82,566.22	2,70,048.83	12,517.39	4.43
43	73-संसदीय कार्य मंत्रालय	66.06	63.02	3.04	4.60
44	75-केंद्रीय सतर्कता आयोग	51.31	48.44	2.87	5.59
45	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	21,093.74	19,887.49	1,206.25	5.72
46	37-अप्रत्यक्ष कर	41,232.26	38,818.21	2,414.05	5.85
47	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	26,596.43	25,029.48	1,566.95	5.89
48	56-लक्षद्वीप	1,735.75	1,627.76	107.99	6.22
49	82-राज्यसभा	441.42	412.07	29.35	6.65
50	4-आयुष मंत्रालय	3,717.40	3,468.64	248.76	6.69
51	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,629.58	4,306.78	322.80	6.97
52	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,72,067.13	1,59,768.40	12,298.73	7.15
53	29-विदेश मंत्रालय	30,040.14	27,824.25	2,215.89	7.38

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
54	25-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,27,875.15	1,17,984.44	9,890.71	7.73
55	9-कोयला मंत्रालय	922.55	850.88	71.67	7.77
56	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,688.15	3,386.73	301.42	8.17
57	50-कैबिनेट	6,160.35	5,630.11	530.24	8.61
58	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,225.28	1,112.62	112.66	9.19
59	42-राज्यों को अंतरण	3,68,180.79	3,31,961.15	36,219.64	9.84
60	31-व्यय विभाग	545.37	487.07	58.30	10.69
61	57-दिल्ली को अंतरण	1,248.01	1,108.00	140.01	11.22
62	95-अंतरिक्ष विभाग	13,043.11	11,518.64	1,524.47	11.69
63	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2,63,085.96	2,32,151.92	30,934.04	11.76
64	49-गृह मंत्रालय	6,458.29	5,694.77	763.52	11.82
65	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	30,233.91	26,611.60	3,622.31	11.98
66	13- दूरसंचार विभाग	1,55,104.67	1,31,859.47	23,245.20	14.99
67	83-उपराष्ट्रपति का सचिवालय	12.99	10.98	2.01	15.47
68	33-लोक उद्यम विभाग	26.72	22.02	4.70	17.59
69	102-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,442.33	2,833.05	609.28	17.70
70	55-लद्दाख	5,968.29	4,894.62	1,073.67	17.99
71	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,460.13	1,998.00	462.13	18.78
72	80-राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते	154.39	124.31	30.08	19.48
73	81-लोकसभा	872.00	696.46	175.54	20.13
74	100- जनजातीय कार्य मंत्रालय	13,003.85	10,173.21	2,830.64	21.77
75	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	13,539.65	10,409.00	3,130.65	23.12
76	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	4,931.27	3,649.25	1,282.02	26.00
77	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,453.83	4,020.74	1,433.09	26.28
78	7-औषध विभाग	4,128.96	3,018.78	1,110.18	26.89
79	92-कौशल विकास और उद्यमिता	7,205.65	5,253.98	1,951.67	27.09

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
	मंत्रालय				
80	88-भूमि संसाधन विभाग	5,148.24	3,722.28	1,425.96	27.70
81	72-पंचायती राज मंत्रालय	1,183.65	850.29	333.36	28.16
82	71-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	32,626.39	23,299.18	9,327.21	28.59
83	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,020.04	2,866.82	1,153.22	28.69
84	14-उपभोक्ता मामले विभाग	10,362.84	7,356.77	3,006.07	29.01
85	98-वस्त्र मंत्रालय	4,433.05	2,998.46	1,434.59	32.36
86	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,978.68	2,684.92	1,293.76	32.52
87	34-निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	70.48	45.61	24.87	35.29
88	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	91,804.70	59,143.75	32,660.95	35.58
89	89-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	8,039.10	5,122.36	2,916.74	36.28
90	27-इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21,936.91	13,670.52	8,266.39	37.68
91	16-सहकारिता मंत्रालय	1,185.28	738.00	447.28	37.74
92	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	5,900.01	3,447.71	2,452.30	41.56
93	64-श्रम और रोजगार मंत्रालय	22,532.15	11,436.49	11,095.66	49.24
94	30-आर्थिक कार्य विभाग	1,17,532.32	54,945.99	62,586.33	53.25
95	70-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3,183.25	1,396.02	1,787.23	56.14
96	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22,138.96	9,700.34	12,438.62	56.18
97	43-मत्स्य पालन विभाग	2,616.46	1,127.92	1,488.54	56.89
98	48-भारी उद्योग मंत्रालय	7,242.08	2,686.56	4,555.52	62.90
99	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77,390.70	26,258.66	51,132.04	66.07
100	77-योजना मंत्रालय	1,001.03	282.61	718.42	71.77
101	17-कारपोरेट कार्य मंत्रालय	2,697.07	710.47	1,986.60	73.66
102	99-पर्यटन मंत्रालय	2,488.40	457.36	2,031.04	81.62
कुल		**1,47,54,642.48**	**1,42,63,339.67**	**4,91,302.81**	**3.33**

अनुलग्नक 4.3

(पैराग्राफ 4.2.1.1 देखें)

पर्याप्त धनराशि के प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	कुल संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस+आर)	वास्तविक व्यय	अंतिम अतिरिक्त व्यय
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
1	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन और भत्तों की लागत	175.00	203.16	28.16
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
2	3275.00.190.06 - स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारी को वृद्धिशील पेंशन भुगतान	3,822.16	4,248.40	426.24
अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
3	2052.00.090.56 - सीमा सड़क संगठन	4,613.29	4,641.47	28.18
4	2055.00.104.02 - जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएकेएलआई) के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क	1,915.53	2,022.45	106.92
5	5054.02.337.03 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत काम	6,565.00	6,597.51	32.51
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)				
6	2076.00.105-परिवहन	5,532.44	5,631.76	99.32
7	2078.00.110-भंडार	22,834.93	22,950.07	115.14
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
8	4076.05.052-उपस्कर और औजार	12,744.00	12,784.78	40.78
अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन				
9	2071.02.101.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,29,054.33	1,29,126.61	72.28
10	2071.02.103.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	14,613.42	14,679.49	66.07
अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग				
11	3601.06.796.10 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	1,048.66	1,074.53	25.87
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
12	4046.00.206.06 - स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015	2,577.28	7,388.06	4,810.78

अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग				
13	3602.08.797.02 - वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	5,000.00	6,370.24	1,370.24
विनियोग संख्या 40 - ऋण की पुनर्अदायगी				
14	*6001.00.129 - सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, 2015*	*8,031.90*	*8,124.42*	*92.52*
अनुदान संख्या 41 - पेंशन				
15	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	38,171.00	39,343.15	1,172.15
16	2071.01.120.01 - एनसीटी दिल्ली सरकार से वसूली योग्य पेंशनरी प्रभार	5,400.00	5,550.07	150.07
कुल		**2,62,098.94**	**2,70,736.17**	**8,637.23**

अनुलग्नक 4.4

(पैराग्राफ 4.2.2.1 देखें)

अनुदान स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत[55]
1	30-आर्थिक कार्य विभाग	1,17,532.32	54,945.99	62,586.33
2	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77,390.70	26,258.66	51,132.04
3	39-ब्याज भुगतान	12,08,841.36	11,64,271.06	44,570.30
4	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	91,804.70	59,143.75	32,660.95
5	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2,63,085.96	2,32,151.92	30,934.04
6	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22,138.96	9,700.34	12,438.62
7	40-ऋण की पुनर्अदायगी	85,12,479.77	85,00,778.90	11,700.87
8	64-श्रम और रोजगार मंत्रालय	22,532.15	11,436.49	11,095.66
9	71-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	32,626.39	23,299.18	9,327.21
10	27-इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21,936.91	13,670.52	8,266.39
11	86-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3,75,347.34	3,69,216.91	6,130.43
12	35-राजस्व विभाग	1,65,586.04	1,59,922.15	5,663.89
कुल		**1,09,11,302.60**	**1,06,24,795.87**	**2,86,506.73**

[55] ये उसी अनुदान के तहत ज़्यादा रकम को घटाकर हैं।

अनुलग्नक 4.5क

(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

खंड स्तर पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(जिसमें लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ की बचत या संस्वीकृत प्रावधान का 25% शामिल है, जो कम से कम ₹100 करोड़ हो)

(₹ करोड़ में)

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
राजस्व दत्तमत						
1	**अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**		**2,42,563.62**	**2,32,078.02**	**10,485.60**	**4.32**
	1	2401.00.131.02 - नमो ड्रोन दीदी	502.52	1.48	501.04	99.71
	2	2401.00.789.39 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	666.83	0.00	666.83	100.00
	3	2401.00.789.45 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	2,181.24	827.95	1,353.29	62.04
	4	2401.00.796.41 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	134.48	0.00	134.48	100.00
	5	2416.00.789.03 - संशोधित ब्याज आर्थिक सहायता योजना (एमआईएसएस)	3,436.20	1,399.33	2,036.87	59.28
	6	2416.00.796.03 - संशोधित ब्याज आर्थिक सहायता योजना (एमआईएसएस)	1,780.20	916.92	863.28	48.49
	7	2435.60.103.01 -	405.10	193.85	211.25	52.15

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	8	2435.60.789.02 - कृषोन्नति योजना	261.05	118.48	142.57	54.61
	9	3601.06.101.35 - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	214.54	1.50	213.04	99.30
	10	3601.06.101.96 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4,699.77	4,009.68	690.09	14.68
	11	3601.06.789.37 - कृषोन्नति योजना	756.95	430.32	326.63	43.15
2	**अनुदान संख्या 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग**		**10,152.53**	**10,030.41**	**122.12**	**1.20**
3	**अनुदान संख्या 3-परमाणु ऊर्जा**		**21,771.68**	**21,594.26**	**177.42**	**0.81**
4	**अनुदान संख्या 4-आयुष मंत्रालय**		**3,703.75**	**3,456.29**	**247.46**	**6.68**
5	**अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग**		**4,088.70**	**2,978.80**	**1,109.90**	**27.15**
	12	2852.05.206.16 - औषध उद्योग का विकास	1,300.00	37.33	1,262.67	97.13
6*	**अनुदान संख्या 8 - नागर विमानन मंत्रालय**		**2,556.94**	**2,509.08**	**47.86**	**1.87**
	13	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	1,158.79	818.18	340.61	29.39
7	**अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग**		**5,575.04**	**5,431.64**	**143.40**	**2.57**
	14	3453.00.800.09 - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	310.00	192.93	117.07	37.76
8	**अनुदान संख्या 11 - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**		**6,612.17**	**6,504.59**	**107.58**	**1.63**
	15	2885.02.101.18 -	567.00	355.67	211.33	37.27

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		हिमाचल प्रदेश (हिप्र) और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017				
9	**अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग**		**38,135.05**	**37,528.49**	**606.56**	**1.59**
	16	3201.07.102.01 - पेंशन का परिवर्तित मूल्य।	870.53	453.21	417.32	47.94
	17	3201.07.104.01 - ग्रेच्युटी	1,147.36	785.45	361.91	31.54
10	**अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग**		**60,957.16**	**52,867.14**	**8,090.02**	**13.27**
	18	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	767.96	512.81	255.15	33.22
	19	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	2,135.79	1,446.78	689.01	32.26
	20	3275.00.103.01 - सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	7,817.41	4,365.70	3,451.71	44.15
	21	3275.00.103.02 - अनुसंधान व विकास के लिए क्षतिपूर्ति	400.00	160.07	239.93	59.98
	22	3275.00.187.01 - भारत में टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	1,806.34	843.93	962.41	53.28
	23	3275.00.190.01 - गारंटी फीस में छूट	556.37	169.76	386.61	69.49
	24	3275.00.789.01 -	838.30	19.93	818.37	97.62

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		वैश्विक सेवा दायित्व के लिये सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति				
	25	3275.00.796.02 - वैश्विक सेवा दायित्व के लिये सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	434.31	257.45	176.86	40.72
	26	3275.00.797.01 - वैश्विक सेवा दायित्व निधि में अंतरण	10,500.00	7,200.00	3,300.00	31.43
11	**अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग**		**10,293.50**	**7,294.39**	**2,999.11**	**29.14**
	27	3456.00.001.14 - मूल्य स्थिरीकरण निधि	9,000.01	6,970.94	2,029.07	22.55
12	**अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**		**2,12,976.24**	**2,07,601.15**	**5,375.09**	**2.52**
	28	2408.01.102.26 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	1,77,230.40	1,71,480.40	5,750.00	3.24
13	**अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय**		**1,182.40**	**735.75**	**446.65**	**37.77**
	29	3601.06.101.97 - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण	395.00	103.56	291.44	73.78
14	**अनुदान संख्या 17 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय**		**2,641.97**	**668.58**	**1,973.39**	**74.69**
	30	3451.00.090.05 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय	2,214.99	247.89	1,967.10	88.81
15	**अनुदान संख्या 20-रक्षा सेवाएं**		**3,04,894.80**	**3,01,020.25**	**3,874.55**	**1.27**

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	(राजस्व)					
16*	**अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन**		**1,57,679.78**	**1,57,653.25**	**26.53**	**0.02**
	31	2071.02.101.03 - अवकाश नकदीकरण	5,216.90	4,585.90	631.00	12.10
17	**अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**		**2,040.69**	**1,100.28**	**940.41**	**46.08**
	32	2552.00.101.06 - पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़क अवसंरचना के अलावा)	149.15	43.82	105.33	70.62
	33	2552.00.316.01-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-देवाइन)	479.50	101.13	378.37	78.91
	34	2552.00.796.39 - राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	400.00	145.02	254.98	63.75
18	**अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**		**2,514.48**	**2,387.40**	**127.08**	**5.05**
	35	3403.00.101.10 - ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी (ओ-एसएमएआरटी)	280.00	0.00	280.00	100.00
	36	3403.00.102.06 - ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर	146.00	0.00	146.00	100.00
	37	3451.00.090.17 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (मुख्यालय)	624.37	55.00	569.37	91.19
	38	3455.00.001.06 -	243.80	0.00	243.80	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		पर्यावरण और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम और सर्विसेज (एसीआरओएसएस)				
19	**अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग**		**1,27,874.39**	**1,17,984.18**	**9,890.21**	**7.73**
	39	2202.01.001.11 - उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (पीएम श्री)	1,406.15	1,035.63	370.52	26.35
	40	3601.06.101.10 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	7,590.28	6,716.15	874.13	11.52
	41	3601.06.101.87 - उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (पीएम श्री)	2,186.57	1,590.34	596.23	27.27
	42	3601.06.102.34 - राज्यों के अध्यापन-अध्ययन व परिणाम को मजबूत करना (स्टार्स)	885.00	568.66	316.34	35.74
	43	3601.06.789.10 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	2,332.00	1,820.49	511.51	21.93
	44	3601.06.789.72 - उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (पीएम श्री)	973.41	431.18	542.23	55.70
	45	3601.06.797.01- प्राथमिक शिक्षा निधि में अंतरण के लिए निधि	43,000.00	40,900.00	2,100.00	4.88
	46	3601.06.797.09 - माध्यमिक और उच्चतर	6,000.00	5,010.00	990.00	16.50

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		शिक्षा निधि (एमयूएसके) में अंतरण के लिए निधि				
	47	3602.06.101.71-उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (पीएम श्री)	221.92	80.54	141.38	63.71
20	**अनुदान संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग**		**63,309.24**	**61,751.09**	**1,558.15**	**2.46**
	48	2202.03.102.23 - उच्चतर शिक्षा	1,839.87	1,175.72	664.15	36.10
	49	2202.03.789.28 - उच्चतर शिक्षा	379.30	232.93	146.37	38.59
	50	2202.03.797.03 - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा निधि में अंतरण - उच्चतर शिक्षा निधि	7,000.00	6,500.00	500.00	7.14
	51	2202.80.107.21 - छात्र वित्तीय सहायता	1,225.67	882.96	342.71	27.96
	52	2202.80.789.19 - छात्र वित्तीय सहायता	215.89	80.82	135.07	62.56
	53	2202.80.797.02 - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा निधि में अंतरण - उच्चतर शिक्षा निधि	1,558.00	1,000.00	558.00	35.82
	54	2203.00.004.05 - अनुसंधान और नवाचार	384.50	17.15	367.35	95.54
	55	2203.00.112.45 - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	300.20	105.90	194.30	64.72
	56	3601.06.101.08 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:	1,096.06	209.11	886.95	80.92

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)				
	57	3601.06.789.87 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	261.26	47.90	213.36	81.67
	58	3601.06.796.95 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	147.62	22.54	125.08	84.73
21	**अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**		**21,355.90**	**13,344.66**	**8,011.24**	**37.51**
	59	2852.07.102.07 - साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)	572.34	204.61	367.73	64.25
	60	2852.07.102.13 - भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम	5,177.20	638.06	4,539.14	87.68
	61	2852.07.102.16 - भारत एआई मिशन	413.81	19.24	394.57	95.35
	62	2852.07.789.21 - भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम	573.00	0.00	573.00	100.00
	63	2852.07.796.21 -	462.50	0.00	462.50	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम				
22	**अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**		**3,885.40**	**2,595.83**	**1,289.57**	**33.19**
	64	2406.04.102.01 - राष्ट्रीय प्राधिकरण	463.25	315.47	147.78	31.90
	65	3435.04.103.22 - प्रदूषण नियंत्रण	622.50	16.20	606.30	97.40
	66	3451.00.090.29 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	370.72	266.53	104.19	28.10
23*	**अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय**		**23,981.50**	**23,933.26**	**48.24**	**0.20**
	67	3605.00.101.33 - अफ़गानिस्तान को सहायता	200.00	42.43	157.57	78.79
24	**अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग**		**46,569.72**	**43,923.52**	**2,646.20**	**5.68**
	68	3475.00.188.01 - अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)	157.23	48.49	108.74	69.16
	69	3605.00.101.45 - भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत लाइन् ऑफ़ क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट इक्विलाइज़ेशन सपोर्ट	3,849.00	2,289.18	1,559.82	40.53
25	**अनुदान संख्या 32-वित्तीय सेवाएं**		**3,376.66**	**3,246.93**	**129.73**	**3.84**

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	विभाग					
26	**अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग**		**1,65,054.06**	**1,59,472.47**	**5,581.59**	**3.38**
	70	2047.00.108.01 - अपीलीय न्यायाधिकरण	164.60	63.52	101.08	61.41
	71	3601.08.112.01 - राज्यों को राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति	10,000.00	6,621.44	3,378.56	33.79
	72	3601.08.797.02 - वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	1,45,000.00	1,44,006.69	993.31	0.69
	73	3602.08.106.01 - विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति	3,000.00	366.31	2,633.69	87.79
27	**अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर**		**38,859.87**	**37,046.44**	**1,813.43**	**4.67**
	74	2037.00.110.01 - राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	9,246.00	8,565.00	681.00	7.37
	75	2037.00.111.01 - भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	799.32	108.06	691.26	86.48
	76	2037.00.112.01 - भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसईआईएस) के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना	1,901.00	473.93	1,427.07	75.07

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	77	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	660.91	8.10	652.81	98.77
	78	2037.00.114.03 - फोकस प्रोडक्ट योजना और मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	271.53	8.26	263.27	96.96
	79	2037.00.114.06 - स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	119.41	0.14	119.27	99.88
28	**अनुदान संख्या 41 - पेंशन**		**93,250.00**	**92,895.68**	**354.32**	**0.38**
29	**अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण**		**51,802.61**	**27,209.42**	**24,593.19**	**47.47**
	80	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	11,474.00	5,356.03	6,117.97	53.32
	81	3601.07.105.02 - राष्ट्रीय आपदा मिटिगेशन निधि से राज्यों को सहायता (राज्य)	2,868.60	719.72	2,148.88	74.91
	82	3601.08.111.09 - विशेष सहायता (राज्य)	20,000.00	3,350.00	16,650.00	83.25
30	**अनुदान संख्या 43 - मत्स्य पालन विभाग**		**2,597.45**	**1,122.64**	**1,474.81**	**56.78**
	83	3601.06.101.75 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा	1,144.31	388.55	755.76	66.05

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		योजना (पीएमएसएसवाई)				
	84	3601.06.789.64 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई)	354.01	64.75	289.26	81.71
31	**अनुदान संख्या 44 - पशुपालन और डेयरी विभाग**		**4,693.60**	**3,451.24**	**1,242.36**	**26.47**
	85	2403.00.102.23 - विकास कार्यक्रम	469.00	228.40	240.60	51.30
	86	2403.00.789.18 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	345.54	53.12	292.42	84.63
	87	2403.00.796.05 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	160.27	29.49	130.78	81.60
	88	2404.00.102.24 - दिल्ली दूध योजना	379.00	137.65	241.35	63.68
32	**अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**		**4,016.49**	**2,864.84**	**1,151.65**	**28.67**
	89	2408.01.187.23 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	1,435.98	448.37	987.61	68.78
33	**अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**		**1,05,939.11**	**1,03,724.48**	**2,214.63**	**2.09**
	90	2210.06.101.63 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	300.61	181.90	118.71	39.49
	91	2210.06.101.75 - रक्त आधान सेवा	185.00	76.38	108.62	58.71

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	92	3601.06.101.20 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	694.94	371.95	322.99	46.48
	93	3601.06.101.94 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	417.22	174.82	242.40	58.10
	94	3601.06.789.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	172.87	38.21	134.66	77.90
	95	3601.06.789.75 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	495.87	322.24	173.63	35.02
	96	3601.06.796.79 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	257.92	155.50	102.42	39.71
34	**अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय**		**7,240.22**	**2,685.00**	**4,555.22**	**62.92**
	97	2852.06.102.37 - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	3,184.34	2,116.40	1,067.94	33.54
	98	2852.80.187.01 - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	3,750.00	337.63	3,412.37	91.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
35	**अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय**		**6,073.00**	**5,425.14**	**647.86**	**10.67**
	99	2245.80.102.02 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	105.40	0.72	104.68	99.32
	100	3454.01.001.04 - गणना	897.65	106.00	791.65	88.19
36	**अनुदान संख्या 50 - कैबिनेट**		**1,152.68**	**646.17**	**506.51**	**43.94**
	101	2013.00.108.04 - स्पेशल एक्स्ट्रा सेशन फ़्लाइट ऑपरेशन	675.76	254.14	421.62	62.39
37	**अनुदान संख्या 51 - पुलिस**		**1,37,608.69**	**1,36,373.78**	**1,234.91**	**0.90**
	102	2055.00.003.10 - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	506.04	14.71	491.33	97.09
	103	2055.00.101.14 - इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्रियान्वयन	250.00	108.62	141.38	56.55
	104	2055.00.101.15 - इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस)	150.00	30.00	120.00	80.00
	105	2055.00.101.16 - फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना	700.00	148.55	551.45	78.78
	106	2055.00.101.17 - जेलों का आधुनिकीकरण	300.00	43.62	256.38	85.46
	107	2055.00.122.01 - निर्देशन और प्रशासन	9,046.17	8,314.34	731.83	8.09
	108	2055.00.797.01 - निर्भया निधि में अंतरण	200.00	100.00	100.00	50.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	109	3601.06.101.11 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	2,377.38	1,151.65	1,225.73	51.56
	110	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	264.50	78.08	186.42	70.48
	111	3601.06.101.98 - जीवंत ग्राम कार्यक्रम	1,003.50	200.00	803.50	80.07
38	**अनुदान संख्या 55-लद्दाख**		**2,892.12**	**2,408.68**	**483.44**	**16.72**
39	**अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**		**53,980.22**	**21,788.78**	**32,191.44**	**59.64**
	112	2216.02.190.18 - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	6,443.51	1,842.50	4,601.01	71.41
	113	2217.05.001.02 - स्वच्छ भारत मिशन	181.75	57.63	124.12	68.29
	114	2217.05.191.15 - 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन	438.10	120.85	317.25	72.41
	115	2217.05.191.16 - शहरी संरक्षण मिशन 500 बस्तियां (एएमआरयूटी)	237.00	127.62	109.38	46.15
	116	2217.05.191.23 - राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)	130.00	0.00	130.00	100.00
	117	3601.06.101.22 - स्वच्छ भारत मिशन	4,006.25	1,485.06	2,521.19	62.93
	118	3601.06.101.24 - शहरी संरक्षण मिशन-500 बस्तियां (अमृत)	7,459.15	5,406.56	2,052.59	27.52
	119	3601.06.101.31 -	17,100.02	2,872.72	14,227.30	83.20

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी				
	120	3601.06.101.32 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	186.67	20.86	165.81	88.83
	121	3601.06.101.58 - अन्य शहरी विकास योजनाएं	1,105.02	85.00	1,020.02	92.31
	122	3601.06.101.59 - पीएम- ई-बस सेवा	1,150.00	463.58	686.42	59.69
	123	3601.06.789.17 - शहरी आवास - अन्य अनुदान	4,000.01	794.50	3,205.51	80.14
	124	3601.06.796.17 - शहरी आवास - अन्य अनुदान	1,400.01	251.54	1,148.47	82.03
	125	3602.06.101.17 - स्वच्छ भारत मिशन	312.00	191.11	120.89	38.75
	126	3602.06.101.19 - शहरी संरक्षण मिशन-500 बस्तियां (अमृत)	307.00	115.59	191.41	62.35
40	**अनुदान संख्या 61 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय**		**4,567.71**	**4,261.67**	**306.04**	**6.70**
	127	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	450.00	213.69	236.31	52.51
41	**अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**		**29,830.72**	**26,311.41**	**3,519.31**	**11.80**
	128	2700.80.190.03 -	4,000.01	1,954.86	2,045.15	51.13

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		नदियों को आपस में जोड़ना				
	129	2700.80.797.01 - नदियों को आपस में जोड़ना	3,500.00	2,000.00	1,500.00	42.86
	130	2701.80.004.08 - राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	553.80	342.99	210.81	38.07
	131	2701.80.800.26 - अटल भूजल योजना	1,778.00	593.72	1,184.28	66.61
	132	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	3,345.71	2,595.11	750.60	22.43
	133	3451.00.090.16 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	219.97	101.15	118.82	54.02
	134	3601.06.101.04 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	300.00	159.09	140.91	46.97
	135	3601.06.101.89 - विदर्भ और मराठवाड़ा के ज़िलों तथा मराठवाड़ा के शेष भाग के अन्य ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एक विशेष पैकेज।	600.00	185.94	414.06	69.01
	136	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमांड क्षेत्र	1,365.00	62.04	1,302.96	95.45

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		विकास और जल प्रबंधन				
42	**अनुदान संख्या 63 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**		**77,389.20**	**26,257.16**	**51,132.04**	**66.07**
	137	2215.01.102.19 - जल जीवन मिशन	43,121.42	15,352.97	27,768.45	64.40
	138	2215.01.789.02 - जल जीवन मिशन	14,992.42	4,992.68	9,999.74	66.70
	139	2215.01.796.03 - जल जीवन मिशन	5,032.78	2,269.40	2,763.38	54.91
	140	3601.06.101.55 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	3,495.56	1,219.48	2,276.08	65.11
	141	3601.06.789.47 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1,293.70	877.62	416.08	32.16
	142	3601.06.796.49 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	380.60	253.30	127.30	33.45
43	**अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय**		**22,481.88**	**11,403.43**	**11,078.45**	**49.28**
	143	2230.01.111.06 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	349.08	204.76	144.32	41.34
	144	2230.01.111.10 - नई रोजगार सृजन योजना	6,480.00	0.16	6,479.84	100.00
	145	2230.01.789.29 - नई रोज़गार सृजन योजना	1,660.00	0.00	1,660.00	100.00
	146	2230.01.796.29 - नई रोज़गार सृजन योजना	860.00	0.00	860.00	100.00
44	**अनुदान संख्या 65-विधि और न्याय**		**7,482.71**	**7,309.68**	**173.03**	**2.31**
45	**अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**		**21,549.89**	**9,112.42**	**12,437.47**	**57.71**

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	147	2851.00.102.96 - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं	6,358.77	0.00	6,358.77	100.00
	148	2851.00.102.99 - अवसंरचना विकास कार्यक्रम	2,417.04	1,294.25	1,122.79	46.45
	149	2851.00.106.11 - खादी ग्रामोद्योग एवं कॉयर उद्योग का विकास	270.39	73.98	196.41	72.64
	150	2851.00.789.64 - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं	2,491.96	323.76	2,168.20	87.01
	151	2851.00.796.63 - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं	1,298.93	233.28	1,065.65	82.04
46	**अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**		**3,179.50**	**1,393.06**	**1,786.44**	**56.19**
	152	2225.04.102.05 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	275.56	123.18	152.38	55.30
	153	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप	270.15	1.21	268.94	99.55
	154	2225.04.277.04 -	1,027.36	4.64	1,022.72	99.55

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति				
	155	2235.02.200.39 - पीएम-विकास	229.51	0.00	229.51	100.00
47	**अनुदान संख्या 71 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**		**32,608.94**	**23,292.80**	**9,316.14**	**28.57**
	156	2810.00.101.05 - सौर ऊर्जा	14,785.10	10,205.83	4,579.27	30.97
	157	2810.00.101.06 - बायो एनर्जी प्रोग्राम	274.03	151.36	122.67	44.77
	158	2810.00.101.09 - हाइड्रोजन मिशन	600.00	46.26	553.74	92.29
	159	2810.00.101.10 - स्टोरेज और ट्रांसमिशन	498.40	289.70	208.70	41.87
	160	2810.00.797.02 - सॉवरेन ग्रीन निधि	11,396.35	9,607.46	1,788.89	15.70
48	**अनुदान संख्या 72-पंचायती राज मंत्रालय**		**1,161.21**	**838.64**	**322.57**	**27.78**
49	**अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		**19,126.84**	**18,721.78**	**405.06**	**2.12**
	161	2802.01.187.01 - बायोमास के संग्रहण के लिए सीबीजी उत्पादकों को वित्तीय सहायता	150.00	1.72	148.28	98.85
	162	2802.01.187.02 - सीबीजी-सीजीडी कनेक्टिंग पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली एंटिटी (सीजीडी एंटिटी/सीबीजी प्रोड्यूसर) को फाइनेंशियल शीर्षद)	497.25	0.00	497.25	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	163	2802.02.102.01 - प्रधानमंत्री जीवन वन योजना	117.41	7.58	109.83	93.54
	164	2802.02.104.01 - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) - पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा	1,000.00	611.92	388.08	38.81
	165	2802.80.102.08 - एलपीजी के लिए डीबीटी	1,311.00	327.98	983.02	74.98
	166	2802.80.106.05 - इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान (ओएंडएम)	220.04	100.00	120.04	54.55
	167	2802.80.106.06 - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई), विशाखापत्तनम की स्थापना	168.00	0.00	168.00	100.00
	168	2852.06.102.29 - भारत में पीएनजी के लिए मर्चेंट शिप को फ़्लैग करना	387.26	78.21	309.05	79.80
50	**अनुदान संख्या 77 - योजना मंत्रालय**		**982.07**	**275.46**	**706.61**	**71.95**
	169	3475.00.004.01 - अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) जिसमें	144.30	27.01	117.29	81.28

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) शामिल है				
	170	3475.00.004.03 - सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजीएस) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए)	433.00	8.07	424.93	98.14
51	**अनुदान संख्या 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**		**2,061.95**	**1,958.63**	**103.32**	**5.01**
	171	3051.03.101.05 - सामान्य आरक्षित निधि	166.23	0.00	166.23	100.00
52	**अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय**		**20,700.52**	**19,892.19**	**808.33**	**3.90**
	172	2801.05.190.02 - पावर सिस्टम को मजबूत बनाना	500.01	207.74	292.27	58.45
53	**अनुदान संख्या 81-लोकसभा**		**791.21**	**670.12**	**121.09**	**15.30**
54	**अनुदान संख्या 85-रेल मंत्रालय**		**3,50,040.23**	**3,35,217.54**	**14,822.69**	**4.23**
55	**अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**		**21,950.22**	**21,556.17**	**394.05**	**1.80**
	173	3055.00.797.01 - केन्द्रीय सड़क व अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	370.80	243.80	127.00	34.25
56	**अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग**		**2,82,562.08**	**2,70,044.85**	**12,517.23**	**4.43**

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	174	2505.02.101.02 - जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता	42,030.00	40,068.23	1,961.77	4.67
	175	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	196.00	58.62	137.38	70.09
	176	3601.06.101.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	21,710.19	15,150.54	6,559.65	30.21
	177	3601.06.101.30 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	13,391.98	11,819.97	1,572.01	11.74
	178	3601.06.789.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	11,524.81	6,445.99	5,078.82	44.07
	179	3601.06.796.21 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,950.00	339.94	1,610.06	82.57
	180	3601.06.796.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	11,538.62	6,590.99	4,947.63	42.88
	181	3602.06.101.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	402.50	236.22	166.28	41.31
	182	3602.06.101.30 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,500.00	1,053.25	446.75	29.78
	183	3602.06.789.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-	175.00	0.00	175.00	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		ग्रामीण				
57	**अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग**		**5,137.22**	**3,711.93**	**1,425.29**	**27.74**
	184	3601.06.101.53 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	1,595.69	706.57	889.12	55.72
	185	3601.06.789.45 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - एकीकृत वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)	406.08	166.26	239.82	59.06
58	**अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग**		**7,965.73**	**5,058.13**	**2,907.60**	**36.50**
	186	3425.60.200.68 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	868.00	535.91	332.09	38.26
	187	3425.60.200.70 - इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट	355.40	228.88	126.52	35.60
	188	3425.60.200.71 - अनुसंधान और विकास	294.00	3.33	290.67	98.87
	189	3425.60.200.74 - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	190	3425.60.200.75 - राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	427.00	62.36	364.64	85.40
59	**अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग**		**2,460.13**	**1,998.00**	**462.13**	**18.78**

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	191	3425.60.200.29 - जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	990.00	632.19	357.81	36.14
60	**अनुदान संख्या 92-कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय**		**7,095.28**	**5,167.93**	**1,927.35**	**27.16**
	192	3601.06.101.38 - सहायता/शेयर	299.20	0.00	299.20	100.00
	193	3602.06.101.97 - नई आईटीआई उन्नयन योजना	299.20	0.00	299.20	100.00
61	**अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**		**13,478.61**	**10,373.21**	**3,105.40**	**23.04**
	194	2225.03.277.13 - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी)	706.80	273.46	433.34	61.31
	195	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक योजना	9,079.49	7,240.63	1,838.86	20.25
62	**अनुदान संख्या 94- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग**		**1,224.08**	**1,112.60**	**111.48**	**9.11**
63	**अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग**		**7,474.63**	**6,987.77**	**486.86**	**6.51**
	196	3402.00.101.85 - इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए संयुक्त ईएसआरओ एनएएसए मिशन	715.00	413.31	301.69	42.19

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
64	**अनुदान संख्या 96-कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**		**5,408.85**	**3,990.72**	**1,418.13**	**26.22**
	197	2553.00.101.01 - सहायता अनुदान	3,954.75	2601.52	1,353.23	34.22
65	**अनुदान संख्या 97 - इस्पात मंत्रालय**		**324.20**	**109.77**	**214.43**	**66.14**
	198	2852.01.105.35 - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	245.82	52.20	193.62	78.76
66	**अनुदान संख्या 98 - कपड़ा मंत्रालय**		**4,373.40**	**2,940.05**	**1,433.35**	**32.77**
	199	2852.08.202.16 - मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	600.00	0.00	600.00	100.00
	200	2852.08.202.63 - अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास	492.01	282.53	209.48	42.58
	201	2852.08.202.65 - संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	635.00	414.75	220.25	34.69
	202	2852.08.202.70 - पीएम मित्र	275.50	0.01	275.49	100.00
67	**अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय**		**2,483.13**	**453.18**	**2,029.95**	**81.75**
	203	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	1,429.00	57.87	1,371.13	95.95
	204	3452.01.101.19 - तीर्थयात्रा संरक्षण और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (पीआरएएसएचएडी)	240.00	80.93	159.07	66.28

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	205	3452.01.796.04 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	103.01	1.38	101.63	98.66
68	**अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय**		**7,959.58**	**6,064.73**	**1,894.85**	**23.81**
	206	2225.02.796.25 - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	5,924.00	4,716.31	1,207.69	20.39
69	**अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**		**26,588.85**	**25,022.96**	**1,565.89**	**5.89**
	207	2235.02.102.50 - मिशन वात्सल्य	139.69	35.70	103.99	74.44
	208	2235.02.102.51 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं- पोषण अभियान- किशोरियों के लिए योजना)	309.36	162.72	146.64	47.40
	209	2235.02.103.81 - मिशन शक्ति	172.97	26.64	146.33	84.60
	210	3601.06.101.82 - मिशन शक्ति	2,171.27	1,454.93	716.34	32.99
	211	3601.06.789.86 - मिशन शक्ति	254.42	151.85	102.57	40.32
70	**अनुदान संख्या 102 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**		**3,435.86**	**2,830.82**	**605.04**	**17.61**
	212	2204.00.103.34 - मेरा युवा भारत (मेरा भारत)	200.00	15.64	184.36	92.18
राजस्व प्रभारित						
71	***विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान***		***12,08,841.36***	***11,64,271.06***	***44,570.30***	***3.69***

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	213	2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज	8,06,430.59	7,73,406.00	33,024.59	4.10
	214	2049.01.108 - 182 दिन के कोष बिल पर ब्याज	14,965.34	12,685.78	2,279.56	15.23
	215	2049.01.110 - 364 दिन के कोष बिल पर ब्याज	30,660.24	22,621.10	8,039.14	26.22
	216	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिल पर डिस्काउंट	100.00	0.00	100.00	100.00
	217	2049.01.129 - सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, 2015 पर ब्याज	2,345.47	1,746.23	599.24	25.55
	218	2049.01.132.01 - पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड	17,689.57	17,098.57	591.00	3.34
	219	2049.01.200.03 - क्षतिपूर्ति और दूसरे बॉन्ड	9,832.55	5,143.67	4,688.88	47.69
	220	2049.02.249 - एशियाई विकास बैंक से ऋण पर ब्याज	11,921.60	11,172.15	749.45	6.29
	221	2049.05.105.01 - रेलवे पेंशन निधि	165.04	63.99	101.05	61.23
	222	2049.60.111.05 - 6.25% डाक जीवन बीमा भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2031	375.00	250.00	125.00	33.33
	223	2049.60.111.06 - 6.82% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सुरक्षा, 2032	477.40	238.70	238.70	50.00
	224	2049.60.111.08 -	329.85	219.90	109.95	33.33

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		7.33% डाक जीवन बीमा भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2033 (पूर्ण अवधि तारीख 31 मार्च)				
72	***अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण***		***1,32,378.18***	***1,20,858.16***	***11,520.02***	***8.70***
	225	3601.07.102.01 - ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)	49,800.00	41,261.96	8,538.04	17.14
	226	3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)	25,653.00	19,260.11	6,392.89	24.92
	227	3601.07.107 - नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए अनुदान	500.00	0.00	500.00	100.00
	228	3601.07.108 - साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान	250.00	0.00	250.00	100.00
73	***अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय***		***5,012.44***	***4,106.43***	***906.01***	***18.08***
	229	3601.06.796.85 - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)	3,751.93	3,153.73	598.20	15.94
		पूंजीगत दत्तमत				
74	**अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा**		**16,036.28**	**15,021.21**	**1,015.07**	**6.33**
	230	4801.03.105.02- कुडनकुलम में रिएक्टर परियोजनाओं से दूर	345.85	79.00	266.85	77.16
	231	4861.03.212.04 - वेस्ट	209.90	35.32	174.58	83.17

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		ट्रीटमेंट, एडवांस्ड फ्यूल, फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स (बीएआरसी)				
	232	5401.00.401.02 - इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) की आरएंडडी परियोजनाएं	196.73	73.03	123.70	62.88
	233	6801.00.206.04 - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के ऋण	1,184.00	500.00	684.00	57.77
75	**अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग**		**94,147.51**	**78,992.33**	**15,155.18**	**16.10**
	234	4859.01.190.13 - आईटीआई रिवाइवल (इक्विटी निवेश)	168.00	59.00	109.00	64.88
	235	5275.00.101.05 - भारत नेट	6,579.00	3,844.74	2,734.26	41.56
	236	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजीगत निवेश	82,916.20	71,940.02	10,976.18	13.24
	237	5275.00.789.02 - भारत नेट	705.50	3.19	702.31	99.55
	238	5275.00.796.03 - भारत नेट	365.50	147.08	218.42	59.76
76	**अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**		**50,108.37**	**24,549.59**	**25,558.78**	**51.01**
	239	6408.01.190.02 - एफसीआई को अर्थोपाय	50,000.00	24,445.33	25,554.67	51.11

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		अग्रिम				
77	**अनुदान संख्या 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)**		**11,099.47**	**10,971.86**	**127.61**	**1.15**
78	**अनुदान संख्या 21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**		**1,71,877.59**	**1,59,705.39**	**12,172.20**	**7.08**
79	**अनुदान संख्या 23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**		**3,859.32**	**2,347.43**	**1,511.89**	**39.17**
	240	4552.00.053.01 - प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-देवाइन)	875.50	475.10	400.40	45.73
	241	4552.00.058.01 - पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़क अवसंरचना के अलावा)	406.11	260.25	145.86	35.92
	242	4552.00.059.01 - नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज़ (एनएलसीपीआर - स्टेट)	496.76	30.98	465.78	93.76
	243	4552.00.796.03 - प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-देवाइन)	410.00	272.13	137.87	33.63
	244	4552.00.796.05 - नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज़ (एनएलसीपीआर-राज्य)	184.98	59.46	125.52	67.86
80	**अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**		**1,173.67**	**999.33**	**174.34**	**14.85**
	245	5403.00.101.11 - डीप ओशन मिशन	250.00	94.99	155.01	62.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	246	5455.00.101.06 - एटमॉस्फियर और क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम और सर्विसेज (एसीआरओएसएस)	256.20	0.00	256.20	100.00
81	**अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**		**581.01**	**325.86**	**255.15**	**43.91**
	247	5475.00.052.07 - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	348.70	125.96	222.74	63.88
82	**अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय**		**6,058.61**	**3,890.99**	**2,167.62**	**35.78**
	248	7465.00.101.10-भारत सरकार की गारंटी युक्त एलओसी के लिए ईएक्सआईएम बैंक को सहायता	4,383.40	2,287.51	2,095.89	47.81
	249	7605.00.097.01 - भूटान में चल रहे हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण	489.70	309.65	180.05	36.77
83	**अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग**		**70,962.60**	**11,022.48**	**59,940.12**	**84.47**
	250	5465.01.190.46-राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना निधि में निवेश	1,499.99	826.73	673.26	44.88
	251	5465.01.190.51 - एनआईआईएफ अवसंरचना दूरसंचार विभाग वित्तपोषण प्लेटफार्म में पूंजीगत	500.00	0.00	500.00	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		निवेश				
	252	5466.00.207.02 - मैंटेनेंस ऑफ़ वैल्यू (एमओवी) ऑब्लिगेशन	1,000.01	0.00	1,000.01	100.00
	253	5475.00.800.26 - नई योजनाएं	62,592.88	0.00	62,592.88	100.00
84	**अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर**		**2,372.39**	**1,771.77**	**600.62**	**25.32**
	254	4216.01.108.04 - कस्टम व सीजीएसटी आयुक्तालयों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	389.12	168.46	220.66	56.71
85	**अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**		**3,612.30**	**2,398.36**	**1,213.94**	**33.61**
	255	4210.01.110.07 - डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	526.00	348.07	177.93	33.83
	256	4210.04.200.33 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	275.87	104.63	171.24	62.07
	257	4210.04.200.35 - कोविड-19 रिस्पॉन्स मैकेनिज्म 2021 के अंतर्गत ग्लोबल निधि ग्रांट	108.21	0.00	108.21	100.00
86	**अनुदान संख्या 49-गृह मंत्रालय**		**385.29**	**269.63**	**115.66**	**30.02**
87	**अनुदान संख्या 51 - पुलिस**		**13,343.91**	**11,577.13**	**1,766.78**	**13.24**
	258	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	170.13	24.42	145.71	85.65

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	259	4055.00.210.09 - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	520.00	346.44	173.56	33.38
	260	4055.00.212.09 - दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण	878.20	630.78	247.42	28.17
	261	4055.00.216.14 - नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट योजना (एनएफआईईएस)	118.97	17.00	101.97	85.71
	262	4055.00.217.02 - कार्यालय भवन	452.71	125.23	327.48	72.34
	263	4055.00.217.03 - सामान्य	290.54	113.81	176.73	60.83
88	**अनुदान संख्या 55-लद्दाख**		**3,076.17**	**2,485.94**	**590.23**	**19.19**
89	**अनुदान संख्या 56-लक्षद्वीप**		**317.10**	**215.65**	**101.45**	**31.99**
90	**अनुदान संख्या 57- दिल्ली को अंतरण**		**280.00**	**142.00**	**138.00**	**49.29**
91	**अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**		**37,606.59**	**37,143.96**	**462.63**	**1.23**
	264	4059.80.051.45 - अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन	661.00	451.85	209.15	31.64
92	**अनुदान संख्या 62-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग**		**403.19**	**300.19**	**103.00**	**25.55**
93	**अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		**1,966.90**	**1,165.71**	**801.19**	**40.73**
	265	4802.01.004.01 - मिशन अन्वेषण	332.00	50.00	282.00	84.94

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
	266	4802.01.004.02 - भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ में क्षेत्रों का मूल्यांकन	388.00	50.00	338.00	87.11
	267	4802.03.101.01 - इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	408.00	17.25	390.75	95.77
94	**अनुदान संख्या 85-रेल मंत्रालय**		**4,39,240.88**	**4,27,725.38**	**11,515.50**	**2.62**
95	**अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**		**3,53,392.12**	**3,47,660.74**	**5,731.38**	**1.62**
	268	5054.01.337.04 - केन्द्रीय सड़क व अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राजमार्ग से जुड़ी अन्य योजनाये	2,116.00	1,548.39	567.61	26.82
	269	5054.01.337.06 - सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर निधि से फाइनेंस की गई बिना विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश सरकारें	360.05	111.62	248.43	69.00
	270	5054.01.796.01 - लेफ्ट विंग वाम पंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में सड़क सम्पर्क (एनएच और स्टेट रोड) विकास के लिये विशेष प्रोग्राम	300.00	149.79	150.21	50.07
	271	5054.80.797.06 -	13,508.00	8,000.00	5,508.00	40.78

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण				
96	**अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग**		**5,567.14**	**4,529.98**	**1,037.16**	**18.63**
	272	5402.00.101.17 - सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र - एसएचएआर	303.83	181.62	122.21	40.22
	273	5402.00.101.35 - मानवयुक्त मिशन पहल / मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान)	1,192.35	824.01	368.34	30.89
		पूंजीगत प्रभारित				
97	***अनुदान संख्या 21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय***		***189.54***	***63.01***	***126.53***	***66.76***
98	***विनियोग संख्या 40 - ऋण की पुनर्अदायगी***		***85,12,479.77***	***85,00,778.90***	***11,700.87***	***0.14***
	274	6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	7,000.00	6,363.91	636.09	9.09
	275	6001.00.106.30 - 8% बचत बॉन्ड, 2003 (टैक्सेबल)	3,091.92	136.27	2,955.65	95.59
	276	6001.00.108 - 182-दिन-कोष बिल	4,57,139.91	4,46,683.21	10,456.70	2.29
	277	6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	55,000.00	52,254.00	2,746.00	4.99
	278	6001.00.122 - 1-4-99 से लघु बचत के निवल संग्रहण के प्रति केन्द्र सरकार की विशेष जारी की गई प्रतिभूतियां	2,15,193.77	2,13,162.42	2,031.35	0.94
	279	6001.00.127 - नकद	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00

खंड की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष की क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण वाला खंड	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	ओ+एस पर बचत का %
		प्रबंधन बिल				
	280	6002.00.208 - फ्रांस सरकार से ऋण	1,523.00	695.20	827.80	54.35
	281	6002.00.230 - रूसी संघ की सरकार से ऋण	340.90	62.61	278.29	81.63
	282	6002.00.254 - एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) से ऋण	1,724.50	1,239.64	484.86	28.12
99	***अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण***		***1,84,000.00***	***1,83,893.57***	***106.43***	***0.06***
	283	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना	1,50,000.00	1,49,483.73	516.27	0.34
	284	7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)	100.00	0.00	100.00	100.00
100	***अनुदान संख्या 85-रेल मंत्रालय***		***1,102.89***	***864.03***	***238.86***	***21.66***
सभी खंडों का कुल योग			**1,43,81,202.45**	**1,38,91,720.88**	**4,89,481.57**	**3.40**
97 खंड में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत का कुल योग			**1,41,96,984.23**	**1,37,07,625.29**	**4,89,358.94**	**3.45**
284 लघु/उप-शीर्ष का कुल योग			**30,21,143.68**	**25,37,643.96**	**4,83,499.72**	**16.00**

* खंड (क्रम संख्या 6, 16 व 23) जहां बचत ₹100 से कम है लेकिन उस खंड के अंतर्गत जहां एक या एक से ज़्यादा लघु/उप शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹100 करोड़ या उससे अधिक है।

अनुलग्नक - 4.5ख

(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

लघु/उप-शीर्ष स्तर पर लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2024-25	2023-24	2022-23
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2416.00.789.03 - मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन योजना (एमआईएसएस)	2,036.87	1,878.32	1,726.21
2	2416.00.796.03 - मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन योजना (एमआईएसएस)	863.28	365.17	403.53
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
3	4861.03.212.04 - वेस्ट ट्रीटमेंट, एडवांस्ड फ्यूल, फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स (बीएआरसी)	174.58	184.61	100.26
अनुदान संख्या 8 - नागर विमानन मंत्रालय				
4	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	340.61	494.49	2,059.91
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
5	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	255.15	492.56	547.87
6	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	689.01	1,014.38	1,227.73
7	3275.00.187.01 - भारत में टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना	962.41	508.37	488.46
8	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजीगत निवेश	10,976.18	4,462.72	18,333.57
अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
9	3403.00.101.10 - समुन्द्री सेवा अनुप्रयोग साधन व प्रौद्योगिकी (ओ-एसएमएआरटी)	280.00	153.48	200.61
10	5403.00.101.11 - गहन समुन्द्री मिशन	155.01	170.20	200.00
11	5455.00.101.06 - एटमॉस्फियर और क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम और सर्विसेज (एसीआरओएसएस)	256.20	306.44	135.55
अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग				
12	3601.06.101.87 - उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (पीएम श्री)	596.23	1,532.94	1,065.15
13	3601.06.789.72 - उभरते भारत के लिये पीएम स्कूल (	542.23	445.90	308.74

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2024-25	2023-24	2022-23
	पीएम श्री)			
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
14	5465.01.190.51 - एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त पोषण प्लेटफॉर्म में पूंजीगत निवेश	500.00	1,000.00	1,000.00
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				
15	2037.00.111.01 - भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	691.26	875.60	2,040.67
16	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	652.81	788.87	903.36
17	2037.00.114.03 - फोकस प्रोडक्ट योजना और मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	263.27	282.39	337.36
18	2037.00.114.06 - स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना	119.27	118.45	165.80
19	कस्टम व सीजीएसटी कमीशनरों के स्थान के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	220.66	153.38	247.77
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
20	*2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज*	*33,024.59*	*28,454.38*	*3,939.49*
21	*2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिलों पर कटौती*	*100.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
विनियोग संख्या 40 - ऋण की पुनर्अदायगी				
22	*6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि*	*636.09*	*4,496.90*	*1,959.36*
23	*6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम*	*2,746.00*	*3,00,687.00*	*4,42,404.00*
24	*6001.00.122 - 1-4-99 से लघु बचत के निवल संग्रहण के प्रति जारी केन्द्र सरकार विशेष प्रतिभूतियां*	*2,031.35*	*4,189.85*	*3,829.71*
25	*6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल*	*20,000.00*	*1,00,000.00*	*1,00,000.00*
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण				
26	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	6,117.97	9,879.50	8,742.11
27	*3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)*	*6,392.89*	*2,998.96*	*5,128.75*
28	3601.07.105.02 - नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन निधि से राज्यों को सहायता (राज्य)	2,148.88	2,732.00	2,602.00
29	*7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
अनुदान संख्या 43 - मत्स्य पालन विभाग				

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2024-25	2023-24	2022-23
30	3601.06.101.75 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई)	755.76	262.65	264.15
31	3601.06.789.64 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई)	289.26	126.39	104.48
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
32	2210.06.101.63 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	118.71	407.02	293.48
33	3601.06.101.20 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	322.99	3,328.24	3,030.17
35	3601.06.101.94 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	242.40	233.80	1,714.64
35	3601.06.789.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	134.66	791.18	1,040.56
36	3601.06.789.75 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	173.63	479.65	526.37
37	3601.06.796.79 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	102.42	234.35	167.14
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
38	3454.01.001.04 - गणना	791.65	1,044.70	2,835.92
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
39	3601.06.101.11 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1,225.73	756.23	875.25
40	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	186.42	371.34	435.38
41	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	145.71	209.48	188.16
अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
42	2217.05.191.16 - शहरी संरक्षण मिशन 500 बस्तियां (एएमआरयूटी)	109.38	132.72	245.14
43	3601.06.101.24 - शहरी संरक्षण मिशन- 500 बस्तियां (अमृत)	2,052.59	2,142.03	678.06
44	3601.06.101.31 - प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी	14,227.30	2,179.07	8,419.78
अनुदान संख्या 61 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
45	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	236.31	194.63	124.09
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2024-25	2023-24	2022-23
46	2700.80.190.03 - नदियों को आपस में जोड़ना	2,045.15	2,109.28	775.66
47	2701.80.004.08 - राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	210.81	124.94	238.07
48	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	750.60	1,603.90	616.32
49	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	1,302.96	194.97	862.93
अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय				
50	2230.01.111.06 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	144.32	840.25	993.19
अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
51	2851.00.106.11 - खादी ग्रामोद्योग एवं कॉयर उद्योग का विकास	196.41	178.42	215.81
अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				
52	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक से पूर्व स्कॉलरशिप	268.94	250.79	1,254.95
53	2225.04.277.04 - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप	1,022.72	873.78	432.17
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
54	2802.02.102.01 - प्रधानमंत्री जीवन वन योजना	109.83	151.51	276.48
55	4802.03.101.01 - इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	390.75	5,508.00	600.00
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
56	5054.01.337.06 - सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर निधि से वित्तपोषित की गई बिना विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश सरकारें	248.43	275.27	246.82
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
57	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	137.38	388.00	387.29
58	3601.06.101.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	6,559.65	14,226.98	2,455.51
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
59	3425.60.200.68 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	332.09	665.67	337.77
60	3425.60.200.70 - इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट	126.52	288.02	207.59
61	3425.60.200.71 - अनुसंधान और विकास	290.67	457.61	347.41
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2024-25	2023-24	2022-23
62	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक योजना	1,838.86	2,095.15	3,161.24
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
63	2553.00.101.01 - अनुदान सहायता	1,353.23	2,757.93	1,398.04
अनुदान संख्या 98 - कपड़ा मंत्रालय				
64	2852.08.202.63 - अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास	209.48	339.95	107.87
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
65	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	1,371.13	751.63	705.49
66	3452.01.101.19 - तीर्थयात्रा संरक्षण और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (पीआरएएसएचएडी)	159.07	124.10	143.50
अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
67	2235.02.102.51 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं- पोषण अभियान- किशोरियों के लिए योजना)	146.64	352.43	476.60

अनुलग्नक 4.6क

(पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें)

बचत का अभ्यर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल बचत	पूर्ण अभ्यर्पण	राशि जो व्यपगत हो गई या अभ्यर्पित नहीं की गई
1	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	10,528.74	6,172.60	4,356.14
2	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	125.47	65.78	59.69
3	3-परमाणु ऊर्जा	1,199.49	869.07	330.42
4	4-आयुष मंत्रालय	248.76	241.25	7.51
5	7-औषध विभाग	1,110.18	958.55	151.63
6	8-नागर विमानन मंत्रालय	52.48	50.51	1.97
7	10-वाणिज्य विभाग	158.63	150.52	8.11
8	11-उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	114.50	100.76	13.74
9	12-डाक विभाग	680.68	44.26	636.42
10	13- दूरसंचार विभाग	23,245.20	11,346.65	11,898.55
11	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	30,934.04	30,849.94	84.10
12	17-कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,986.60	1,983.27	3.33
13	18-संस्कृति मंत्रालय	65.97	18.25	47.72
14	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	206.18	141.14	65.04
15	20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	3,903.99	2,205.96	1,698.03
16	22-रक्षा पेंशन	27.35	0.00	27.35
17	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,452.30	2,187.15	265.15
18	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	301.42	197.65	103.77
19	25-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	9,890.71	9,792.90	97.81
20	26-उच्चतर शिक्षा विभाग	1,564.37	1,385.65	178.72
21	27-इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	8,266.39	7,512.50	753.89
22	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1,293.76	1,217.66	76.10
23	29-विदेश मंत्रालय	2,215.89	79.55	2,136.34
24	30-आर्थिक कार्य विभाग	62,586.33	58,274.65	4,311.68
25	31-व्यय विभाग	58.30	55.00	3.30

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल बचत	पूर्ण अभ्यर्पण	राशि जो व्यपगत हो गई या अभ्यर्पित नहीं की गई
26	32-वित्तीय सेवाएं विभाग	154.55	122.59	31.96
27	36-प्रत्यक्ष कर	131.97	67.82	64.15
28	37-अप्रत्यक्ष कर	2,414.05	2,196.76	217.29
29	38-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	69.68	21.78	47.90
30	39-ब्याज भुगतान	44,570.30	42,676.21	1,894.09
31	40-ऋण की पुनर्अदायगी	11,700.87	11,618.05	82.82
32	41-पेंशन	358.85	0.00	358.85
33	43-मत्स्य पालन विभाग	1,488.54	1,478.58	9.96
34	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1,282.02	913.02	369.00
35	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,153.22	1,150.09	3.13
36	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	3,428.56	3,371.34	57.22
37	49-गृह मंत्रालय	763.52	575.74	187.78
38	50-कैबिनेट	530.24	509.62	20.62
39	51-पुलिस	3,008.43	1,510.00	1,498.43
40	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	102.49	96.80	5.69
41	53-चंडीगढ़	16.31	0.01	16.30
42	56-लक्षद्वीप	107.99	102.89	5.10
43	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	32,660.95	32,291.34	369.61
44	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	322.80	133.26	189.54
45	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	3,622.31	2,064.88	1,557.43
46	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	51,132.04	50,713.25	418.79
47	64-श्रम और रोजगार मंत्रालय	11,095.66	11,060.65	35.01
48	65-विधि और न्याय	246.59	170.05	76.54
49	66-चुनाव आयोग	11.26	3.88	7.38
50	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का मंत्रालय	12,438.62	12,437.59	1.03
51	69-खान मंत्रालय	25.74	24.70	1.04
52	71-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	9,327.21	8,967.05	360.16
53	74-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	99.99	73.93	26.06
54	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	151.07	99.13	51.94

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल बचत	पूर्ण अभ्यर्पण	राशि जो व्यपगत हो गई या अभ्यर्पित नहीं की गई
55	81-लोकसभा	175.54	174.25	1.29
56	86-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	6,130.43	5,874.63	255.80
57	88-भूमि संसाधन विभाग	1,425.96	1,418.72	7.24
58	89-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,916.74	2,650.48	266.26
59	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	462.13	250.31	211.82
60	91-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	79.75	69.12	10.63
61	95-अंतरिक्ष विभाग	1,524.47	1,377.16	147.31
62	98-वस्त्र मंत्रालय	1,434.59	1,196.06	238.53
63	99-पर्यटन मंत्रालय	2,031.04	1,685.85	345.19
64	100-जनजातीय कार्य मंत्रालय	2,830.64	2,829.44	1.20
कुल		**3,74,644.85**	**3,37,878.25**	**36,766.60**

अनुलग्नक 4.6ख

(पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें)

उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल बचत	कुल अभ्यर्पण	अतिरिक्त अभ्यर्पित की गई राशि
1	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12,298.73	12,517.13	218.40
2	35-राजस्व विभाग	5,663.89	5,993.29	329.40
3	55-लद्दाख	1,073.67	1,148.42	74.75
कुल		**19,036.29**	**19,658.84**	**622.55**

अनुलग्नक 4.7

(पैराग्राफ 4.2.2.4 देखें)

मुख्य शीर्ष 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत बड़ी बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग/मंत्रालय	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग के बाद बचत	अभ्यर्पित राशि	व्यपगत राशि
क	ख	ग	घ	ड़ = ग-घ	च	छ = ड-च
1	कृषि और किसान कल्याण विभाग	12,122.26	10,175.65	1,946.61	1,515.35	431.26
2	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	323.98	302.22	21.76	12.7	9.06
3	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	711.01	595.00	116.01	113.80	2.21
4	पशुपालन और डेयरी विभाग	431.50	159.21	272.29	272.09	0.20
कुल		**13,588.75**	**11,232.08**	**2,356.67**	**1,913.94**	**442.73**

अनुलग्नक 4.8

(पैराग्राफ 4.2.2.5 देखें)

2024-25 के लिए बचत के कारणों का वर्गीकरण (लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक)

श्रेणी	उप-श्रेणी	लघु/उप-शीर्ष की संख्या	बचत (₹ करोड़ में)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, लागू करने वाली एजेंसियों आदि से प्रस्ताव/दावे/मांग/बिल आदि कम प्राप्ति/गैर प्राप्ति	कम प्रस्तावों की प्राप्ति	23	55,866.97
	कम दावों की प्राप्ति	4	17,046.44
	भुगतान के लिए कम दावे	2	7,644.53
	कम मांग	2	1,262.35
	कम निधि उपयोग	1	1,353.23
	कम बिलों की प्राप्ति	1	983.02
	उपयोग प्रमाणपत्र जमा न करना	1	516.27
	कम निधि की आवश्यकता	12	18,470.04
	कुल	**46**	**1,03,142.85**
परिचालन संबंधी कारण (कार्यान्वयन/अनुमोदन में बाधाएं/रूकावटें/कमी और प्रशासनिक कारण को दर्शाना)	विविध परिचालन कारण	10	39,864.71
	काम में देरी / धीमी प्रगति	10	7,625.02
	योजना को मंज़ूरी न मिलना/बंद होना आदि।	8	20,776.60
	रिक्त पदों न भरना, कम व्यावसायिक को काम पर रखना आदि।	2	3,174.79
	राज्य सरकारों द्वारा शर्तों को पूरा न करना आदि।	6	27,551.76
	आम चुनाव 2024 आदि की वजह से आदर्श आचार संहिता के कारण।	2	3,182.07
	एसएनए से एसएनए स्पर्श मॉडल में बदलाव के कारण	5	8,055.35
	कुल	**43**	**1,10,230.30**
व्यय के विनियमन के कारण	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में संस्वीकृत प्रावधानों में कटौती	12	66,423.46
	कुल	12	**66,423.46**
अवास्तविक बजट अनुमान	उच्चतर अनुमान	1	2,633.69
	प्रतिभूतियों का स्विचिंग / बायबैक	1	33,024.59
	कम उधार	6	22,951.89
	कम निवेश	1	2,031.35

श्रेणी	उप-श्रेणी	लघु/उप-शीर्ष की संख्या	बचत (₹ करोड़ में)
	विविध कारण	2	1,227.09
	अतिरिक्त नकदी/ बेहतर नकदी प्रबंधन	2	22,746.00
	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास एनपीए के प्रति निधि उपलब्ध होने के कारण	3	9,592.62
	कुल	**16**	**94,207.23**
लेखांकन और निधि अंतरण	मूल बजट प्रावधान का उपयोग करने के बजाय, नई योजनाओं के लिए अनुदान के लिये अनुपूरक मांग के माध्यम से निधि दी गयी।	1	62,592.88
	कम अंतरण/निधि जारी न करना	3	8,008.01
	अन्य विविध कारण	3	3,303.50
	कुल	**7**	**73,904.39**
	कुल योग	**124**	**4,47,908.23**

अनुलग्नक 4.9

(पैराग्राफ 4.3 देखें)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग					
1	2401.00.103.15 - पौधों की किस्मों का संरक्षण और किसानों के अधिकार	50.00	12.00	37.13	24.87
2	2401.00.111.32 - महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र	35.01	71.00	3.97	102.04
अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग					
3	2852.03.789.06 - यूरिया सब्सिडी	10,510.98	166.00	10,317.52	359.46
4	2852.03.796.06 - यूरिया सब्सिडी	5,633.63	86.00	5,345.22	374.41
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग					
5	3275.00.004.01 - प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन	34.46	21.37	23.37	32.46
6	3275.00.800.50 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण	100.00	15.00	97.00	18.00
7	3451.00.091.11 - विजिलेंस टेलीकॉम मॉनिटरिंग सेल	232.72	58.57	230.71	60.58
अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)					
8	2052.00.092.02 - रक्षा लेखा विभाग (डीएनडी)	2,498.51	16.00	2,342.54	171.97
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)					
9	2076.00.111-कार्य	12,273.94	13.10	11,998.38	288.66
10	2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	2,726.01	79.40	2,617.32	188.09
11	2077.00.101-नौसेना	9,450.00	385.02	9,313.73	521.29
12	2077.00.112-संयुक्त स्टाफ	3,722.78	120.00	3,597.77	245.01
13	2078.00.200-विशेष परियोजनाएं	1.00	14.00	0.16	14.84
14	2079.00.001-निर्देशन और प्रशासन	450.25	19.89	405.71	64.43
15	2080.00.111-कार्य	1,439.98	72.97	1,393.18	119.77
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
16	*4076.09.050-भूमि*	*64.43*	*62.97*	*12.79*	*114.61*
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग					

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
17	3475.00.115.01 - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता - वायबिलिटी गैप फंडिंग	490.00	1,104.19	411.00	1,183.19
अनुदान संख्या 34 - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)					
18	3451.00.090.52 - निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	48.27	20.69	44.82	24.14
अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर					
19	4075.00.204.01 - अचल संपत्ति का अधिग्रहण	2.00	55.86	1.01	56.85
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर					
20	4047.00.005.03 - सीजीएसटी कार्यालय	1,057.35	133.77	972.59	218.53
विनियोग संख्या 40 - ऋण की पुनर्अदायगी					
21	*6001.00.130.01 - नकद भुगतान योजना*	*97.00*	*35.08*	*44.43*	*87.65*
अनुदान संख्या 41 - पेंशन					
22	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	4,860.00	100.00	4,642.13	317.87
अनुदान संख्या 53 - चंडीगढ़					
23	2210.05.105.21 - सरकारी मेडिकल कॉलेज	453.99	12.33	451.98	14.34
अनुदान संख्या 57 - दिल्ली को अंतरण					
24	7602.07.106.01 - जेआईसीए सहायता प्राप्त बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना	200.00	80.00	142.00	138.00
अनुदान संख्या 77 - योजना मंत्रालय					
25	3475.00.004.06 - एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (एबीपी)	0.00	152.26	0.00	152.26
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
26	3055.00.004.28 - केन्द्रीय सड़क व अवसंरचना निधि से वित्त पोषित सड़क सुरक्षा	103.50	127.90	98.00	133.40
कुल		**56,535.81**	**3,035.37**	**54,544.46**	**5,026.72**

अनुलग्नक 4.10क

(पैराग्राफ 4.4.1 देखें)

लघु/उप-शीर्ष के लिए पुनर्विनियोग जो उपयोग न होने के कारण अविवेकपूर्ण थे

(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	शीर्ष में पुनर्विनियोग (आर)	व्यय	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत [(ओ+एस+आर) -व्यय]
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग					
1	2401.00.796.47 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	1,130.04	34.00	952.94	211.10
2	2435.01.101.17 - किसान उत्पादक संगठनों का गठन और प्रचार	398.95	27.16	353.45	72.66
3	2435.01.101.18 - चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	5.00	12.00	2.50	14.50
4	2435.60.103.04 - कृषोन्ति योजना	1,854.65	152.67	1,714.53	292.79
5	3601.06.789.77 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,183.11	38.21	699.04	522.28
अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग					
6	2852.05.206.21 - फार्मा मेड-टेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (पीआरआईपी)	75.00	19.05	48.44	45.61
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग					
7	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	12,887.87	173.93	12,812.16	249.64
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
8	2408.02.103.02 - इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भण्डार प्राप्ति (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	0.01	49.99	0.00	50.00
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग					
9	5466.00.209.02 सामान्य पूंजीगत वृद्धि (जीसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान	387.45	16.93	384.09	20.29

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	शीर्ष में पुनर्विनियोग (आर)	व्यय	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत [(ओ+एस+आर) -व्यय]
10	7475.00.101.01 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)	0.01	19.99	0.00	20.00
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान					
11	2049.03.104.01 - सामान्य भविष्य निधि	10,083.30	791.27	9,895.85	978.72
12	2049.03.108.03 - केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	320.00	30.00	272.03	77.97
13	2049.03.109.10 - भविष्यनिधि, सेवानिवृति ग्रेच्युटी निधि के विशेष जमा	7,018.76	19.21	6,863.95	174.02
अनुदान संख्या 44 - पशुपालन और डेयरी विभाग					
14	2404.00.102.25 - विकास कार्यक्रम	168.23	48.18	109.21	107.20
अनुदान संख्या 51 - पुलिस					
15	3601.08.111.06 - निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाएं	105.01	14.57	59.83	59.75
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग					
16	2702.02.005.01 - केंद्रीय भूजल बोर्ड	296.50	14.90	290.50	20.90
17	3601.06.101.38 - सहायता/शेयर	0.00	40.46	0.00	40.46
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग					
18	3425.01.001.01 - भारत के महासर्वेक्षक	440.42	14.37	397.27	57.52
कुल		**36,354.31**	**1,516.89**	**34,855.79**	**3,015.41**

अनुलग्नक 4.10ख
(पैराग्राफ 4.4.1 देखें)
लघु/उप-शीर्षों से पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप अंतिम अतिरिक्त व्यय
(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि (-आर)	व्यय	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त [व्यय-(ओ+एस-आर)]
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग					
1	3201.07.108.01-छुट्टी नकदीकरण लाभ	560.46	151.73	419.20	10.47
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
2	4076.09.103-अन्य उपकरण	62,198.02	10,138.66	52,204.54	145.18
3	4076.09.205-नौसेना डॉकयार्ड	6,828.00	1,260.35	5,618.87	51.22
अनुदान संख्या 22- रक्षा पेंशन					
4	2071.02.102.03 - छुट्टी नकदीकरण लाभ	468.14	74.42	431.28	37.56
अनुदान संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग					
5	2202.03.102.30 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	43.70	38.60	25.73	20.63
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान					
6	2049.03.104.02 - अन्य राज्य भविष्य निधि	7,047.82	450.09	6,887.48	289.75
अनुदान संख्या 51 - पुलिस					
7	2055.00.121.12 - सीमा अवसंरचना और प्रबंधन निर्माण	309.72	23.00	300.67	13.95
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख					
8	2210.03.103.03 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेह और कारगिल	165.20	62.96	124.38	22.14
9	2408.01.101.12 - सहायक निदेशक, लेह और कारगिल	82.22	29.17	65.84	12.79
10	4575.04.001.02 - सचिव वित्त, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,202.34	591.47	1,631.90	21.03
कुल		**79,905.62**	**12,820.45**	**67,709.89**	**624.72**

अनुलग्नक 4.11

(पैराग्राफ 4.4.2 देखें)

लघु शीर्ष 789 और 796 से अन्य लघु शीर्ष में निधि का अनुचित पुनर्विनियोग

क्रम संख्या	पुनर्विनियोग आदेश संख्या	से	को	राशि
		लघु शीर्ष 789 व 796	लघु शीर्ष 102 व 200	*(₹ करोड़ में)*
1	20242025/68/76	2851.00.789.64.01.33	2851.00.200.17.01.33	100.00
2	20242025/68/92	2851.00.789.64.01.33	2851.00.200.17.01.33	216.38
3	20242025/68/95	2851.00.789.64.01.33	2851.00.200.17.01.33	67.00
4	20242025/68/113	2851.00.789.64.01.33	2851.00.200.17.01.33	54.16
5	20242025/68/128	2851.00.789.67.04.31	2851.00.102.99.06.35	3.25
6	20242025/68/132	2851.00.789.64.01.33	2851.00.200.17.01.31	14.62
7	20242025/68/138	2851.00.796.66.05.31	2851.00.102.99.06.35	1.76
कुल				**457.17**

अनुलग्नक 4.12

(पैराग्राफ 4.5 देखें)

31.03.2025 तक विभाग/मंत्रालयवार बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और अनुदान का नाम	वित्तीय वर्ष		कुल बकाया यूसी		पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के बकाया यूसी की स्थिति	
		से	तक	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग*	2023-24 तक		542	1,762.46	*	*
2	4-आयुष मंत्रालय**	2023-24 तक		1,622	2,403.25	*	*
3	7-औषध विभाग	2008-09	2023-24	183	3,900.04	175	3,862.24
4	18-संस्कृति मंत्रालय	1990-91	2023-24	8,684	1,082.30	2,786	441.13
5	25-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2007-08	2023-24	340	740.39	7	632.68
6	26-उच्चतर शिक्षा विभाग	2007-08	2023-24	3,530	14,359.76	2,934	14,218.20
7	35-राजस्व विभाग	2002-03	2023-24	14	39.27	4	0.64
8	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1987-88	2022-23	3,921	5,232.12	387	1,905.59
9	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86	2023-24	1,992	18,272.91	1,034	14,681.86
10	77-योजना मंत्रालय	2023-24 तक		8,916	2,529.32	5,178	1,593.75
11	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2021-22	2023-24	10	7.69	10	7.69
12	86-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2023-24		3	5.45	3	5.45
13	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2007-08	2023-24	2,895	1,305.55	1,380	919.05
14	100- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2011-12	2021-22	495	2,486.56	18	2.76
15	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2007-08	2023-24	826	155.25	10	16.48
कुल योग				**33,973**	**54,282.32**	**13,926**	**38,287.52**

*वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़े मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग-अलग नहीं दिखाए गए हैं।

**16 सितंबर 2025 तक लम्बितता।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports